राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ३८वां दिवस [संख्या २६

शुक्रवार, दिनांक २ अप्रेल, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०९ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वायत्त शासन, खाद्य, गृह, जन-स्वास्थ्य, राजस्थान नहर, अकाल सहायता, सिंचाई एवं चिकित्सा–विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पोहूमल ईसरदास।

अजमेर नगरपालिका द्वारा चुंगी की दरें घटाने का प्रस्ताव

९९०. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर म्युनिसिपल कौन्सिल ने चुंगी की दरों को घटाने के संबंध में प्रस्ताव पास करके सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा है?

(२) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) नगर परिषद् से जानकारी चाही गई है।

श्री पोहूमल ईसरदास : यह प्रस्ताव कब सरकार के पास पहुंचा है?

श्री दौलतराम सारण : २९-७-६४ को।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या सरकार को विदित है कि जयपुर, नसीराबाद और जोधपुर से चुंगी की दरें कम हैं अजमेर में?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि ऐसी हालत में अजमेर के व्यापार को नुकसान हो रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : अजमेर में चुंगी की दरें सन् १६३३ से लगी हुई हैं और वही दरें चली आ रही हैं जो कि सन् ६२ में कुछ कम की गई थीं और तब से लगातार वही दरें हैं और उसी के जरिये चल रहे हैं ।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या ये दरें थीं तब वेहीकल्स टैक्स और एन्टरटैनमेंट टैक्स का जो लाखों रुपया होता था वह अब सरकार ने अजमेर म्युनिसिपैलिटी से छीन लिया है ?

श्री दौलतराम सारण : उससे आमदनी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन चुंगी की दरों में कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या यह सही है कि १४ लाख रुपये अजमेर म्युनिसिपैलिटी को सड़कों, बिजली और पानी पर खर्च करना पड़ता है ?

श्री दौलतराम सारण : हां करीब करीब । रोशनी पर १,५४,०००) रु० और सड़कों पर ७,८७,०००) रु० खर्च करना पड़ता है ।

श्री पोहूमल ईसरदास : उनकी जब इतनी बड़ी आमदनी आप ले लेंगे तो वह खर्च किससे पूरा होगा ?

श्री दौलतराम सारण : आमदनी कोई नहीं छीनी गई है । एन्टरटैनमेंट टैक्स का जो ५४-५५-५६ का औसत था उस हिसाब से नगरपालिका को दिया जा रहा है अब भी; और कोई आमदनी छीनने का सवाल नहीं है ।

श्री पोहूमल ईसरदास : कितना हिस्सा दिया जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि ५४-४५-५६ का जो औसत पड़ता था उतना दिया जा रहा है । उस समय जितना टैक्स वसूल होता था उसका औसत जो होता है वह देते हैं ।

श्री पोहूमल ईसरदास : अभी कितना वसूल होता है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी मुझे इस समय जानकारी नहीं है ।

श्री पोहूमल ईसरदास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पहले अजमेर म्युनिसिपैलिटी की जो आमदनी थी वह वेहीकल्स टैक्स और एन्टरटैनमेंट टैक्स की वजह से ज्यादा थी और वह खर्चा कर रही थी रास्तों पर और यह खर्चा दूसरी म्युनिसिपैलिटीज नहीं करती हैं और सरकार करती है और बिजली का लाभ उनको देती है तो क्या सरकार यह अजमेर म्युनिसिपैलिटी की तरह लोन देने को तैयार है ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार आवश्यक स्कीमों के लिये अपने साधन के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका को लोन दिया करती है ।

Page No 3

श्री उपाध्यक्ष : प्रत्येक को लोन दिया करती है तो अजमेर को देने के लिए तैयार है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : वाटर सप्लाई की २ करोड़ के लगभग की स्कीम चल रही है।

श्री पोहूमल ईसरदास : क्या सरकार अजमेर म्युनिसिपैलिटी को घाटा पूरा करने के लिए लोन के रूप में रुपये देगी ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार किसी नगरपालिका को कोई घाटा पूर्ति के लिए ऋण के रूप में या सहायता के रूप में कुछ देने को तैयार नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज को अपनी जिम्मेदारी का पालन स्वयं को करना होगा।

प्रश्न संख्या ६६१

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

तहसील जैतारण में चीनी का वितरण

६६२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील जैतारण में अगस्त, १९६३ से दिसम्बर १९६४ तक शक्कर का कितना कितना कोटा आया व उसका वितरण हलवाइयों व जनता में किस किस अनुपात से किया गया ?

(२) हलवाइयों में से उक्त अर्से में किस–किस को कितनी–कितनी शक्कर अलॉट की गई व उसकी खपत बाबत किन-किन का प्रमाण-पत्र लिया गया ? हर कोटेवार सूचना दी जावे।

(३) आम जनता के लिये शक्कर किन तारीखों को कितनी २ अलॉट की गई, यह सूचना पंचायतवार बताई जावे ?

(४) स्पेशल परमिट उक्त अर्से में किन किन को, कितनी २ शक्कर के, किन-किन कारणों से, कब २ दिये गये ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(३) वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(४) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : जो सूची आपने दी है उस सूची से आप भी सहमत होंगे कि जो बंटवारा किया गया है वह न तो जनसंख्या के आधार पर किया गया है और न पंचायतों के आधार पर। कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें बहुत कम दिया है। आप इस तरह की हिदायत करें कि कम से कम साइ-

Page No 4

(श्री तेजाराम गहलोत)

न्टिफिक आधार पर, जन संख्या के आधार पर वितरण किया करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारा काम है एलॉटमेंट करना, जनसंख्या का बेस बताया है उसके अनुसार हम जिलेवार एलॉट कर देते हैं । आप स्वयं जिला फूड एडवाइज़री कमेटी के मेम्बर हैं । जिला लेवल पर आपको ठीक नहीं लगता तो वहां चर्चा करके ठीक करवा लें ।

श्री तेजाराम गहलोत : जिला एडवाइज़री कमेटी में इसकी चर्चा नहीं होती है । तहसीलदार वितरण करता है, ठीक ढंग से नहीं होता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिला एडवाइज़री कमेटी के आप भी मेम्बर हैं, कलेक्टर भी बैठते हैं, आप और कलेक्टर साहब निर्णय लेकर दूसरे अधिकारियों को हिदायत कर दें ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या जिला एडवाइज़री कमेटी हरेक जिले में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह प्रश्न के भाग (३) में शहर और ग्रामीण जनता को कितना २ कोटा आपने फिक्स किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सब बता दिया है ।

श्री अब्दुलजब्बार : आप बता दीजिये, शहरों में कितना कोटा दिया शक्कर की क्वान्टिटी का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे प्रश्न आयेगा, उससे मालूम पड़ जायगा ।

पुलिस थाना घाटोली

६६३. **श्री भैरवलाल "कालाबादल"** (अकलेरा-सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि घाटोली कस्बा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को मिलाने वाला कस्बा है और नेशनल हाई वे पर स्थित है ? यदि हां, तो ऐसी सूरत में इस कस्बे से पुलिस स्टेशन हटा कर मालना नाम के ग्राम में ले जाने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या घाटोली कस्बे की जनता ने सरकार से इस बात की मांग की है कि घाटोली में पुलिस थाना वापिस स्थापित होना चाहिये ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : (१) कस्बा घाटोली मध्य प्रदेश से मिलने वाले राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेश में अवश्य है, किन्तु यह नेशनल हाई-वे पर नहीं है । पुलिस थाना घाटोली से हटाकर माल्टा ग्राम पर एडमिनिस्ट्रेटिव सब-कमेटी के सिफारिशों पर राज्य सरकार ने स्थापित करने की आज्ञा दी थी ।

(२) जी हां ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : घाटोली में थाना सबसे पहले कब बनाया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : कोटा रियासत के समय ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : यहां से हटाया कब गया ?

श्री परसराम मदेरणा : सन् १९६३ में ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : कमेटी ने क्या आधार मान कर हटाने का फैसला किया ?

श्री परसराम मदेरणा : कमेटी में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे ध्यान में रखते हुए कई पुलिस स्टेशन्स को एबोलिश किया था, कइयों को दूसरी जगह शिफ्ट किया था । इसमें खास मुख्य कारण यह था कि माल्टा पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के बीच में स्थित है और घाटोली एक तरफ कोर्नर में आ जाता है, इसलिये कोर्नर वाले गांव में पुलिस स्टेशन नहीं रखकर बीच में होना चाहिये और बीच में माल्टा पड़ता था ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : माल्टा बिल्कुल जंगल के बीच में पड़ता है और वहां पर आवागमन के साधन नहीं हैं और घाटोली सड़क के ऊपर है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह और भी अच्छा है, पुलिस स्टेशन मेन रोड पर होना और बात है, पर सेन्ट्रली सिचुएटेड है या नहीं ? घाटोली की तरफ एरिया बहुत थोड़ा है और बाकी एक तरफ रह जाता है इसलिये सेन्टर में पुलिस थाना स्थापित करना जरूरी था ताकि क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके, पुलिस ऑफिसर्स देखरेख अच्छी तरह से रख सकें ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : इतने समय तक घाटोली में रहा, तब क्यों नहीं सोचा कि माल्टा में रहना चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेन्ट ने पुलिस थानों को रेशनलाइज तरीके से रिओर्गेनाइज करने के लिये एक कमेटी बैठाई थी, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स से और कुछ और आधारों पर सोच कर सिफारिश की कि किन किन पुलिस स्टेशन्स के हैड क्वार्टर्स बदले जाने चाहिये या कहां पर नये खोलने चाहिये, आउट पोस्ट्स कहां होने चाहिये । गवर्नमेन्ट ने कमेटी की सिफारिश को मंजूर किया और पुलिस स्टेशन्स उसके अनुसार बदले गये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : घाटोली की जनता के रिप्रेजेन्टेशन पर सरकार ने कोई निर्णय लिया है या उस पर विचार कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने उचित वजूहात नहीं समझे पहले जो निर्णय लिया उसमें रद्दोबदल करने के लिये ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : उस कमेटी में कौन कौन थे जिन्होंने इस प्रकार की राय दी ।

श्री परसराम मदेरणा : कमेटी की राय युनेनिमस थी ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यह सही है कि थाने उस जगह रखे जायं जो

(श्री गोविन्दसिंह)

बीचो बीच हों, आपने कहा था कि बदलने का मुख्य कारण यह है कि सेन्ट्रली पड़ता है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह एक मुख्य कारण था और भी कई कारण थे।

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : और कारण कौन कौन से थे ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : वहां की जनता को कह दिया है क्या कि घाटोली में नहीं बनायेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : इत्तला करा देंगे ।

प्रश्न संख्या ६६४

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानंद अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये ।)

बारां नगर में कंट्रोल के गेहूं का वितरण

६६५. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बारां नगर में अब तक कुल कितना कन्ट्रोल का गेहूं वितरण हो चुका है और कितना स्टॉक में है ? .

(२) क्या यह सही है कि यहां गत दो-तीन माह से कंट्रोल का गेहूं वितरण करना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) अब तक कुल १०३३१ बोरी आयातित गेहूँ का वितरण हो चुका है। इस समय ८,३६४ क्विन्टल १४ किलो आयातित गेहू स्टॉक में है ।

(२) जी हां, केन्द्रीय सरकार से आयातित गेहूं का कोटा कम प्राप्त होने तथा बारां मंडी में नई फसल के नाज की आमद प्रारम्भ हो जाने के कारण ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह आपने बताया कि लगभग १० हजार बोरी में से इस वक्त स्टॉक में ८ हजार बोरियां हैं और २ हजार बोरियां करीब बेची हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने गलत सुन लिया है; १० हजार बोरियां बेच चुके हैं और इतनी और स्टाक में हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : स्टॉक में मौजूद हैं तो दूकान बंद करने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कारण बताया है । वहां फसल ज्वार की और दूसरे अनाज की,जिसको आम तौर से लोग वहां पर खाते हैं, अच्छी है और गेहूं का ओवर ऑल स्टाक राजस्थान में कम होने की वजह से जो पहले २० हजार टन आता था फिर १५ हजार टन हुआ और अब १० हजार टन हो गया; इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोटा में जो हिस्सा है वह रख

(श्री नाथूराम मिर्धा)

देते हैं हालांकि सब जिलों में कोटा कम हुआ है, फिर भी जिला कोटा के कलेक्टर के पास रखा है और जिस जगह जैसी स्थिति होगी वैसा किया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न साफ है। आपके पास स्टाक मौजूद था, फिर भी ३–४ महीनों तक वितरण क्यों नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये नहीं किया कि वहां के लोगों को देने की जरूरत नहीं थी।

श्री दयाचन्द सोन : क्या वहां के लोग गेहूं खाना नहीं जानते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह कह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वहां के लोग ज्वार वगैरह खाते हैं और बारां में गेहूं लोकली अवेलेबल है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वहां पर गेहूं अवेलेबल है, तो क्या सरकार उसे खरीद कर जमा कर रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार को खरीद कर जमा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोटा में भाव मेग्जिमम मुकर्रर भाव से कम है। बारां मंडी में और कोटा की और कई मंडियों में ६४ की रेट से नीचे पर माल बेच रहे हैं और दूसरे इलाकों में वहां से जा रहा है।

श्री दयाचन्द सोन : सच तो आपकी जन्म-पत्री में लिखा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री दयाचन्द सोन : बारां मंडी का जो सवाल है ......

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये। एक्स्प्लेनेशन मत दीजिये।

श्री दयाचन्द सोन : वहां एक एक रुपये के गेहूं के लिए लोग परेशान होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिस्कशन मत कीजिये। प्रश्न पूछिये।

श्री दयाचन्द सोन : क्या पहले के और अब के गेहूं के भाव में वहां तीन रुपये का अन्तर नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन से पहले ? पहले कौन से ?

श्री दयाचन्द सोन : गेहूं के भाव में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले कौन से भाव हैं और अब कौन से भाव हैं ?

श्री दयाचन्द सोन : आप बताइये, पहले कौन सा भाव था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौनसे पहले ?

श्री दयाचन्द सोन : तीन चार महीने पहले !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : छोटे छोटे कस्बों में गेहूं देने की राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है ?

Page No 8

श्री नाथूराम मिर्धा : मैने बता दिया ।

श्री मुरलीधर व्यास : कई इलाकों में जो भाव बन्धे हुए हैं उसके कारण कोई बिक्री नहीं है–यह आपने कहा । मैं जानना चाहता हूं कि कई इलाकों में तो कोई बिक्री नहीं है जब कि दूसरे स्थानों में गेहूं की बहुत कमी है तो क्या सरकार वहां पर खरीद कर जमा कर रही है ताकि दूसरे इलाकों में मिल सके । मेरी मान्यता है कि अभी आपने जैसा कहा कि वहां पर इसकी बिक्री नहीं है, ऐसी स्थिति है तो वहां नहीं बिक रहा है आज की तारीख में, क्योंकि जो भाव आपने बांधे हैं उससे कम भाव हैं तो वहां से खरीद कर दूसरी जगह क्यों नहीं भेजते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कहते हैं कि सरकार खरीद कर बेचे । सरकार मार्केट में जाय तो प्राइसेज ऊंची होने की गुंजाइश है । इसलिए स्वयं मार्केट में जाकर जब पहली फसल खत्म होने का टाइम है और नई फसल के आने का टाइम है–ऐसी स्थिति के अन्दर सरकार खरीद करे और दूसरे इलाकों में भिजवाये–यह स्थिति ठीक नहीं होगी और उपयुक्त भी नहीं है । फिर भी वहां जो हमारे सरकारी अधिकारीगण हैं वह दूसरे जिले के अधिकारियों से, जहां कमी की स्थिति है वहां के बारे में जानकारी करते और देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्थिति मार्केट की हो सके ।

श्री मुरलीधर व्यास : जयपुर की मण्डी में जो भाव आपके बांधे हुए हैं उसमें एक रुपये का गेहूं भी नहीं मिलता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक रुपये का नहीं, कई रुपयों का मिलता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं मिलता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ६४ रुपये क्विन्टल में मिलता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वर्षा हो जाने की वजह से हर तरफ से गेहूं गायब हो चुका है । यह स्थिति हो गई है, इस ओर आपका ध्यान खींच रहा हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो चार-पांच रोज पहले स्थिति थी उसमें परिवर्तन हुआ है, यह ठीक है; जिसका कारण आपने स्वयं ने बताया, बरसात का हो जाना । उसके साथ साथ नई फसल को काटने के में लोगों का लग जाना भी कारण है । इसकी वजह से जो स्थिति मार्केट में चल रही थी उसमें कमी हुई है । वह इस वजह से हुई है । फिर भी हालत में सुधार किया जाय इसकी व्यवस्था की जायगी । सरकार इस सम्बन्ध में सजग है ।

श्री दयाचन्द सोन : यह बता दीजिये...

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार । That's all.

कनेरा में पीने के पानी की व्यवस्था

६६६. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 9

(श्री अब्दुलजब्बार)

(१) क्या यह सही है कि कनेरा (तहसील निम्बाहेड़ा) में पीने के पानी की बहुत कमी है और गर्मी में पानी की उपलब्धि नहीं के बराबर रहती है ?

(२) क्या सरकार पानगढ़ के तालाब से कनेरा को नल योजना द्वारा पानी सप्लाई कर सकती है ? यदि हां, तो कब तक इस विषय में कार्यवाही की जायेगी ?

उप-मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां गर्मी की ऋतु में पानी का अभाव रहता है ।

(२) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पंचायत समिति का प्रस्ताव आना चाहिए । प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ?

श्री अब्दुलजब्बार : क्या पंचायत समिति के प्रस्ताव के बगैर आप जांच करवाने को तैयार हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां भी इसको चलाया जाता है वह पंचायत समिति इसको चलाने के लिए तैयार होनी चाहिए क्योंकि इसमें आर्थिक प्रश्न उठता है। जब तक पंचायत समिति तैयार नही हो तब तक नहीं चलाई जा सकती ।

श्री अब्दुलजब्बार : प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या पानगढ़ के तालाब के पीने के पानी की सरकार ने जांच की है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और कितना पानी दे सकते हैं ? क्या आप इस तालाब के पानी की जांच कराना उचित समझती हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पंचायत समिति के प्रस्ताव आने पर सर्वे कराई जा सकती है ।

श्री अब्दुलजब्बार : सरकार समझती है, रूरल एरिया को पानी सप्लाई करने के लिए धनराशि मुकर्रर की गई है और जब वहां पर पानी की कमी है तो क्या वहां पानी की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने बताया कि पंचायत समिति का प्रस्ताव आने पर इसका निर्णय और विचार किया जा सकता है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : इसमें ऐसा है कि प्रोटेक्टेड वाटर स्कीम शुरू की जाती है उसमें पंचायत समिति का पांच परसेन्ट कन्ट्रीब्यूशन होता है और जब तक पंचायत समिति अपना रिज़ोल्यूशन पास नहीं करती उस वक्त तक पांच परसेन्ट कन्ट्रीब्यूशन की कमी रहती है। अगर प्राटेक्टेड वाटर स्कीम शुरू कर देते हैं, उसमें रेकरिंग एक्सपेंडीचर होता है उसका चुकारा करने के लिए जब तक लोकल पंचायत समिति तैयार नहीं हो उस वक्त तक वाटर वर्क्स किसे हैण्ड ओवर करे, कौन वर्क करे; इसलिए जरूरी होता है कि पंचायत समिति पहले रिज़ोल्यूशन, प्रस्ताव पास करती है । उसके बाद कलेक्टर लिख देता है कि इसकी फाइनेन्शियल पोज़ीशन है कि इस स्कीम को हाथ में ले सकती है तो हो जाता है ।

श्री अब्दुलजब्बार : मसला यह है, मैं मंत्री महोदय को बताऊं, वह पंचायत समिति अलग है जहां पानी चाहिए और वह पंचायत समिति अलग है जिसके एरिया में तालाब है। ऐसी सूरत में किस पंचायत समिति से प्रस्ताव पास कराया जाय ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह पंचायत, जिसको पानी लेना है, एक रिज़ोल्यूशन पास करने के बाद पांच पर्सेन्ट कन्ट्रीब्यूशन देने की बात करती है और कलेक्टर उसको सर्टिफाई कर देता है कि इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इस वाटर वर्क्स को चला सकती है तो हो सकता है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या यह मान कर चला जाय कि पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति इस योग्य न हो तो भी पैसा लिये वगैर नल योजना और पानी की स्कीम को सरकार पूरा नहीं कर सकती ?

श्री बरकतुल्ला खां : That is a different question.

श्री अब्दुलजब्बार : पंचायत समिति को यह क्यों दे रखा है, जब उसकी हालत ऐसी नहीं है ?

श्री बरकतुल्ला खां : वह प्रश्न अलग है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उसमें जान डालें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): वाह ! वाह !

प्रश्न संख्या ६६७

श्री उपाध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासिंह !

नागौर में गेहूं का वितरण

६६८. **श्री गंगासिंह (जायल)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला नागौर के नागौर कस्बा में माह फरवरी, १९६५ में गेहूं न होने के कारण जो आटा दिया गया था वह पुराने स्टॉक का था तथा इस आटे में मिलावट थी ?

(२) माह फरवरी में नागौर शहर में गेहूँ क्यों नहीं मिल सका ?

(३) कलेक्टर नागौर ने सरकार को गेहूँ की उपलब्धि न होने की इत्तला की या नहीं ? अगर की, तो कब व सरकार ने उस पर क्या कदम उठाये ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जो आटा नागौर जिले को माह फरवरी, १९६५ में दिया गया वह ठीक था।

(२) यह सही नहीं है।

(३) कलेक्टर नागौर में नागौर जिले की माह फरवरी में गेहूं का कम कोटा प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया था, परन्तु राज्य सरकार को

(श्री नाथूराम मिर्धा)

केन्द्रीय सरकार से गेहूँ का कम कोटा प्राप्त होने के कारण नागौर को अधिक गेहूँ देना सम्भव नहीं हो सका।

श्री गंगासिंह : क्या यह सही है कि माह फरवरी और मिडल ऑफ मार्च में किसी शहर के अन्दर गेहूं नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ गेहूं दिया गया।

श्री गंगासिंह : क्या यह गेहूं का वितरण कस्बों में नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैं नहीं कह सकता कि जितना कोटा नागौर जिले को दिया गया उसका वितरण कैसे हुआ ? यह सूचना नहीं है।

श्री गंगासिंह : क्या यह सही है कि जो आटा दिया गया, उसको एग्ज़ामिन नहीं किया गया था और जो आटा दिया गया था वह खराब आटा होने की वजह से वहां पर लोगों को कई बीमारियों का शिकार होना पड़ा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी पूरी जांच करवा ली गई है। जब आपका सवाल आया, उससे पहले कई लोग मेरे पास आये थे, चेअरमैन आये थे और म्यूनीसिपल बोर्ड के मेम्बर हैं वे आये थे, मैंने उनसे पर्सनल जानकारी की और अब पूरी जानकारी कलेक्टर से करवाने के बाद पूरे तथ्य आ जायेंगे। वैसे आटा शुद्ध था, उसमें चापड़ ज्यादा था, क्योंकि मोटा पिसा हुआ था। वैसे न खराब था और न बीमारी होने के समाचार पूछने पर मिले। यह बात ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

जयपुर नगर परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष पर अदालत द्वारा जुर्माना

६६६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री- यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जयपुर नगर परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष से म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट ने अदालत में गैर हाजिर रहने के अपराध में तीन सौ पचास रुपये हर्जाना वसूल किया था ?

(२) क्या यह भी सच है कि तीन सौ पचास रुपये नगर परिषद् के कोष से जमा करा दिये गये हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सच है कि भूतपूर्व अध्यक्ष, नगर परिषद की गैर हाजिरी के कारण हर्जाना के फी केस २५ रु० के हिसाब से कुल १३ मुकदमों में ३२५) रुपये कायम किये थे जो अदालत में जमा करा दिये गये। वे बीमारी के कारण हाजिर नहीं हो सके थे और उनकी अदम हाजिरी माफ करने के लिए अदालत में दरखास्त भी दी गई थी।

Page No 12

(श्री दौलतराम सारण)

(२) हां, यह सही है कि ३२५) रुपये नगर परिषद् कोष से अदालत में जमा करा दिये गये हैं।

(नोट:—प्रश्न में तृतीय भाग नहीं है किन्तु उत्तर में तृतीय भाग का भी उत्तर दिया गया जो निम्नलिखित है :)

(३) यह हर्जाना उनकी लापरवाही के कारण नहीं हुआ है बल्कि उन्होंने बीमार होने के कारण अदालत में दरख्वास्त भी प्रस्तुत की थी परन्तु अदालत ने दरख्वास्त नामंजूर करके हर्जाना कायम कर दिया था।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि इस नगर परिषद में कोई वकील भी है ? नगर परिषद की तरफ से कोई वकील है ?

श्री दौलतराम सारण : हां, वकील तो है।

श्री जयनारायण सालोदिया : वकील महोदय, जब वह चेयरमैन बीमार थे, तो पहले से अदालत में इस प्रकार की एप्लीकेशन पेश करनी चाहिए थी ?

श्री दौलतराम सारण : एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अदालत ने मंजूर नहीं की।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उस एप्लीकेशन के साथ में मेडिकल सर्टीफिकेट था ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो पेशियों में वे उपस्थित नहीं हों और जुर्माना देना पड़े और आप कहते हैं, सर्टीफिकेट नहीं था, तो बीमार कैसे मानते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : बीमार थे, इसलिए बीमार मानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्रमाण क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रमाण यही है कि नगर परिषद् के चेअरमैन यह कहते हैं कि बीमार था। इतनी बड़ी रेस्पोन्सिबल पोस्ट पर का आदमी झूठ नहीं बोलता, यह मान कर चलते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह मानना गलत है। सर्टीफिकेट तो होना चाहिए। एवीडेंस में ओरल एवीडेंस नहीं चलती ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : क्यों नहीं मानते हैं ? मानते हैं ओरल एवीडेंस ?

श्री दौलतराम सारण: माननीय सदस्य कहें तो उनकी बात पर भरोसा करना पड़ता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : गवर्नमेंट ऑफिसर सर्टीफिकेट पेश न करें, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : यह अदालत में जाने की बात है।

श्री जयनारायण सालोदिया : उन्होंने कहीं इलाज तो कराया होगा, जब बीमार

Page No 13

(श्री जयनारायण सालोदिया)

बीमार थे तो उसका सर्टीफिकेट होना चाहिए ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : बिना इलाज कराये क्या बीमार नहीं हो सकते !

एक माननीय सदस्य : यह वहां भीलवाड़ा के अन्दर हो सकता है । यह साधारणतया होना चाहिए !

श्री मथुरादास माथुर : नेचुरोपैथी का इलाज करायें तो सर्टीफिकेट कहां से आये ?

श्री जयनारायण सालोदिया : उस पीरियड में म्युनीसिपल कमेटी की कोई मीटिंग हुई ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है । यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं साबित करना चाहता हूँ कि वे बीमार नहीं थे ।

श्री दौलतराम सारण : ये साबित करना चाहते है तो लिख कर दे दीजिये, जांच करा लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : वह ठीक है, लेकिन वह समस्या इस प्रश्न से हल नहीं हो सकती ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्वेश्चन में लिख कर दे दिया है ।

श्री दौलतराम सारण : आप क्वेश्चन दे दीजिये, उसके बाद देखा जायगा !

श्री जयनारायण सालोदिया : बीमारी या उनकी लापरवाही ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अभी माननीय मन्त्री ने कहा कि इतने बड़े आदमी ने जब कह दिया तो उसको मानना पड़ता है; इतने बड़े बड़े आदमियों में कौन कौन लोग आते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जन-प्रतिनिधि ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७००

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री हरिराम धारू ।

सफाई, मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति सुधारने हेतु कमेटी का निर्माण

७०१. **श्री हरिराम धारू** (सिवाना-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्री हरीराम घारू)

राजस्थान की नगरपालिकाओं और परिषदों में कार्य कर रहे सफाई मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिये क्या राज्य स्तर पर कोई कमेटी नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं।

श्री हरिराम घारू : क्या म्युनिसिपैलिटी में मेहतर पर्मनेन्ट हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सब पर्मनेन्ट नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या इससे यह माना जावे कि जितने मजदूरी करते हैं हरिजन म्युनिसिपैलिटी में; उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति ठीक है; आपने कहा कि 'जी नहीं'। क्या सफाई मजदूर जो हरिजन है उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति को आप संतोषजनक मानते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : संतोषजनक तो नहीं मानते, लेकिन बराबर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है और सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है और प्रयास कर रही है। लेकिन इस समय कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्यों नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : आपको पहले से ही जानकारी है कि सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है। इसके लिये कई कमेटियां बनीं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हैं और उनकी जानकारी के कारण अन्य किसी कमेटी की जरूरत नहीं है।

श्री हरिराम घारू : सरकार उन कमेटियों की रिपोर्ट को कार्यान्वित करेगी।

श्री दौलतराम सारण : मलकानी कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने है और हरिजनों की कमेटी बनी है उसके माननीय सदस्य भी मेम्बर हैं और भी कई कमेटियां हैं।

श्री हरिराम घारू : उनके पर्मनेन्ट नहीं होने से उनको पेन्शन नहीं मिलती है और वे बुढ़ापे में तकलीफ पाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह उनको मिलनी चाहिये, आप यह चाहते हैं। (मन्त्री महोदय से) वह मिलनी चाहिये या नहीं, रिटायर होने पर ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिकाओं की सर्विसेज पेन्शनेबल नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ये पोलिसी का प्रश्न पूछते हैं।

श्री हरिराम घारू : जयपुर की आबादी ३ लाख से ७ लाख के करीब हो गई है। मगर मेहतर सफाई करने वाले पहले थे वे के वे हैं। क्या सरकार हरिजनों की संख्या बढ़ावेगी।

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका अपनी सुविधा के अनुसार सफाई कर्मचारियों को बढ़ाती है और आवश्यकतानुसार रखती है।

श्री मथुरादास माथुर : आप क्या चाहते हैं, आप बता दें ?

(एक कागज देते हैं)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती सुमित्रा।

प्रश्न संख्या ७०२.

श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

मक्की का निर्यात

७०३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि इस वक्त दस हजार टन मोटा अन्न हमारे राज्य से गुजरात राज्य को दिया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि गुजरात की मिलों में स्टार्च बनाने के लिये राजस्थान की मक्की कई वर्षों से बराबर काम में ली जा रही है ?

(३) क्या सरकार ने यह दस हजार टन मोटा अन्न देते समय वह आश्वासन दिया है कि स्टार्च बनाने के लिये इस मक्की का उपयोग नहीं किया जायगा ?

खाद्य मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) इस विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(३) गुजरात सरकार को मोटा अनाज जनता में सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरित किये जाने के लिये दिया गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कई वर्षों से लगातार राजस्थान की मक्की स्टार्च बनाने में काम में ली जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि अभी नहीं जा रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कई वर्षों से लगातार जा रही है। पिछले साल गई या नहीं आप बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब खुला व्यापार होता था तो कहीं से माल कहां पर जाता है और उसका क्या यूज होता है, उसकी सारी जानकारी सरकार के पास नहीं होती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने कहा कि कोई जानकारी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो कहीं भी जा सकता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या राज्य सरकार के सामने प्रश्न उठाने पर जानकारी करने की आवश्यकता है ? अगर

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत)

संसद में जानकारी दी है तो क्या इसकी जानकारी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह समझता हूं कि स्पष्टतया इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। पहले नियम नहीं था। अब नियम हो गये हैं। अगर कोई दूसरी बात आपकी जानकारी में हो तो आप पूछ लें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने यह कहा कि जानकारी नहीं थी। मैंने प्रश्न उठाया था और जानकारी दी...

श्री उपाध्यक्ष : उसके परिणामस्वरूप तो नियम बदले हैं।

नेक्स्ट।

अकाल के दौरान मजदूरी का भुगतान

७०४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जोहड़ा जोगनाथ, ग्राम कालासर, तहसील बीकानेर के के पिछले अकाल के दौरान की गई मजदूरी का करीब ५००० रु०, जिनका मस्टर रोल यथा समय तहसील में जमा करा दिया गया था, का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में पंचायत समिति, बीकानेर ने भी यथा समय अपने प्रस्ताव द्वारा पेमेन्ट करने हेतु जिलाधीश से निवेदन किया था ? अगर हां, तो अब तक मजदूरों को पेमेन्ट न मिलने का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, यह सही है। जोगनाथ तलाई की खुदाई के लिए सरकार ने १०,०००) रु० मन्जूर किये थे और गांव वालों ने बिना मन्जूरी के काम चालू रखा तथा जो काम १०,०००) रु० का किया वह भी कम किया और बिना स्वीकृति के काम चालू रखा। इस तालाब के लिये १०,०००) रु० जो मन्जूर किये थे उनका भुगतान कर दिया गया है। जो बिना स्वीकृति के काम चालू रख कर रु० ३११८) ६६ पैसे के मस्टर रोल तहसील कार्यालय बीकानेर में पेश किए गए थे वे न तो सरकारी मस्टर रोल फॉर्म पर ही थे और न नियमानुसार ही तैयार किये थे। इन मस्टर रोलों पर किसी भी अफसर, पटवारी, सुपरवाइज़र अथवा सरपंच के भी हस्ताक्षर नहीं थे। जो गांव वालों ने मन्जूर शुदा १०,०००) रु० का किया था वह भी पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा जांच कराने पर तथा जिलाधीश की जांच करने पर केवल ७५,००) रु० का होना ही पाया गया जब कि राज्य सरकार ने मन्जूर की हुई धनराशि का भुगतान कर दिया है। केवल रु० ३११८) ६६ पैसे का भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि काम बिना सरकारी स्वीकृति के चलाया गया था और मस्टर रोल ठीक तरह से तैयार नहीं किये थे, न किसी पटवारी या अधिकारी या सरपंच आदि के ही हस्ताक्षर थे।

(२) जी हां, यह सही है। पंचायत समिति, बीकानेर ने भी एम. एल. ए. साहब

(श्री भीमसिंह)

की तरह इन मस्टर रोलों का पेमेन्ट करने के लिये प्रस्ताव जिलाधीश, बीकानेर को भेजा था परन्तु इस जोहड़ पर काम कम होने तथा मस्टर रोल नियमानुसार नहीं बनाये गये थे और न किसी अधिकारी के या सरपंच, पटवारी के मस्टर रोलों पर हस्ताक्षर हैं। काम भी पी. डब्ल्यू. डी. की जांच के अनुसार १०,०००) रु० के स्थान पर केवल ७,५००) रु० का ही होना पाया है। अतः इस प्रकार से इन मस्टर रोलों का भुगतान नहीं किया गया है।

जो कार्य गांव वालों ने १०,०००) रु० का मन्जूर शुदा किया था उसका भुगतान किया गया और बिना स्वीकृति के और काम चलाया गया; उसके मस्टर रोल ठीक तरह से नहीं तैयार किये गये, उसका भुगतान रु० ३,११८)६६ पैसे का नहीं किया गया है।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, ३,११८) रु० का भुगतान नहीं किया। क्या सरकारी कर्मचारियों ने गांव वालों को मना किया कि आयन्दा पैसा नहीं देंगे ?

श्री भीमसिंह : वे तो सरकारी रेवेन्यू एजेन्सी के थ्रू होते थे और उन कामों की देख-रेख के लिये पटवारी लगाये गये थे। सरकारी मस्टर-रोल नहीं थे और बाद में गांव के लोग वहां पर काम को चलाने लग गये और कच्चे कागजों पर मस्टर रोल बना कर पेमेन्ट लेना चाहते थे। वे कैसे ले सकते हैं ?

श्री भीमसेन : यह बिल्कुल गलत है। सरकारी मस्टर रोल पर ही थे। सुपरवाइज़र द्वारा तैयार किया गया। गांव वालों ने कहा कि काम चालू रखा रहे हैं। तहसीलदार ने कहा कि आप काम चालू रखो, पेमेन्ट होगा। बाद में उनको हैरान करने के लिये अब पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है।

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह जानकारी है कि जो मस्टर रोल उन्होंने भरे वे सरकार द्वारा दिये जाने वाले फॉर्मो पर नहीं भरे. माननीय सदस्य एक नई बात कह रहे हैं, इसकी मैं दुबारा जांच करा लूंगा। रही सुपरवाइज़र की बात, एक सुपरवाइजर गवर्नमेंट अपोइन्ट करती है और एक सुपरवाइज़र गांव वाले अपना रखते हैं। मेरी इन्फोर्मेशन यह है कि जब १० हजार का काम पूरा हो गया, उसके बाद वहां पर राज्य द्वारा रखा हुआ कर्मचारी नहीं था।

श्री भीमसेन : जो शुरू से सुपरवाइज़र था आखिर तक वही रहा है। उसी सरकारी सुपरवाइज़र द्वारा दिये गये फॉर्म पर मस्टर रोल भरे गये हैं। सरकार की तरफ से यह कहना कि गांव वालों का अपना सुपरवाइज़र था, यह गलत है। दूसरी बात यह है कि अकाल के दौरान में हजारों काम शुरू किये गये थे, किसी गांव में शिकायत आने पर भी पी० डब्लू० डी० द्वारा जांच नहीं कराई गई तो फिर इसके लिए जांच करवाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री परसराम मदेरणा : जब माननीय सदस्य जैसे जिम्मेदार व्यक्ति पेमेंट के लिए मुद्दा उठाते है तो कलेक्टर ओवरसियर को साथ लेकर मौके पर गये, खास तौर से इसलिये गये कि पंचायत समिति का रिज़ोल्यूशन आया और माननीय सदस्य ने जोर

Page No 18

(श्री परसराम मदेरणा)

डाला कि पेमेंट होना चाहिये । माननीय सदस्य कहते हैं तो कलेक्टर के लिये जाना जरूरी हो जाता है ।

श्री भीमसेन : माननीय मंत्री महोदय ने यह सूचना दी है वह भी गलत है । पंचायत समिति ने रिज़ोलूशन पास किया, उससे पहले कलेक्टर ने मौके पर पहुंच कर जांच की । मुख्य मंत्रीजी खुद मौके पर गये थे और उन्होंने गांव वालों को एन्करेज करने के लिए कहा था कि काम शुरू रखा जायगा ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले फेमिन डिपार्टमेंट के जरिये मैं जांच करा लूंगा और बाद जांच के जो आवश्यक होगा किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवलियाराम !

चिकसाना केनाल

७०४. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-पु.): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील रूपवास (भरतपुर) में चिकसाना केनाल करीब २।। मील लम्बी तेहरा लोघा को जाती है जिसके दोनों तरफ बंधुली नहीं होने के कारण पानी रास्ते ही में फैल जाता है और करीब २।। हजार बीघा जमीन की सिचाई नहीं हो पाती ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस केनाल को चौड़ा व गहरा करने और दोनों तरफ बंधुली बनवाने का विचार रखती है ।

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां ।

(२) जी नहीं, यह नहर आरम्भ से ही वन साइड बैंक केनाल है । और इसे मुख्यतया अजान बन्ध से बाढ़ का पानी निकालने के लिए बनाया गया था । अधिक बाढ़ का पानी आ जाने से कठिनाई उत्पन्न होती है और नहर की क्षमता से अधिक पानी आने से कई दफा तो यह नहर आकस्मिक ही टूट जाती है और कई दफा ऐसे अवसर पर इसे उचित स्थान पर काटना भी पड़ता है । बाढ़ का अधिक पानी निकालने के लिए नहर की क्षमता बढ़ाने के लिये जांच की जा रही है ।

सर्वेक्षण आदि का कार्य पूर्ण होने पर आवश्यक कार्य करवाना संभव होगा ।

श्री सांवलियाराम : इसके अलावा तेहरालोघा की १३ हजार बीघा जमीन की सिचाई होती है, नहर में मिट्टी भर जाने से उसकी गहराई बिल्कुल कम हो गई है, इसलिये इस नहर की खुदाई कराना बहुत जरूरी है; इस बारे में मन्त्री महोदय कुछ कहें ।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने प्रश्न के भाग (३) के उत्तर में कहा है कि बाढ़ का अधिक पानी निकालने के लिये नहर की क्षमता बढ़ाने के लिये जांच की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

गुड़ इम्पोर्ट करने की मोनोपोली और क्रय-विक्रय संघ

७०६. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गुड़ इम्पोर्ट करने की मोनोपोली क्रय विक्रय संघ को दी है।

(२) एक मात्र एजेंसी होने पर भी पूरा कोटा क्यों नहीं मंगवाया गया ?

(३) कोटे के व्ययगत (लैप्स्ड) होने के क्या कारण हैं ?

(४) गुड़ के व्ययगत कोटे पर क्या ढाई रुपये क्विन्टल चार्ज किया गया ?

(५) क्या क्रय-विक्रय संघ ने इसके खुद के भाव निश्चित किये ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, दी गई थी।

(२) पूरा कोटा नहीं लाने के निम्न कारण थे :

(अ) जिन मंडियों में गुड़ का अलोटमेंट किया गया था उनमें से कुछ मंडियों में गुड़ का उपलब्ध नहीं होना।

(ब) रेल के वेगन्स नहीं मिलना।

(स) राजस्थान व अन्य राज्यों के परमिट एक साथ यू. पी की मंडियों को मिलना।

(३) प्रश्न के भाग २ में कोटे के लैप्स होने के कारण स्पष्ट कर दिये गये हैं।

(४) लैप्स कोटे पर चार्ज नहीं किया गया, बल्कि ऐसे लैप्स कोटे में से जो गुड़ यू. पी. की पार्टीज़ ले कर आई थीं उसके आयात परमिट भी संघ के नाम सोल इम्पोर्टर होने के नाते दिये गये। जिस पर संघ ने २।।) रु० प्रति क्विन्टल कमीशन चार्ज किया।

(५) जी, नहीं। क्रय विक्रय संघ ने राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के तहत भाव तय किये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि आपने खुद ने इस बात का सर्कूलर जारी कर दिया था कि क्रय विक्रय संघ अपने खुद के भाव निश्चित करेगा और कलेक्टर को सूचना देने का कहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फिर प्रश्न (५) क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रश्न यह है कि "क्या क्रय-विक्रय संघ ने इसके खुद के भाव निश्चित किये" ?

किसके ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : गुड़ के।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, पूरा सवाल पढ़िये, फिर पूछिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने पढ़ लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं पढ़ा है। एक दफा फिर अच्छी तरह पढ़ लीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो गुड़ आयात हुआ, क्रय विक्रय संघ की मार्फत आया, क्या यह सही है कि क्रय विक्रय संघ को भाव मुकर्रर करने का तय कर दिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं निवेदन करता हूं कि आप प्रश्न को पढ़िये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सप्लीमेंटरी है, मेरे सप्लीमेंटरी का उत्तर दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : पांचवा प्रश्न है वह ऊपर वाले कोटा से सम्बन्ध रखता है। जो कोटा यू. पी. की पार्टीज़ यहां लाई थी, उनके भाव फिक्स करने के बारे में है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये। प्रश्न में जो शब्द लिखे हैं उनके अलावा सप्लीमेंटरी नहीं किया जा सकता क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका जवाब दे दिया है, 'जी हां''। क्रय विक्रय संघ को अधिकार था कि वह भाव तय कर ले।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि सर्कूलर देरी से निकाला गया, उस सूरत में क्रय विक्रय संघ के लिये लाजमी था कि कलेक्टर द्वारा भाव मुकर्रर कराता। पर क्रय विक्रय संघ ने कलेक्टर के द्वारा भाव मुकर्रर नहीं करवाए, क्या यह सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी। यह सही नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कभी इन्फोर्मेशन नहीं दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कृष्णकुमार गोयल !

कोटा डेम पर कार्ट ट्रैक चेनल का निर्माण

७०७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि चम्बल के बायें किनारे पर कोटा डेम पर कार्ट ट्रैक चेनल बनवाई गई है ? अगर हां, तो कार्य कब आरम्भ होकर कब समाप्त हुआ और उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(२) उक्त चेनल किस कार्य के लिये बनाई थी व उसका उपयोग कब से आरम्भ हुआ ?

(३) उक्त कार्य में रोक कटिंग पर किस दर से खर्चा आया ?

(४) क्या यह सत्य है कि अब उक्त चेनल बांई ओर से हटा कर दांई ओर बनवाई जा रही है ? अगर हां तो क्यों व इस पर क्या व्यय होगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सत्य है कि टेल कार ट्रेल जिसे प्रश्न में कार ट्रैक चेनल कहा

(श्री दौलतराम सारण)

गया है, यह चम्बल नदी के बांयें किनारे पर तैयार की गई है। टेल, कार ट्रैक का कार्य दिनांक २६-६-६३ से प्रारम्भ हुआ तथा माह नवम्बर सन् १९६३ में समाप्त हुआ। इसकी खुदाई पर ४३ हजार रुपया व्यय हुआ।

(२) टेल कार कंकरीट के ले जाने के लिये बनाई गई थी, अभी तक इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है।

(३) इस कार्य में रॉक कटिंग पर प्रति एक हजार घन फीट पर ३३१ रू० व्यय हुए।

(४) इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि आपने जो खुदाई करवाई वह सरकारी विभाग के द्वारा करवाई थी ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि खुदाई का शिड्यूल्ड रेट १९० रुपया प्रति एक हजार घन फीट है और ३३१ रुपया प्रति एक हजार घन फीट के हिसाब से खर्च हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो जो खर्चा आया है वह निवेदन किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दूसरा प्रश्न यह है कि जो शिड्यूल्ड रेट आपके डिपार्टमेंट की है वह १९० रुपया प्रति एक हजार क्यूबिक फीट है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि शिड्यूल दर क्या है। यह आपने पूछा, उसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस कार्य को करने के लिये टेन्डर्स इन्वाइट न करने के क्या कारण हैं ?

श्री दौलतराम सारण : विभागीय कार्य है, सरकार ने करवाया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कन्ट्रेक्टर्स के द्वारा क्यों नहीं करवाया ?

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सरकार को जल्दी करवाना था, सोचा, विभाग जल्दी करेगा, इसलिये विभाग द्वारा करवाया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने कहा कि सरकार को जल्दी करवाना था, इसलिये विभाग के द्वारा करवाया, पर यह कार्य ६३ में पूरा हो चुका है पर अभी तक यह कार्यरूप में नहीं आया है। यदि सरकार को जरूरत थी, काम में आने के लिये करवाया था, इसलिये जरूरत समझ कर तैयार करवाया तो काम में क्यों नहीं लिया गया ? यह तो सत्य है कि ६३ में कम्प्लीट हो गया, पर आज तक यह ट्रैक उपयोग में नहीं आया है।

श्री दौलतराम सारण : डेम में बहुत से काम होते हैं, अलग तरीके से किये जाते हैं। एक साथ सबको किया जाय तो संभव नहीं है, इसलिये आवश्यकतानुसार कई कार्य पहले करने पड़ते हैं। विभागीय तौर पर यह कार्य किया गया और जो ठेका दिया गया था.........

श्री कृष्णकुमार गोयल : ठेका दिया गया है ?

Page No 22

श्री दौलतराम सारण : सुनिये तो सही। आगे जो सारे डेम का ठेका दिया है तो उसमें विभागीय कार्य का विवरण अंकित कर दिया है और उस हिसाब से टेन्डर इन्वाइट किये, इसमें माननीय सदस्य को आपति क्या है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि श्री के. एल. राव ने इस कार्य को इन्स्पेक्ट किया था, विजीट किया था और उनकी यह राय है कि इस ट्रेक को बायें साइट पर बनाया है, यह ठीक नहीं; ट्रेक दायें किनारे पर बनाया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : बायें किनारे पर रहे या दायें किनारे पर रहे, इसमें विशेष आपत्ति की बात नहीं है। बायें किनारे पर बन गया है, जिस कम्पनी को ठेका दिया है उसके इन्जीनियर्स की राय है कि दायें किनारे पर बनाया जाय, इस पर विचार चल रहा है। दायें किनारे पर बनाने का निर्णय हो जाय तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ियों का स्लोप है, वहां पॉवर हाउस लगेगा, बरसात का जो पानी आयेगा, उसको डायवर्ट करने के लिये इस बायें ट्रेक को काम में ले लिया जायगा और जो वर्क होगा, कन्करीट आदि लेने के लिये उसे काम में ले लिया जाएगा। तो इसके बनने से कोई नुकसान नहीं है। माननीय सदस्य को यह चिन्ता है कि यह व्यर्थ व्यय हुआ है लेकिन यह चिन्ता निर्मूल है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्योंकि आपके ट्रक का कार्य चल रहा है, यह ट्रक आपके कॉन्क्रीट ले जाने के काम में आता है, आज तक नहीं काम में आया है इसलिए ट्रक बेकार पड़ा है और इसलिए आपके कॉन्ट्रेक्टर्स की राय है कि दांई ओर इसको लाया जाय। इसका मतलब यह हुआ कि जिस कॉन्क्रीट को ले जाने के लिए यह बनाया गया था उसके लिए बिल्कुल बेकार रहेगा।

श्री दौलतराम सारण : यह निश्चित नहीं हुआ है कि बांई या दांई तरफ रहे इसलिए तब तक माननीय सदस्य का कहना सही नहीं है और आपकी चिन्ता व्यर्थ की है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि रॉक कटिंग की शिडूल्ड रेट १६०) ६० प्रति १००० क्यूबिक फीट है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जो सूचना आप दे रहे हैं यह ठीक भी हो सकती है; पर आप जानते हैं कि एक डिमाटमेंट एक पर्टीक्यूलर जगह पर काम करता है और रॉक कटिंग का स्टैंडर्ड और लेविल एक जगह से दूसरी जगह वैरी करता है। यह जरूरी नहीं है कि उसी शिडूल्ड रेट पर टेन्डर आए, नीचे-ऊपर आ भी सकता है। अगर शिडूल्ड रेट से ज्यादा दिया गया है तो इसका मतलब एरिया डिफिकल्ट है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन......

श्री उपाध्यक्ष : अब समय नहीं है। ऑर्डर प्लीज। श्री जुझारसिंह।

ग्राम सालोतिया में डीजल सेट द्वारा सुविधाएं तथा उस पर व्यय

७०८. **श्री जुझारसिंह** (चेचट): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जुझारसिंह)

(१) क्या यह सही है कि तहसील झालरापाटन के गांव सालोतिया में सिचाई के प्रयोजन हेतु अभी तक विभाग एक डीज़ल सेट चला रहा है जबकि इसके फार्म को एक मील की दूरी से ही विद्युत् शक्ति गांधी सागर से सुविधापूर्वक उपलब्ध कराई जा सकती है ?

(२) इस फार्म में डीज़ल तथा जल विद्युत चलाने का तुलनात्मक व्यय क्या होगा तथा अभी तक अधिक मितव्ययी प्रणाली क्यों नहीं अपनाई गई है ?

(३) सालोतिया में डीज़ल यूनिट का वार्षिक संधारण (मेन्टीनेन्स व्यय) गत ५ वर्षों में, प्रशासनिक व्यय, सहित क्या रहा है तथा काश्तकारों को पानी किस दर पर दिया गया है ? सालोतिया परियोजना से गत पांच वर्षों में प्राप्त हुई वार्षिक आय वर्ष वार बताने की कृपा करें।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, किन्तु विद्युत् शक्ति पम्पिंग स्टेशन से १॥ मील दूरी से उपलब्ध हो सकती है।

(२) इस प्रणाली को विभाग द्वारा अभी अपनाया नहीं गया है, अतः तुलनात्मक व्यय आंका नहीं जा सकता।

(३) सालोतियां डीज़ल यूनिट का गत पांच वर्षों का संधारण (मेन्टीनेन्स) व्यय जो किया गया एवं आय निम्न प्रकार है :

सन्	संधारण व्यय	सिंचाई की रकम
१९५९-६०	५१००.००	२७१०.००
१९६०-६१	६६१४.००	२७७३.००
१९६१-६२	४६८०.००	२७८०.००
१९६२-६३	४४२९.००	२७७२.००
१९६३-६४	९३१३.००	२७७६.००

काश्तकारों को पानी ८)रु० प्रति बीघा की दर से दिया जाता है। तीन पानी से अधिक होने पर २.६६ पैसे अतिरिक्त प्रति पानी प्रति बीघा और देना पड़ता है।

श्री जुझारसिंह : आपके कहने का मतलब है कि आपकी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : लिफ्ट इरिगेशन के रिवाइज्ड रेट्स नहीं बने।

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय का जवाब समझ में नहीं आया। कितनी आमदनी है ?

श्री दिनेशराय डांगी : सिंचाई की लिफ्ट इरिगेशन के रेट्स तो रिवाइज़ नहीं किए हैं, रिवाइज़ करने जा रहे है तब तक जो १९३६ के पुराने पम्पिंग सेट्स लगे हुए हैं वही रेट्स लगेंगे।

श्री जुझारसिंह : लिफ्ट इरिगेशन हाइडल पॉवर से कन्सर्न्ड है, उसके रेट्स डेफीनिट हैं, दो आना यूनिट है। डीज़ल एक्सपेन्सिव है। जब एक मील पर आपको बिजली उपलब्ध है और दूसरे भी स्टेशन्स हैं जहां से सिंचाई होती है तो इतनी पास में

Page No 24

(श्री जुझारसिंह)

इलेक्ट्रिक पॉवर होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ क्यों ध्यान नहीं देते ? डीजल से क्यों चला रहे हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : तखमीना करीब ११ हजार का बनता है और ज्योंही इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलेगा त्यों ही हम ऐसा करेंगे।

श्री जुझारसिंह : कम से कम इलेक्ट्रिसिटी आए दो साल हो गए। आपने अभी तो तखमीना बनाया है, साल भर और लगेगा, इससे काश्तकारों को नुकसान होगा, डेफीनिट डेट बताएं।

श्री दिनेशराय डांगी : काश्तकारों का ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या पंचायत समिति झालरापाटन ने निवेदन किया है कि बजाय पम्पिंग सेट्स के बिजली मोटर लगाए जायं ?

श्री दिनेशराय डांगी : मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह : विद्युत् विभाग बिजली देने को तैयार है।

श्री दिनेशराय डांगी : देने को तैयार होता तो हम ले लेते। वह तैयार नहीं है।

प्रश्न संख्या ७०६

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे, देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

आयात किया चावल और क्रय-विक्रय संघ

७१०. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ६२-६३ व ६३-६४ में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ ने राज्य सरकार के आदेशानुसार कितना २ कितनी कीमत का वासुमती चावल का आयात किया ?

(२) इस चावल के आयात तथा वितरण तथा भाव के लिए सरकार द्वारा कब कब क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं ? कृपया इन आदेशों की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) यह चावल किस किस जिले में कितना कितना और किन किन भंडारों तथा क्रय-विक्रय समितियों की मार्फत वितरित किया गया ?

(४) क्या इन भंडारों तथा क्रय विक्रय समितियों के लिए भी सरकार अथवा संघ द्वारा चावल के वितरण के लिए कोई शर्तें निर्धारित की गई थीं ? यदि हां, तो क्या ? कृपया इन आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(वराम)

(श्री भैरोंसिंह)

मुझे जो सूचना दी गई है वह पूरी नहीं।

खाद्य मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : देख लेंगे अगर जरूरी होगा तो...

श्री भैरोंसिंह : जरूरत की चीज नहीं मिली। आपने एक जगह लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अलॉटमेंट जिलाधीशों द्वारा अलग अलग रिटेलर्स को नोमीनेट कर अलॉटमेन्ट किया गया था। उन रीटेलर्स की सूची तथा उस अलॉटमेंट का किस हिसाब से वितरण हुआ है यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

और उस अलॉटमेंट का किस हिसाब से वितरण हुआ है...

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले उत्तर आने दें।

श्री भैरोंसिंह : इनकम्पलीट है बाकी की इन्फोर्मेशन आ जाय तब नेक्स्ट टर्न पर जवाब दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : (१) सन् १९६३-६४ में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ ने कुल ११७९ टन ६ क्विन्टल २९ किलो ९९८ ग्राम बासमती चावल का आयात किया जो ८० रुपए ३८ पैसे प्रति क्विन्टल (एफ० ओ० आर० डेस्टिनेशन स्टेशन) के हिसाब से खरीदा गया।

(२) वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है।

(३) वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(४) जी हां, वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट होने से पहले ही क्रय विक्रय संघ ने चावल का आयात कर लिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बातचीत हो चुकी थी, एग्रीमेंट प्रोसेस में था, फाइनल दस्तखत, हो सकता है, बाद में हुए हों, बाकी किस हिसाब से लाएंगे और बेचेंगे और हमको क्या करना है, उनकी मुख्य बातें तय हो चुकी थीं।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले क्रय विक्रय संघ ने चावल का आयात कर लिया था और जिलों में वितरण करने के लिए डिस्पेच कर दिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जो पहले बताया उतना ही सही है, फाइनल शेप एग्रीमेंट का ड्राफ्ट हुआ, दस्तखत बाद में हुए हैं, उससे पहले कैसे लाना है, क्या शर्तें होंगी, क्या भाव होंगे, किस तरह से माल आएगा, मुख्य मुख्य बातें तय हो चुकी थीं; एग्रीमेंट बाद में साइन किया गया।

Page No 26

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय चावल का आयात किया गया उस समय क्रय विक्रय संघ के पास कोई लाइसेन्स नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्रय विक्रय संघ के जो उद्देश्य हैं उसमें चावल और दूसरी चीजों को लाने का उनको हक था ।

श्री भैरोंसिंह : उनको चावल प्राप्त करने का लाइसेंस था या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार अगर किसी को एजेंट बनाकर मंगवाना चाहे तो लाइसेंस दे सकती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आपने एग्रीमेंट किया उस समय क्रय विक्रय संघ को चावल आयात करने का लाइसेंस प्राइस कन्ट्रोल आर्डर के तहत लेना चाहिए था, जो उसके पास नहीं था ।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बहुत टैक्निकल बात कह रहे हैं । गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया है कि पंजाब गवर्नमेन्ट दे रही है, गवर्नमेन्ट खुद ही लाकर उसको बेचे, यह कहा गया । हमने इसके लिए एक एजेण्ट मुकर्रर कर दिया क्रय विक्रय संघ को ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह जांच की है कि क्रय विक्रय संघ ने चावल का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस एग्रीमेंट में क्रय विक्रय संघ को, इन्डिविजुअल्स को, कन्ज्यूमर्स को चावल देने का प्रावधान नहीं था, फिर काफी लोगों को क्रय विक्रय संघ ने किस प्रकार चावल दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी बात नहीं है । जिसको खुद को लाने का अधिकार है वह जिलों के मार्फत, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत और कलेक्टर के एजेन्ट्स के मार्फत बेच सकता है और उसमें कोई बाधा नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या एग्रीमेन्ट में इस बात का उल्लेख है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत और जहां ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं हैं वहां गवर्नमेन्ट के नोमीनी के द्वारा ही वितरण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, यह एग्रीमेंट में शर्त है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई क्लॉज़ हो तो बता दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ बता देता हूं ।

"The Sangh will not be permitted to sell the rice to any person except the retailers appointed by the Collector in this behalf."

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत बेच सकते हैं । तो यह तो इतनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है खुद ही । क्यों नहीं यह बेच सकती है ? इसलिये आप जो मतलब निकाल रहे हैं वह यह नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मतलब तो आपके और मेरे निकालने से नहीं होगा । मतलब तो जो निकल रहा है वही होगा ।

Page No 27

श्री नाथूराम मिर्धा : हम यह कहते हैं कि चावल क्रय विक्रय संघ लावेगा। उसके बाद सहकारी संस्थाओं और कलेक्टर के नोमीनी के मार्फत उसको बेचा जा सकता है। तो कभी यह मंशा नहीं हो सकती कि क्रय विक्रय संघ जो इतनी बड़ी भारी कोआॅपरेटिव सोसाइटी है वह अपने एजेन्ट मुकर्रर न कर सके।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब क्या है?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका मतलब यह नहीं है कि वह मनमाने ढंग से करे। लेकिन इसका मतलब यह है कि कोआॅपरेटिव सोसाइटी है तो ठीक है, लेकिन जहां कोआॅपरेटिव सोसाइटी नहीं है तो एजेन्ट खुद के द्वारा कलेक्टर को पूछे बिना मुकर्रर नहीं किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि जिन इन्डिविजुअल्स को चावल का वितरण किया गया वे गवर्नमेन्ट के अपोइन्टेड नोमीनी थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन तरीके के हैं। खुद न बेचे, कोआॅपरेटिव सोसाइटी और कलेक्टर के मार्फत नियुक्त लोगों को बेचे।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेन्ट की कॉपी आपने अटेच की है। क्रय विक्रय संघ को सिवाय कोआॅपरेटिव सोसाइटी के या कलेक्टर के एजेन्ट के मार्फत उसको व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने का अधिकार नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह एग्रीमेन्ट का मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो लिखा हुआ है वही तो मतलब होगा, और क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह हम निकालेंगे वह होगा।

श्री भैरोंसिंह : जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स के मार्फत वितरण कराया है, लिस्ट दी है वह इन्कम्प्लीट है, इसको कम्प्लीट कब करा देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या कमी है ?

श्री भैरोंसिंह : आपने पांच डिस्ट्रिक्ट्स की सूचना दी है, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स की सूचना कब देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह बाद में दे दी जावेगी। हो सकेगा तो सदन जब चल रहा होगा दे दी जावेगी, अन्यथा आपको एक चिट्ठी के द्वारा भेज दी जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए तारीख निश्चित कर दी जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : कई जिलों से सूचना आने में देर हो जाती है। मैंने कहा है कि या तो सेशन के दौरान में दे दूंगा या बाद में हम चिट्ठी से भेज देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि क्रय विक्रय संघ ने एक एक, दो दो क्विन्टल व्यक्तिगत कन्जम्पशन के लिए आयात किये हुए चावल दे दिये हैं और इस तरीके से बेजा व्यक्तिगत फायदा उठाने की कोशिश की गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह की कोई शिकायत मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का समय समाप्त हुआ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : यथा-नियम तो हो चुके हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यों तो सब को ही समय देना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सब को ही इजाजत दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इजाजत तो दे देंगे लेकिन बाद में बिल आने वाले हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो क्वेश्चन्स की इन्फोर्मेशन कलेक्ट कर ली गई है वह तो हमें दे दें। It should be got printed.

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर में चीनी के स्पेशल परमिट

६६१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या कलेक्टर बीकानेर ने विवाह व जापे के अवसर पर नागरिकों को चीनी देना बन्द कर रखा है ?

(२) यदि हां, तो यह किस आधार पर बन्द किया गया है ? क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्य बड़े शहरों में विवाह व जापे के लिये चीनी अभी भी दी जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जब बीकानेर दौरे पर गये तब उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया और एक मांग-पत्र भी उन्हें दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी वही स्थिति आज तक चल रही है ?

(४) क्या यह सही है कि कलेक्टर बीकानेर ने बड़े बड़े आदमियों को शादी के लिए स्पेशल परमिट्स के जरिए १-१ क्विन्टल व इससे भी ज्यादा चीनी अलॉट की ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) राज्य सरकार कलेक्टर बीकानेर के इस भेदभाव पूर्ण रवैये को मिटाने के लिए क्या व्यवस्था करना चाहती है ?

उत्तर

१. जी नहीं। दिनांक २१-३-६४ से २३-११-६४ तक बन्द किया गया था।

२. शक्कर का कोटा कम था और राशन कार्ड के आधार पर बचत न होने से स्पेशल परमिट बन्द किये गये थे।

राजस्थान के सभी शहरों में विवाह, जापे के लिए चीनी दी जाती है।

३. तारीख के अभाव में यह बताना सम्भव नहीं है। लेकिन २३-११-६४ से

(श्री खाद्य मन्त्री)

स्पेशल परमिट देना फिर से प्रारम्भ कर दिया।

४. उक्त समय के मध्य में स्पेशल परमिट नहीं दिये गये।

५. बीकानेर जिले में जिलाधीश ने प्राप्त कोटे को ध्यान में रखकर चीनी का वितरण किया है। अतः व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अलवर नगरपरिषद् में वार्डों का सीमांकीकरण

६६४. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर नगर परिषद् में वार्डों का सीमांकीकरण नये सिरे से हाल ही में किया गया है?

(२) क्या यह सही है कि इस नये सीमांकीकरण से अलवर नगरपरिषद् क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा, जिसमें धोबी घट्टा, लाका शिकारियों के बास शामिल हैं, को नगरपरिषद् के किसी भी वार्ड में शामिल नहीं किया गया है और उसे नगरपरिषद् से बाहर निकाल कर ग्राम पंचायत बना दी गई है?

(३) क्या यह सही है कि यह हिस्सा पहले नगरपरिषद् का ही हिस्सा रहा है और उससे पहले भी हमेशा नगरपरिषद् का ही माना जाता रहा है?

(४) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के लोगों की सर्व सम्मत राय है कि उन्हें नगरपरिषद् में ही रखा जावे और उन्होंने इस प्रकार का प्रतिवेदन भी कलेक्टर अलवर के द्वारा सरकार को प्रेषित किया है?

(५) क्या यह सही है कि अलवर जिले के भूतपूर्व कलेक्टर, श्री आर० के० सक्सेना ने यह सिफारिश की थी कि इस क्षेत्र को अलवर नगरपरिषद् की सीमा के अन्दर ही रखा जावे और इसमें जो खाई है वह नगर परिषद् की सीमा बढ़ा कर ठीक कर ली जावे?

(६) क्या यह सही है कि अलवर नगरपरिषद् ने भी सर्व-सम्मति से अपने प्रस्ताव द्वारा यह मांग की है कि यह क्षेत्र अलवर नगरपरिषद् का ही हिस्सा रहना चाहिये?

(७) क्या सरकार इस क्षेत्र को नगरपरिषद् के अन्दर ही शामिल रखने पर विचार करेगी?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) वहां ग्राम पंचायत बनी हुई है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) जनता की दरख्वास्त सरकार को प्राप्त नहीं हुई। जिलाधीश ने इस क्षेत्र को नगरपरिषद् की सीमा में रखने हेतु सरकार को लिखा था।

(५) जी हां।

Page No 30

(श्री स्वायत शासन मन्त्री)

(६) जी नहीं।

(७) यह क्षेत्र नगरपरिषद् की सीमा में नहीं था। अब उसे नये सिरे से नगर-परिषद् क्षेत्र में मिलाने का मामला विचाराधीन है।

खाद्यान्न पहुंचाने का खर्चा

६६७. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर शहर–प्रथम): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि खाद्यान्न बेचने के भाव उत्पादन केन्द्रों व उपभोक्ता केन्द्रों में एक सा नियत किया हुआ है? यदि हां, तो उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ता केन्द्रों तक खाद्यान्न का पहुंचाने का खर्चा कौन देगा?

उत्तर

(१) राज्य सरकार ने गेहूं के बेचने के भाव अधिक से अधिक–लाल का भाव ५३ रु० प्रति क्विन्टल और सफेद का भाव ६४ रु० प्रति क्विन्टल निर्धारित किया है।

अतः उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ता केन्द्र तक पहुंचाने के खर्चे का प्रश्न ही नहीं उठता।

पोंग व व्यास बन्ध परियोजनाएं

७००. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या मंत्री, राजस्थान केनाल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार पोंग बन्ध तथा व्यास बन्ध परियोजना को अपने प्रबन्ध में सम्मिलित करने को सहमत हो गई है?

उत्तर

जी नहीं, इस विषय में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजा गया।

चिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र व शहर में चीनी का वितरण

७०२. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनूं): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या १३ टन गुड़ व शक्कर का कोटा चिड़ावा शहर व पंचायत समिति क्षेत्र चिड़ावा (झुंझुनूं) के लिये कण्ट्रोल रेट पर बेचने हेतु श्री रामकुंवार मूलचन्द को दिया गया था?

(२) क्या इसका वितरण ठीक प्रकार से हो गया है? यदि हां, तो कहां कहां, कितना व किसको दिया गया?

उत्तर

(१) श्री रामकुंवार मूलचन्द को पंचायत समिति मुहाना, पंचायत समिति खेतड़ी व पंचायत समिति चिड़ावा में वितरण करने के लिए दिया गया था।

(२) उक्त गुड़ क्षेत्र के २५१ परिवार में वितरण किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बापूनगर (सेवार क्षेत्र) के निवासियों को सुविधाएं

६३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बापूनगर (सेवार क्षेत्र) के निवासी आवश्यक नागरिक सुख-सुविधायें, जैसे सड़कें, पथ-प्रकाश (स्ट्रीट लाइट्स), पानी तथा ड्रेनेज लाइन, सफाई की सुविधायें तथा मार्गों पर से सार्वजनिक बाधा (पब्लिक न्यूसेन्स) अवरोधों तथा अनधिकृत अतिक्रमण (अनअथोराइज्ड एन्क्रोचमेन्ट्स) के हटाने आदि के अपने मामले के लिये निरन्तर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका के प्राधिकारी सेवार क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुज्ञा (परमिशन) देने से लगातार इन्कार करते रहे हैं? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह क्षेत्र राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १६५६ की धारा १७१ के अधीन ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है कि जहां अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती तथा क्या यह तथ्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजकीय राज-पत्र में अधिसूचित (नोटीफाई) कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसी अधिसूचना (नोटीफिकेशन) की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या यह सही हैं कि सड़कें, पथ-प्रकाश आदि उपलब्ध किये जाने की उसकी मांगों पर ध्यान दिये बिना ही इस क्षेत्र के निवासियों पर नगरपालिका के प्राधिकारियों द्वारा कर लगाया जा रहा है जबकि आपत्तियों की सुनवाई के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम-कोर्ट) की संव्यवस्था से यह स्पष्टतः लक्षित है कि नगरपालिका द्वारा लगाये जाने वाले करों का कुछ युक्तिसंगत संबंध उस पर आरोप कर्तव्यों के साथ होना चाहिये ?

(४) क्या यह सही है कि भवन निर्माण के लिये अनुज्ञा अस्वीकृत करना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १६५६ की धारा १७१ के प्रावधानों के विपरीत है, चाहे यह तथ्य राजकीय राजे-पत्र में अनुसूचित कर दिया गया हो ? यदि हां, तो यह अनियमितता किस कारण चलती रही ?

(५) क्या यह सही कि क्योंकि नगरपालिका ने प्लान स्वीकृत नहीं किये तथा भवन निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी थी इसलिये सरकार द्वारा (एल० आई० जी० एच० योजना के अधीन) स्वीकृत ऋणों की राशि खजाने से नहीं निकाली गई तथा इस राशि का व्यपगमन हुआ तथा संबंधित व्यक्तियों को अत्यधिक आर्थिक-भार तथा कठिनाइयां वहन करनी पड़ी ?

(६) क्या यह सही है कि सेवार क्षेत्र के कतिपय भाग भूमि के प्लान में बताये गये मार्गों पर के अवरोधों के कारण मुख्य सड़क से बिल्कुल अलग किये हुए हैं तथा वहां के निवासियों के लिये अपने घरों से बाहर आने का कोई नियमित मार्ग नहीं है ? यदि हां, तो नगरपालिका ने ऐसे अवरोधों के हटाने हेतु क्या कार्यवाही की है तथा उन्हें कब तक हटा सकना सम्भव होगा ?

Page No 32

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(७) क्या यह सही है कि सेवार क्षेत्र के निवासियों के अनुरोध पर प्रशासक, स्वास्थ्य अधिकारी तथा नगरपालिका इंजीनियर ने इस क्षेत्र का दौरा किया था तथा अवरोधों एवं मार्गों पर से अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने तथा कमियों वाले क्षेत्र में सफाई की सुविधायें तथा बिजली लगाने की व्यवस्था करने का वचन दिया था ? यदि हां, तो वचन का किस सीमा तक पालन किया गया है ?

(८) क्या यह सही है कि नगर विकास मण्डल, जयपुर द्वारा तैयार की गई सारे बापूनगर की योजना में सेवार भूमि भी सम्मिलित थी, अतः यह विकास ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना का ही एक अंग है ?

(९) क्या यह सही है कि सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के संबंध में जागीरदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है जबकि गृह निर्माण योजना की स्वीकृति के समय ही जागीरदार से इस क्षेत्र के विकास का दायित्व लेने के लिए कहा जाना चाहिए था ? यदि हां, तो सरकार इस सार्वजनिक समस्या को, जबकि इस भूमि पर ७० पर्सेन्ट मकानों का निर्माण हो चुका है, किस प्रकार सुलझाने का विचार रखती है ?

(१०) क्या यह सही है कि सड़कों के अभाव में और सड़कों के लिए प्रथक्–रक्षित (ईयरमार्क्ड) भूमि पर अतिक्रमण के कारण आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड तथा रोगी वाहन (एम्बूलेन्स) भी नहीं पहुंच पाते और इस प्रकार अग्नि-काण्डों से होने वाली हानि सैंकड़ों गुना अधिक हो सकती है तथा राज्य की राजधानी में बसने वाला रोगी हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने के उपरान्त भी मर सकता है ?

(११) क्या यह सही है कि भूतपूर्व प्रभारी मंत्री ने सेवार क्षेत्र के एक शिष्ट-मण्डल से अपने निवास स्थान पर साक्षात्कार की अनुमति लेने तथा उनके दुःखों को सुनने से साफ-साफ मना कर दिया था ?

उत्तर

(१) जी हां । अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में भूमि प्राइवेट होने के कारण जब कभी भी उठाने का प्रश्न आया तब ही लोगों ने उसके ऐवज में भूमि देने की प्रार्थना की और यह आपत्ति की कि वे ठाकुर साहब की भूमि में वर्षों से आबाद हैं और उनके द्वारा ही कोई अन्य स्थान बताये जाने पर अपने अनाधिकृत बनाये झोंपड़ों आदि को हटा सकेंगे । सड़क, नालियां, बिजली व पानी आदि हेतु ठाकुर साहब सिवाड़ को बार-बार लिखा जा चुका है, परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । अतः उनको पुनः नोटिस दिया जा रहा है ।

(२) इस क्षेत्र को राजस्थान नगर-पालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७१ के अधीन नोटिफाई नहीं किया गया है ।

(३) राजस्थान नगरपालिका अधि-नियम, १९५९ की धारा १०४ के अन्तर्गत गृह-कर टैक्स की वसूली ओब्लीगेटरी है जिसे कौंसिल वसूल कर रही है । स्ट्रीट लाइट व पानी की सुविधा उपलब्ध करने के पश्चात् परिषद् खर्चा वहन करती है ।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

(४) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(५) अनुमति-पत्र दिये जा रहे हैं । शेष प्रश्न इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है । किसी गबन की जानकारी नहीं है ।

(६) प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त रूप से पहले प्रश्न के उत्तर में वर्णित किया जा चुका है । ठाकुर साहब सिवाड को जो नोटिस सड़के आदि बनाने के सम्बन्ध में भेजा जा रहा है उसका समुचित उत्तर प्राप्त होने पर या उनके द्वारा सड़कें आदि का कार्य हाथ में लेने पर ही यह प्रश्न हल हो सकता है । निश्चित अवधि में यह उत्तर प्राप्त न होने की दशा में इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी और रास्ते में जो रुकावट पैदा की गई है उनको हटाने की कार्यवाही भी की जावेगी ।

(७) परिषद् की ओर से जनता के हित में आर्थिक अवस्थानुसार हर सम्भव प्रयास नल, बिजली व सड़कें आदि बनाने के हेतु किया जाता है । परन्तु इस क्षेत्र में इन कार्यों के जिम्मेवार प्रथम तो भूमि बेचने वाले जागीरदार दूसरे वे निवासी है, जिन्होंने बिना इन सुविधाओं के निश्चित आश्वासन के जमीन खरीदी है । ठाकुर साहब से सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(८) जी नहीं ।

(९) नगरपरिषद्, जागीदार को बार-बार लिख रही है । समस्या समाधान हेतु आवश्यक सम्भव कार्यवाही यथा-स्थिति की जा रही है ।

(१०) इस प्रश्न का उत्तर बसने वाले लोगों से ही थोड़ा बहुत सम्बन्ध अवश्य रखता है । बसने वालों को भी यह ध्यान जरूरी हो जाता है कि जहां वे निवास के लिये हजारों रुपया व्यय कर रहे हैं वहां उनके जीवन की सुरक्षितता के क्या साधन हैं और व्यक्ति उनसे भूमि का मूल्य प्राप्त कर रहा है वह उनके इस जीवन-सुरक्षा के मामले में कितना सहायक होगा । नगर-परिषद् दुर्घटनाओं के उत्पन्न हो जाने पर सड़क तो क्या छोटे-छोटे कच्चे और तंग रास्तों में एवं गलियों में भी जनता के सहायक होने का पूर्ण प्रयास करती है और ऐसी दुर्घटनाओं पर काबू पाने की हर सम्भव कोशिश करती है ।

(११) ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

नगरपालिका निम्बाहेड़ा की वार्षिक आय

६४. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका निम्बाहेड़ा की वार्षिक आय कितनी है ?

(२) इस आय का कितना प्रतिशत ऑक्ट्रोय से प्राप्त होता है ?

(३) इस नगरपालिका की कुल आय में से प्रशासन पर कुल कितना व्यय होता

(श्री अब्दुलजब्बारखां)

है तथा अन्य निर्माण कार्यों पर कितना होता है ?

(४) कुल आय का कितना प्रतिशत ऑक्ट्रोय के अलावा अन्य करों से प्राप्त होता है ?

(५) कुल आय का कितना प्रतिशत जनता को जल-प्रदाय करने में खर्च होता है तथा वह किस प्रकार खर्च किया जाता है ?

(६) कुल आय का कुल कितना प्रतिशत भाग जन-स्वास्थ्य पर खर्च होता है व किस रूप में ?

उत्तर

(१) वर्ष १९६३-६४ की आय १,५०,३४२ रुपये २ नये पैसे है।

(२) आय का ४८ प्रतिशत ऑक्ट्रोय से प्राप्त होता है।

(३) वर्ष १९६३-६४ से कुल आय में से प्रशासन पर ६३,०००) रुपये के लगभग व्यय हुआ है। तथा निर्माण कार्यों पर ४२,०००) रुपयों के लगभग व्यय हुआ है।

(४) ऑक्ट्रोय के अलावा कुल आय में से १२ प्रतिशत अन्य करों से प्राप्त होता है।

(५) जल प्रदान योजना पूर्ण हो चुकी है।

(६) कुल आय का जन-स्वास्थ्य पर जिसमें सफाई के झाड़ू, टोकरा, वर्दियों एवम् पशुओं का दाना, चारा व फिनाइल आदि शामिल हैं २३ प्रतिशत खर्च किया जाता है।

बारां अस्पताल में एक्स-रे की मशीन

६५. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां होस्पिटल में एक्स-रे की मशीन है या नहीं ?

(२) यदि है, तो अब तक उससे कितने एक्स-रे हुए ?

उत्तर

(१) जी हां। बारां होस्पिटल में एक्स-रे की मशीन है।

(२) उक्त होस्पिटल में जनवरी सन् १९६५ से अब तक ५०० एक्स-रे स्क्रीनिंग हुए हैं।

गंगानगर की विभिन्न शाखा नहरों में पानी छोड़े जाने का आधार

६६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या गंगानगर की विभिन्न शाखा नहरों (डिस्ट्रीब्यूटरीज) में रोटेशन में पानी छोड़े जाने के लिये कोई नियम या आधार

Page No 35

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

निश्चित किये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कौन करता है और किस आधार पर ?

(२) क्या किसी विशेष शाखा नहर या नहरों में पानी छोड़े जाने के दिन नियत किये जाने में वहां के किसी जन-प्रतिनिधि से भी सम्मति या सहमति ली जाती है और उसे पूर्व सूचना दी जाती है ?

उत्तर

(१) विभिन्न नहरों में पानी इस ढंग से छोड़ा जाता है कि जहां तक हो सारी नहरों में एकसा पानी पहुंच पाए; जो प्रोग्राम अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग' अधीक्षक अभियन्ता की राय से बनाते हैं।

(२) नहरों में कब २ कहां कहां पानी छोड़ा जावेगा, जिसका प्रोग्राम पूर्व में समस्त पंचायत समितियों, जिला परिषद कृषि अधिकारी व अन्य सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जाता है।

(१२.०७ म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, माननीय मन्त्री।

भारत-पाक नहरी पानी समझौते विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल जो एक एडजोर्नमेंट मोशन की सूचना दी थी और उस पर जो उन्होंने यह टिप्पणी की और उस चर्चा के सिलसिले में जो कुछ मैंने सदन में निवेदन किया उस पर आसन का यह आदेश हुआ कि चूंकि यह अहमियतता का मसला है. भारत सरकार से जानकारी करके एक वक्तव्य सदन में दिया जाना चाहिये; इस दृष्टिकोण से मैंने स्वयं ने कल इस बात की कोशिश की कि जिस राजस्थान नहर की ट्रीटी, जो कि फर्स्ट स्टेज पर मार्च, ६५ में, जिसकी मयाद समाप्त होने जा रही है उसके लिए एक साल का एक्सटेन्शन पाकिस्तान वालों को और दिया जा चुका है; इस प्रकार की सूचना माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष रखी थी। तथ्य इस प्रकार से हैं जो मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये रखना चाहता हूं :

इन्डस कमीशन जो इस सारी ट्रीटी को डील करता है उनसे समाचार पूछने पर मालूम हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत सरकार के सामने इस बात का सुझाव भेजा है कि यह जो राजस्थान केनाल की पहली स्टेज की ट्रीटी है, ट्रीटी का जो समझौता मार्च १९६५ में समाप्त होने जा रहा है और उसके बाद में जिस पानी को भारत सरकार ने विदड्रा करने की बात कही थी उसकी एक साल की मयाद बढ़ा दी जाय और उसके लिये उन्होंने यह दलील दी कि क्योंकि उस ट्रीटी के अनुसार पाकिस्तान को एक केनाल अपने इलाके में इस पीरियड के एन्ड के पहले पहले बना लेनी चाहिये थी। उस केनाल को बनाने के सिलसिले में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ अमेरिकन फर्म्स के कोलोबोरेशन से इस काम को अपने हाथ में ले रखा है और जो सूचना दिल्ली से हमें मिली है उसके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अनुसार इस फर्म ने उस काम को मार्च के एन्ड में पूरा कर दिया। वह काम पूरा हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को यह कहा कि काम तो पूरा हो चुका है लेकिन उस काम को टेस्ट करने के सिलसिले में जो कुछ पानी ड्रॉ किया जाय वह केनाल की जितनी ड्रॉ करने की क्षमता है वह पूरी खींच सके और पार पटक सके इसको टेस्ट करना आवश्यक है इसलिए केनाल में ऐजुअली पानी छोड़ना चाहिये जो हम छुड़ाना चाहते हैं और जितना पानी हमको मिल जाय भारत सरकार उसको काटती जाय और एक साल में इस केनाल को हम फुल केपिसिटी में रन कर सकें और जितना पानी यूज़ कर सकें उतना पानी काट कर भारत सरकार खुद यूज़ कर ले और जितना हमें पानी चाहिये उतना लेने दिया जाय। भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस बात को नही माना है। आपकी केनाल का काम पूरा हो चुका है और उसमें पूरी कैपेसिटी का पानी छोड़ कर देख लिया है और केनाल आपकी पूरी हो चुकी है और हमें इसमें सन्देह नहीं है कि जितना पानी ड्रॉ करना चाहिए उतना पानी ड्रॉ नहीं कर सके। पाकिस्तान की इस बात को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है कि जितना निश्चित पानी हमें भारत सरकार से मिलने वाला है वह हम लेंगे। भारत सरकार ने उनको निश्चित जवाब भेज दिया है। मयाद को एक साल के लिए एक्सटेन्ड नहीं किया है। बल्कि ना कर दिया है और भारत सरकार के हिस्से का पानी १९६५ से पाकिस्तान के हिस्से से छूट कर भारत में आने वाला है वह पानी हमें मिलेगा। इसलिये पंजाब के इलाके का या गंगानगर के इलाके के हिस्से का पानी जो मिलने वाला है उसमें कोई अन्तर नहीं आया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका एग्रीमेंट ३१ मार्च, ६५ को समाप्त हो जाता है और उस हिसाब से पूरा हो गया है। एक अप्रैल से जो पानी उनको अब तक दिया जा रहा था उसको बन्द करके एक अप्रैल से हिन्दुस्तान की तरफ डाइवर्ट कर लेना चाहिये। क्या यह कर लिया है, इसकी जानकारी चाहता हूं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी दो ही दिन हुए हैं। आज दो तारीख है, आज मेरे पास जो सूचना आयी वह मैंने दे दी है। एक साल के एक्सटेन्शन के लिये जो पाकिस्तान ने मांग की थी उसको हमने नहीं माना है। भारत सरकार के जरिये, इसके कॉन्सीक्वेन्सेज आगे क्या होंगे, वह सूचना वहीं से मिलेगी, तभी मैं कह सकता हूं।

अन्य स्थगन-प्रस्ताव विषयक

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन की सूचना दी थी, इस सम्बन्ध में लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए...

श्री उपाध्यक्ष : इसकी कन्सेन्ट आपको नहीं मिली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सम्बन्ध में मैंने अध्यक्ष महोदय से चेम्बर में चर्चा की थी, उनका कहना था कि जिस दिन मुख्य मन्त्री जी आये....

Page No 37

श्री उपाध्यक्ष : जो चर्चा चेम्बर में की जाती है अकोर्डिंग टू कन्वेन्शन उसका हवाला सदन में नहीं दिया जाना चाहिये। जिस समय अध्यक्ष महोदय आयें उस समय फिर बातचीत कर लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोशन मेरा दिया हुआ है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ कॉम्युनिकेट नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : उस बारे में निर्णय अध्यक्ष महोदय देंगे, आपको कह दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज चर्चा करने के लिये इजाजत दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : जो चेम्बर में बातचीत की जाती है वह बातचीत यहां नहीं आ सकती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन के बारे में चेम्बर में बातचीत की जाती है, उसका रेफरेन्स दे सकते हैं। कई बार चिट्ठी लिखकर मना कर देते हैं, और रेफरेन्स किया जाना होता है तो अपनी व्यवस्था देते हैं। अगर एडजोर्नमेन्ट मोशन को उचित समझते हैं तो हाउस स्थगित करें या नहीं, यह तो अध्यक्ष महोदय की इच्छा पर है। एडजोर्नमेंट मोशन रखने का तो अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एडमिट नहीं किया गया है।

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं

(क) जन सेवा आयोग (कार्यों का निबन्धन) विनियम, १९६५ के अधीन।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२० (५) के अन्तर्गत, नियुक्ति विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

राजस्थान जन सेवा आयोग (कार्यों का निबन्धन) विनियम, १९५१ में संशोधन किये गये हैं :--

(१) अधिसूचना संख्या एफ १२ (१) एपो० (सी) पार्ट ६ दिनांक १० सितम्बर, १९६४।

(२) अधिसूचना संख्या एफ १४ (८) एपो० (ए ४) ५६ दिनांक ११ जनवरी, १९६५।

(३) अधिसूचना संख्या एफ ३ (२४) एपो० (ए ४) ६४ दिनांक ८ फरवरी, १९६५।

(ख) राजस्व विभाग विषयक

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना संख्या एफ ६ (६२) राज (६ ख) ६३ दिनांक ७ फरवरी, १९६४ जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, १९५७ के नियम १२ में संशोधन किये गये हैं।

Page No 38

(श्री परसराम मदेरणा)

(२) अधिसूचना संख्या एफ १ जी (२६) राज० ए ६० दिनांक २६ अगस्त, १६६४ जिसके द्वारा राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू सम्पदा अवाप्ति नियम, १६६४ के नियम ३ में संशोधन किये गये हैं।

(३) अधिसूचना संख्या एफ ७ (२०१) इरिंगे । ६३ दिनांक १४ सितम्बर, १६६४ जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्र की मंडियों में भूमि का विक्रय) नियम, १६६० के नियम १६ में संशोधन किया गया है।

(४) अधिसूचना संख्या एफ १८ (२६) राज (क) ६० और दिनांक २२ सितम्बर, १६६४ जिसके द्वारा राजस्थान भूमि सुधार तथा भूस्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति नियम, १६६४ के नियम ८ में संशोधन किये गये हैं ।

(५) अधिसूचना संख्या एफ ६ (१२६) राज (ख) ग्रुप १ । ६४ दिनांक २ दिसम्बर, १६६४ जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, १६५७ के नियम ४ एवं १३ में संशोधन किये गये हैं।

(६) अधिसूचना संख्या एफ ११ (१२६) रेवे० बी० ग्रुप १।६२ दिनांक २१ दिसम्बर, १६६४ जिसके द्वारा राजस्थान भूमि (एकीकरण तथा उपखंड निवारण) नियम, १६५५ में संशोधन किये गये हैं।

(७) अधिसूचना संख्या एफ ६ (१८) राज (ख) ६५ दिनांक २४ फरवरी, १६६५ जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (चूने के भट्टों के लिये अनाधिकृत सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, १६६५ प्रकाशित किये गये है ।

विधेयकों को लेने सम्बन्धी समय निर्धारण

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले कि विधायी कार्य प्रारम्भ हो मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि हमारे सम्मुख आज चार विधेयक प्रस्तुत होने वाले हैं उस हिसाब से इस समय १२।। बज रहे हैं पांच बजे तक का समय है इसलिये एक एक विधेयक पर सवा सवा घंटा समय निर्धारित किया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) उपाध्यक्ष महोदय, बारी बारी से चलने दिया जाय जब एक खत्म होगा तब दूसरा ले लेंगे ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्रमवार दिये हुए हैं, उसके अनुसार चलते जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : सभी की राय है कि चार विधेयक हैं, बारी बारी चलेंगे; आशा की जाती है सारे ही विधेयक आ सकें ।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) : पहले विधेयक में कुछ समय लग सकता है बाकी तो बहुत छोटे हैं ।

अ-शासकीय विधेयक
विधेयकों का पुरःस्थापन

(क) राजस्थान उपचर्या गृह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, १९६४

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपचर्या गृह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपचर्या गृह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करती हूं।

(ख) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पोहूमल ईसरदास : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(ग) नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पुनः स्थापित)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री विजयसिंह झाला : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक शीघ्र लेने सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, एक औचित्य का प्रश्न है। यह जो नाथद्वारा मन्दिर संशोधन विधेयक, १९६४ पुरः स्थापित किया गया है उस पर जल्दी से विचार होना चाहिये। और इसके लिये कोई दिन इसी सत्र में मुकर्रर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

किया जाना चाहिये। भारतवर्ष के करीब १०० शहरों के वैष्णव सम्प्रदाय को मानने वाले हैं उन्होंने हमारे पास और चीफ मिनिस्टर के पास कई तार भेजे हैं। एक हजार से ऊपर तार तो मेरे पास आये हैं; मैं लाया हूं। अतः इस पर विचार करने के लिये जल्दी से समय दिया जाय ताकि श्री नाथजी को मानने वाले जो लोग हैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए इस पर जल्दी ही विचार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यथाक्रम लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह मुख्य मंत्री महोदय से भी संबंधित है क्योंकि वे भी नाथद्वारा में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और मन्दिर के संबंध में जानकारी भी उनको विशेष है। मन्दिर में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों की किस प्रकार की भावना है इसकी भी जानकारी इन तार और पत्रों से नजर आती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन सब लोगों की भावनाओं का आदर करने के लिए यदि इसी सत्र में इस विधेयक के संबंध मे कुछ विचार कर लिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा और समय के निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ न कुछ आप अवश्य निर्णय दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तो यथाक्रम यह विधेयक आ ही जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी ले लेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : मैं समझता हूं कि अच्छा यह हो कि जो माननीय अध्यक्ष हैं उनसे बात करके माननीय सदस्य, कौनसा समय निर्धारित किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है उसकी चर्चा कर लें वह उपयुक्त रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : आपकी एज लीडर ऑफ दी हाउस की अनुमति होगी तो अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेने में ज्यादा सहूलियत होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया कर दें कि इसी सत्र में विचार कर लेंगे, बाकी का मसला जिस समय अध्यक्ष महोदय आयेंगे उस समय समय का निर्धारण हो सकेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो अध्यक्ष महोदय पर ही है कि वे इसके बारे में सभी सदस्यों की राय जानने के बाद क्या उचित व्यवस्था करना चाहेंगे क्या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मानिकचन्द सुराणा।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६३ विचार विमर्श

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है वह संशोधन विधेयक

Page No 41

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हिन्दुस्तान में जो आज संकटकालीन स्थिति चीन के सन् ६२ के आक्रमण के द्वारा हुई है और राष्ट्रपति के द्वारा संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई है यह घोषणा उस संकटकाल से उत्पन्न परिस्थितियों का मुकाविला करने के दृष्टिकोण से की गई है। यह विधेयक इस सिद्धान्त को मान्यता देना चाहता है कि यदि विधान सभा के सदस्य जब तक संकटकाल हमारे देश में है और उस संकटकाल के दौरान में यदि वह फौज में भर्ती हो जायें तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तो उस परिस्थिति में विधान सभा के सदस्य भारत सरकार की नौकरी में आने के बहाने के कारण इस विधान सभा की सदस्यता से निर्योग्यता नहीं किये जायेंगे क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय सिद्धान्त यह है कि यदि विधान सभा के सदस्य सरकार की कोई भी सर्विस या कोई भी ऑफिस आॅफ प्रोफिट होल्ड नहीं कर सकते। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हमारे कानून में है और देश में संकटकाल १९६२ के अक्टूबर से चीन के आक्रमण के फलस्वरूप घोषित किया हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में दो राय हो सकती हैं कि संकटकाल को समाप्त कर दिया जाये। संकटकाल को, कांग्रेस सरकार जिस तरह से उसकी क्रियान्विती कर रही है वह संतोषप्रद नहीं है और संकटकाल में देश के अन्दर जिस तरह की फौजी तैयारी होनी चाहिए चीन का मुकाबिला करने के लिए और हिन्दुस्तान के उन हिस्सों से चीन को बाहर खदेड़ने के लिए जिनके ऊपर उसने फौजी शक्ति के आधार पर कब्जा कर रखा है उसका मुकाबिला करने के लिए हो सकता है हमारे मतभेद हों कि कांग्रेस सरकार की पूरी तैयारी न हो लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी तैयारी को पूरा करने के लिए विधान सभा के सदस्यों को भी यह मौका दिया जाये कि वे फौज में भर्ती हो सकें और फौज में भर्ती होने के आधार पर उनकी सदस्यता इस विधान सभा में समाप्त न हो इस तरह का सिद्धांत जो प्रस्तुत बिल है उसमें प्रतिपादित किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि ब्रिटेन के अन्दर पिछले महायुद्ध के समय भी इस तरह का संशोधन वहां के कानूनों के अन्दर किया गया जिसके फलस्वरूप वहां के हाउस आॅफ कॉमन्स के जो सदस्य थे वे फौज में भर्ती हो सकते थे किसी भी कमाण्डिंग पोजीशन में, सेना के किसी भी खण्ड में उसका नेतृत्व कर सकते थे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह वास्तव में यह मानते हैं कि हमारे देश में चीन के आक्रमण के फलस्वरूप एक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है और उस संकट की स्थिति के फलस्वरूप आज हिन्दुस्तान का २२ हजार स्क्वायर मील का एरिया चीन के कब्जे में है और सिर्फ चीन के कब्जे में ही नहीं बल्कि कश्मीर का वह हिस्सा जो कि आज पाकिस्तान के पास है और जिसके ऊपर निरन्तर दोनों के आपसी संबंध बिगड़े हुए हैं उस हिस्से को जिसको कि संविधान के तहत में हमने हमारा माना है और जो हिस्सा हमको प्राप्त होना चाहिए उस हिस्से को भी हमें ले लेना चाहिए और पाकिस्तान को उस हिस्से से

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हट जाना चाहिए, यह आज हमारी मान्यता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मान्यताओं को सिर्फ मान्यताओं का रूप देने तक ही हम अपने आपको सीमित नहीं रखें और आज यदि विधान सभा के सदस्यों के मन में या लोकसभा के सदस्यों के मन में यह है कि देश यदि संकट में है तो वह भी फौज में भर्ती हों क्यों कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति ने अपील की है कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी को और हिन्दुस्तान के नागरिक को अपने आपको देश की आजादी की रक्षा के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहना है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान कानून जो है वह विधान सभा और लोकसभा के सदस्यों की इस तरह की इच्छा है और यदि उनकी इच्छा बहुत प्रबल है तो उनके ऊपर आज कानूनन रोक है कि वह फौज में भर्ती नहीं हो सकते और यदि वह हो जायें तो वह सदस्य विधान सभा के या लोकसभा के नहीं रहते इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह का बहुत बड़ा संकट आज हमारे देश के सामने सीमाओं पर है पश्चिम में पाकिस्तान से खतरा है और पश्चिम मध्य भाग में चीन से है और पूर्वी सीमाओं पर जो चीन से खतरा है सीमाओं की रक्षा के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को फौज में भर्ती होने का अधिकार होना चाहिए और विधान सभा के सदस्यों को इस तरह से वंचित करना उचित नहीं होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि निश्चित रूप से इस बात को प्रत्येक भारतीय नागरिक आज स्वीकार करेगा कि हिन्दुस्तान की सरकार चीन की फौजों से हिन्दुस्तान की उस सीमा पर के क्षेत्र को वापिस नहीं ले सकती जिसके ऊपर चीन ने अपनी फौजी शक्ति से कब्जा कर रखा है और जो चीन ३६५ करोड़ रुपये सेना पर खर्च करता है। हमारे रक्षा मन्त्री श्री चव्हाण ने बयान दिया है कि 'चीन आगे बढ़ा तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं और हम चीन को खदेड़ने में समर्थ हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की जो घटनायें हैं और जिस तरह का पाकिस्तान का धानगिरी के ऊपर रवैया रहा और हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकी उससे हमारे मन में सन्देह होने लगता है अभी पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता १० दिन पहले किया, उस समझौते का जिस तरह से तिरस्कार किया भारत सरकार को जिस तरह से पाकिस्तान जैसे छोटे देश के आगे झुकना पड़ा और उन टर्म्स पर सीजफायर करना पड़ा जिस टर्म्स पर पाकिस्तान हमको वहां पर सीजफायर करवाना चाहता था ये घटनायें उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि स्पष्ट रूप से इस विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन मैं इनका हवाला इसलिए देना चाहता हूं कि ये घटनायें इसको साबित करती हैं कि आज हिन्दुस्तान की सीमाओं के बारे में हमारे जितने भी पड़ौसी देश हैं उनसे जिस दिन हमारी सीमाओं को खतरा हुआ है उसमें हिन्दुस्तान की सरकार को झुकना पड़ा है। हिन्दुस्तान की इज्जत अन्तर्राष्ट्रीय जगत में और दूसरे क्षेत्रों में नीचे गिरी है और जो भी समझौते हमने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

किए हैं उनका न तो पाकिस्तान ने आदर किया और न चीन ने आदर किया है ।

इन परिस्थितियों में उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम कहें कि सारी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है तो राजनैतिक दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं और इस तरह से कहने के हमें पूरा अधिकार है लेकिन मेरी मान्यता है कि देश की सीमा रक्षा करने का जितना कर्तव्य आज कांग्रेस का है उतना ही कर्तव्य विरोधी दल का भी है और किसी भी तरह से विरोधी दल में बैठने वाले लोगों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता । यह नहीं कह सकते कि क्यों कि कांग्रेस की सरकार है और आज कांग्रेस की शासन सत्ता है इसलिए यह जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय चूंकि आज सारे देश पर संकट है यदि हिन्दुस्तान की आजादी खतरे में पड़ती है, हिन्दुस्तान की आजादी को खतरा होता है, यदि हिन्दुस्तान का राज्य समाप्त होता है तो निश्चित रूप से हिन्दुस्तान में कभी जन-तन्त्र नहीं रह सकता तो आज हिन्दुस्तान के रहने वालों का कर्तव्य है कि वह राज्य की रक्षा करे । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की रक्षा करने का मतलब यह नहीं है कि वह सरकार की रक्षा करे । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य और सरकार में बहुत बड़ा फर्क है । हम राज्य के प्रति लॉयल हो सकते हैं लेकिन सरकार के प्रति लॉयल बिल्कुल आवश्यक नहीं है । हम स्टेट यूनियन के प्रति वफादार रहेंगे और उस राज्य की रक्षा के लिए, भारतीय गण-तन्त्र की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो अपने तन मन धन की समस्त कुरबानी करने के बावजूद भी हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा करेंगे जिसके फलस्वरूप आज हिन्दुस्तान में जमूरियत कायम हुई है और जिसके फलस्वरूप समाजवाद भी यहां कायम है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सारी परिस्थितियों में बहुत लम्बा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता हूँ लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है तो वह चीन और पाकिस्तान दोनों से है । आज चीन और पाकिस्तान कल्यूजन कर रहे हैं और चीन और पाकि-स्तान के इन मेलजोल और समझौते का ही परिणाम है कि काश्मीर में खतरनाक परि-स्थिति पैदा हुई, शेख अब्दुल्ला चाऊ-एन लाई से बात कर रहे हैं अल्जीयर्स में और आज सारे देश में हैरानी है कि किस तरह से उनको पासपोर्ट दिया गया । उनको काश्मीरी-मुसलमान कहने से पासपोर्ट दिया गया उसकी कलई अभी लोकसभा में खुली है और उसका नतीजा यह मालूम पड़ता है कि भारत सरकार अभी भी हिन्दुस्तान में रहने वालों को काश्मीरी मुसलमान, काश्मीरी हिन्दू, राजस्थानी मुसलमान और राजस्थानी हिन्दू इस तरह के दकियानूसी शब्दों से भारत सरकार अपने आपको नहीं निकाल पाई है ।...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइन्ट आफ आर्डर, सर, जो विदेशी माम-लात हैं उनके लिए सैंट्रल गवर्नमेन्ट जिम्मेदार हैं उसके बारे में यहां क्या स्थिति है उसका न तो यहां जवाब हो सकता है और न क्या स्थिति है माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं इसका कैसे मालूम पड़े ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तो अपनी कोई लिमिटेशन होनी चाहिये। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपकी व्यवस्था का सवाल है कि इन मसलों को इस तरह से आने दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : जो आपत्ति प्रस्तुत हुई है उसके विषय में प्रथम तो इस सदन ने प्रस्तुत विधेयक को पेश करने की आज्ञा प्रदान कर दी है। दूसरी बात यह है कि जहां तक सत्यासत्य का प्रश्न है वह इस विधान सभा से सम्बन्धित है और जो कुछ इस विधेयक में प्रावधान किया गया है वह भी इस विधान सभा से ही सम्बन्धित है और इसी दृष्टि से इसको आज्ञा प्रदान की गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि इन सारे मसलों पर जो हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य दिया है कि शेख अब्दुल्ला को चीन की यात्रा नहीं करने देंगे, यह वक्तव्य संतोषप्रद है और इस बात के प्रति इशारा है कि भारत सरकार भी काश्मीर के मामले में ढिल मिल नीति नहीं रख रही बल्कि बुनियादी रूप से उस नीति को अनुसरण कर रही है लेकिन दूसरी बात यह है कि उसकी कमजोरी इतनी है कि उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए वह मजबूत नहीं है, समर्थ नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जितना खतरा हमारे देश की सीमाओं पर उत्तर में चीन से है और उधर पूर्वी पाकिस्तान से हमारी कूच बिहार की सीमाओं पर निरन्तर २२ दिनों तक गोलाबारी होती रही है और इधर धानगिरी और दाहग्राम में पाकिस्तान के एन्क्लेव के नागरिक सीधे हिन्दुस्तान की जमीन पर बिना किसी सूचना के आ सकते हैं, इसको हमारी भारत सरकार स्वीकार करती है और इधर चीन ने २२ हजार स्क्वायर मील की जमीन जो कि हिन्दुस्तान की थी और जिस पर २० अक्टूबर, ६२ से चीन ने आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया है उस जमीन को जहां तक खाली करने का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्देश्य है और इस राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने का फर्ज प्रत्येक नागरिक के ऊपर है। इसलिए यह विधान सभा के सदस्य वर्तमान कानून के द्वारा फौज में भर्ती नहीं हो सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की विशेष परिस्थितियों में जब तक राष्ट्रपति ने हमारे देश में एमर्जेन्सी घोषित कर रखी है, संकटकाल घोषित कर रखा है इस बिल की मंशा यह है कि जब तक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संकट काल घोषित रहता है तब तक और उसके एक साल बाद तक यदि विधान सभा के कोई सदस्य सेना में भर्ती होते हैं तो उस सेना में भर्ती होने वाले के बावजूद भी इस विधान सभा के सदस्य रह सकेंगे यह इस बिल की मन्शा है। मैं महसूस करता हूँ कि हिन्दुस्तान की कई विधान सभाओं ने इस प्रावधान को अङ्गीकार किया है।

मध्य प्रदेश की विधान सभा ने, जो प्रावधान मैंने यहां प्रस्तुत किया है, उसको अपने यहां पर कानून का रूप सन् ६३ में ही दे दिया है और भी कई विधान सभाओं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ने इस तरह के बिल पेश हुए हैं और अङ्गीकार हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भी एक ऐसा प्रान्त है जिसकी सीमायें पाकिस्तान से मिलती हैं। पाकिस्तान की सीमायें और राजस्थान की सीमायें जहां मिलती हैं वहां पर बहुत बार झगड़े होते रहते हैं जिनके बारे में बहुत बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि उन सीमाओं की रक्षा करने का भी प्रश्न है और इस सारी पृष्ठभूमि से मैं समझता हूं कि इस विधान सभा का शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो, चाहे वह हां पक्ष में बैठा हो या ना पक्ष में बैठा हो-जिसको इस बिल के मूल सिद्धान्तों से मतभेद होगा और जो यह कहने की जुर्रत् यत करे कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। इस विधान सभा के कितने सदस्य फौज में भर्ती हो सकेंगे यह प्रश्न उठ सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं तो चाहे १७६ में से १ सदस्य भी जाना चाहता हो या देश में कोई संकट की परिस्थिति आज नहीं तो कल पैदा हो जाये-तो कितने लोग भर्ती होंगे, इस संख्या का हिसाब करना आवश्यक नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो बिल पेश किया है उस बिल के बारे में इस विधान सभा से निवेदन है कि वह इस बिल को एक मत से पारित करने की कृपा करे। तो मैं समझता हूं कि अभी भी जनता में देश की सीमाओं के प्रति और सजगता आएगी और उनको महसूस होगा कि जिन लोगों को हमने चुना है वह भी सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। इसी भावना से मैंने यह विधेयक पेश किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य इसका आदर करते हुए इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९६३ प्रस्तुत किया है। इसके औचित्य के बारे में उन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे हैं। यह बात सही है कि चीन ने हमारे इस मुल्क पर जिस प्रकार आक्रमण किया और उस आक्रमण से हमारे देश के अन्दर जो संकट की परिस्थिति उत्पन्न हुई वह एक बहुत ही गम्भीर समस्या हमारे सामने है। हमने उसका मुकाबिला किया और उसके बाद जो भी परिस्थितियां बनीं वह हमारे सब के सामने हैं। आज भी इमर्जेन्सी की जो परिस्थिति है वह बनी हुई है, वह न सिर्फ यह कहने के लिए बनी हुई है कि एमर्जेन्सी का, जैसा अभी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि, किस प्रकार से राज्य सरकार उपयोग करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि चीन का खतरा आज भी हमारे देश के ऊपर बना हुआ है और हम किसी भी क्षण उस ओर से अपनी आंख बंद नहीं कर सकते क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि आज भारत सरकार चीन को संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिये जिस प्रकार से भी जितने अधिक से अधिक साधन जुटा करके जो भी तैयारियां की

(श्री फूलचन्द जैन)

जानी ग्रावश्यक हैं वे सब तैयारियां कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि न सिर्फ चीन वल्कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी यह बात जानते हैं कि जिन परिस्थितियों में अचानक ही चीन ने हमारे इस मुल्क पर आक्रमण किया अब वे परिस्थितियां नहीं हैं। आज हिन्दुस्तान उन परिस्थितियों से बहुत आगे बढ़ गया है और उसकी तैयारियों के बारे में यदि कोई माननीय सदस्य यह कहे हिन्दुस्तान सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है, मैं समझता हूं हमारे माननीय सदस्यों को या हिन्दुस्तान के किसी नागरिक को ऐसी बात न सिर्फ कहनी नहीं चाहिये बल्कि उसको मानने का भी कोई कारण नहीं होना चाहिये। जो तैयारियां की जा रही हैं वे किन्हीं कारणों से आम जनता के सामने नहीं ग्राती हैं किन्तु बार बार हमारे सुरक्षा मंत्री ने जनता को या नागरिकों को यह ग्राश्वासन दिया है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने इस बात की पूरी तैयारी की है, सजग है और पूरी तरह से सक्षम है। दुबारा हमला करने की चीन ने कोशिश की तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इसके बावजूद ग्राज इस प्रकार की बात हम स्वयं कहें कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है तो मैं समझता हूं, यह पोलिटिकल रीजन्स से, राजनीतिक कारणों से कहने की बात हो सकती है; लेकिन मैं समझता हूं इस प्रकार के ग्रहम सवाल पर ग्राप स्वयं महसूस करते होंगे कि इसको राजनीतिक बात बनाकर नहीं कहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, हमारी सरकार क्या तैयारियां कर रही हैं? यह बात सही है कि चीन के आक्रमण के बाद इस मुल्क में जो फिजा बनी, हमारे देशवासियों में जो राष्ट्रीयता की आश्चर्यजनक उमंग दौड़ी वह आश्चर्यजनक फिजा थी जिसने लोगों को दिखाया कि हिन्दुस्तान के नागरिक में किस प्रकार राष्ट्रीयता ग्रावश्यकता पड़ने पर पैदा हो सकती है। ग्राज यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के वातावरण में कमी आई है, हम उसको मेन्टेन नहीं कर पाये। उपाध्यक्ष महोदय, परिस्थितियों से वातावरण बनता है ग्रौर जैसी परिस्थिति ग्राती है वैसा ही वातावरण इस मुल्क में बन सकता है। यह हमारा इतिहास ग्रौर जो कुछ समय गुजरा है वह हमें बतलाता है। ग्राज इस सारी पृष्ठभूमि में माननीय सदस्य ने जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है ग्रौर उसका जो कारण बताया है मैं उसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का एक चालू लड़ाई का वातावरण चीन के हमले के बाद में हमारे इस मुल्क में था, चीन ने वहां से अपनी फौजें हटा लीं ग्रौर उसके बाद में यह सही है कि हमारी भूमि पर ग्राज भी उसने ग्रवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है। मैं इस बारे में मानता हूं कि हमको यदि देश की शान और ग्रान रखनी है तो इस भूमि को वापिस चीन से हमें लेना ही होगा ग्रौर उसके लिये जो भी समुचित कार्यवाही हो सकती है वह हमारी भारत सरकार करने के लिये इतनी सक्षम है इस पर विचार करना चाहिये। वह जो कुछ करेगी वह अच्छा करेगी ग्रौर हम सब की भावनाओं के ग्रनुरूप होगा, वही करेगी। ग्राज यह स्थिति साफ है कि वैसा वातावरण नहीं है। ग्राज दोनों तरफ से जो भी हालत

(श्री फूलचन्द जैन)

हैं, समाचार-पत्रों से समाचार मिलते है उनके आधार पर हम जान सकते हैं कि हिन्दुस्तान सरकार यह कहती है कि पूरी तोर से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन यह तथ्य है कि वास्तव में लड़ाई चालू नहीं है, तैयारियां की जा रही हैं। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि हम हमारी भूमि को वापिस लें और आजादी की सुरक्षा के लिये हम सक्षम बनें, यह परिस्थिति कैसे पैदा कर सकते हैं? मैं समझता हूं, विधान सभा के सदस्य फौज में भर्ती हों, उससे हम हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा कर सकते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। मैं यह मानता हूं कि आज यदि हम देश को हर प्रकार से सुरक्षित नहीं बनाते हैं या यहां उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से पूरी ताकत से काम नहीं करते हैं, यहां का जो राष्ट्रीय वातावरण है उसको हम नहीं बनाते हैं, हम अधिक मेहनत नहीं करते हैं हमारी आर्थिक उन्नति के साधन अधिक से अधिक जुटाते हैं इस प्रकार से जो एक देश के, अंदर चारों तरफ से, मजबूती का वातावरण बनना चाहिये और उस मजबूती के कारण हम सारे देश को साथ में लेकर किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकें, ऐसी परिस्थिति पैदा करना आवश्यक है। मैं समझता हू कि चीन के आक्रमण के समय जो हमारी हालत हुई उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट बात है, हम जब यह सोचते हैं, इस बात को विधान सभा में रखते हैं तो विधान सभा के सदस्य ही क्या हर नागरिक को सोचना चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिये सब कुछ करने की तैयारी करनी चाहिये, फौज में जाने की आवश्यकता पड़े तो जरूर जाना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती।

लेकिन प्रश्न पैदा होता है, क्या हम इस प्रकार के अहम मसले पर विधान सभा के सदस्य उसमें जावें, यह कह कर यह दिखाना चाहते हैं कि हम हिन्दुस्तान की चिन्ता के लिये कितने चिन्तित हैं, कितने सजग हैं तथा कितनी गंभीरता से चिन्तन करते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इस बात पर सोचना होगा कि आज एमर्जेन्सी की स्थिति बनी हुई है, यह चीन का खतरा हमारे सामने आज भी मौजूद है, इन परिस्थितियों में आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कृषि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य या हम सब मिल कर इस क्षेत्र में कितना सहयोग दे रहे हैं या किस प्रकार प्रयत्नशील हैं, हमारा अपना क्या कन्ट्रीब्यूशन है। आज दूसरी दृष्टि से, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की दृष्टि से हम क्या करते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं और उसमें हड़तालें कराने के लिये किस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं। हम देश में एमर्जेन्सी मानते हैं, चीन का खतरा है, यह मानते हैं, फिर हड़तालें कराने में और इस सारी बातों में कहां सामंजस्य है, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। इसी प्रकार इमोशनल इन्टीग्रेशन या राष्ट्रीय कैरेक्टर बनाने की भावना पैदा होनी चाहिये उस दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, इस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज छोटे-छोटे विवादों में और बातों में और यहां तक कि राजनीतिक कारणों से राष्ट्रीयता की एक

(श्री फूलचन्द जैन)

तरफ रख कर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिये गलत तरीके के जो काम हैं उनको करते हैं और उनको करने में पूरी ताकत लगाते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की बात करते हैं; मेरी समझ में नहीं आता कि आज जो कहने और करने में अंतर है उसके बारे में क्या विचार लेकर चलें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इन सारे तथ्यों को प्रस्तुत करता हुआ यही निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यकता यदि है तो इस बात की है कि देश को किस प्रकार मजबूत बनावें, कृषि का कैसे उत्पादन बढ़ावें, इन्डस्ट्री से आउट-पुट कैसे अधिक से अधिक करें और इकोनोमिक कंडीशन कंट्री की है उसको कैसे सुधारें, जो गरीब हैं उनकी स्थिति कैसे सुधारें। हमें समय मिला है तैयारी करने के लिये उस समय का हम कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग करें ? जहां तक हथियार बनाने का सवाल है, फौजी सामग्री तैयार करने का सवाल है, उस बात को भारत सरकार पर छोड़ कर और इसके साथ साथ इस बात की जानकारी रख सकते हैं कि इस बारे में क्या प्रगति की कार्यवाही हो रही है लेकिन वह काम भारत सरकार के करने का है पर जो हमें करने का है उसको कहां तक करते हैं; यह अहम प्रश्न है इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम चाहे कुछ भी करें सही हकीकत यह है कि हम स्वयं, वास्तव में देखा जाय तो, एमर्जेन्सी में या खतरे की हालत में इसके प्रति कितने गंभीर हैं, जितने सीरियस हैं। इस बारे में हमारे दिमाग में, जनता के दिमाग में, ऐसे उदाहरण सामने आते है तो शंकाएं पैदा होती है। उसके अन्दर भी डिमोरेलाइजेशन आता है। जो एक फिजा हमारे देश के अन्दर चीन के आक्रमण के बाद बनी थी, उस फिजा का स्वरूप दुनिया के सामने आया और दुनिया उसको देख कर भौचक्की रह गई। उस वातावरण को हम मेन्टेन नहीं कर सके, उसके यह सब कारण हैं। आज एक तरफ तो यह कहते है कि यह सब जिम्मेदारी कांग्रेस की है, कांग्रेस ने यह नहीं किया, कांग्रेस हुकूमत ने यह नहीं किया। मैं आपको कहता हूं, आप भी यहां पर आकर भाषण देते हैं, बाहर भी भाषण देते हैं, आपके भाषण लोग देख चुके हैं और लोग आपको देख चुके हैं। आपको अगर यह विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप काम करके बतायें। आप काम करना चाहें तो आपको मना कौन करता है ? यह जो सवाल पैदा होता है, यह प्रश्न एक राजनैतिक प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न केवल व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्र का प्रश्न है। जब यह राष्ट्र का प्रश्न है और इसे राष्ट्र का प्रश्न मान कर, राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में सोच कर, इस पर अमल करते हैं तब तो इसका औचित्य, इसकी गम्भीरता और इसका जनता के ऊपर होने वाला असर देख सकते हैं कि आपकी क्या रेस्पोन्स जनता से मिलता है, इसकी कल्पना करके चल सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा और रिज़ल्ट अच्छा हो तो उसे अच्छा मान कर चल सकते हैं। मेरा निवेदन करना यह है,

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज खास करके आप लोग यह विचार करके नहीं चलते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी

(श्री फूलचन्द जैन)

यहां बताया कि हिन्दुस्तान की इज्जत है वह दुनिया की नजर में गिर गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहना बहुत आसान है कि हिन्दुस्तान की इज्जत दुनिया में गिरती जा रही है । मैं इस विषय पर समयाभाव के कारण यहां पर कैसे विस्तार से चर्चा करूं ? यह हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, फोरिन अफेयर्स का मामला है । जिसके बारे में, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य हल्के रूप से विचार लेकर चलना चाहते हैं और जो जिम्मेदारी से कहने की बात है उसको एक सेन्टेन्स के अन्दर कह कर कन्विन्स करने की कोशिश करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की इज्जत दुनिया में गिरती जा रही है । तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में कहां तक गम्भीरता को लेकर आप चलते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया को उपदेश देने के बजाय हमारे सामने जो कर्त्तव्य है, वह क्या है और उस कर्त्तव्य को हम कहां तक निभाते हैं— यह हमारे लिए सबसे बड़ा अहम् प्रश्न है जिसको हम हल कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि न हम सबका और प्रान्त का भला करके चल सकते हैं, बल्कि राष्ट्र का भला करके चल सकते हैं । मैं यह निवेदन करता हूं, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि आवश्यकता पड़ने पर विधान सभा के सदस्य और लोक सभा के सदस्य हैं उनको फौज में भर्ती होना चाहिए, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर उनको फौज में भर्ती होने के लिए तैयार रहना तो क्या, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए । परन्तु प्रश्न यह है, जैसा माननीय सदस्य ने ब्रिटेन की पार्लियामेन्ट का हवाला देते हुए बताया कि जिस समय महायुद्ध हुआ उस समय वहां की पार्लियामेंट के सदस्यों ने किस दृष्टि से इस पर विचार किया और वहां की पार्लियामेंट ने किस तरह व्यवस्था-क्रम को वहां पर रखा । इस सबका उन्होंने उल्लेख यहां पर किया । मैं उनसे सहमत हूँ, उस महायुद्ध के समय लन्दन के अन्दर जो फिजा पैदा हुई, जो संकट उस समय वहां पर आया—उस समय जो कुछ उन्होंने निर्णय लिये वे बिल्कुल उचित थे । परन्तु प्रश्न यह सामने आता है कि जो निर्णय वहां की पार्लियामेंट ने लिए–वह कब लिये, किन परिस्थितियों के अन्दर लिये और उस देश में वह परिस्थितियां कब और किस प्रकार पैदा हुई और किस उचित समय पर निर्णय वहां पर दिये गये । केवल यह कह देना कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यह निर्णय लिये और यह निर्णय लेकर यह व्यवस्था की इसलिए यहां पर भी यह व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि एमर्जेन्सी यहां पर कायम है इसलिए इस की व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न यह है कि जो प्रश्न है उसे किन परिस्थितियों में कितनी गम्भीरता से ले सकते हैं और उसके लिए कौनसा उचित अवसर है । उसी समय उनको लिया जाना चाहिए । मेरी अपनी विनम्र राय के अन्दर आज जो अहम् प्रश्न है वह यह है, जैसा मैंने बताया कि हम अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, चीन का मुका

(श्री फूलचन्द जैन)

बला करने के लिए तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं ? जो तात्कालिक कार्य हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं उसी काम को हम करें। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को किसी प्रकार की कमी महसूस हो तो लेजिस्लेशन के जरिये या किसी दूसरे जरिये उसकी पूर्ति करनी चाहिए। परन्तु आज जब वास्तव में लड़ाई नहीं हो रही है परन्तु आज उस तरह के कारण और जो एक बहुत बड़ा धोखा हम खा चुके हैं, उस धोखे की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए जिस स्तर पर तैयारी होनी चाहिए उस तैयारी को हम कर रहे हैं और जब वास्तव में लड़ाई हो रही हो तो उस समय विधान सभा के सदस्यों को और दूसरे लोगों को फौज में भर्ती होना चाहिए। और उस समय यदि फौज में भर्ती होने में एक्ट के द्वारा कोई अड़चन पैदा होती हो तो उस समय एक्ट में संशोधन किये जाने की स्थिति में होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को इस रूप में लिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में चाहे राज्य सरकार हो और चाहे भारत सरकार हो, मेरी अपनी राय के अन्दर यह बहुत स्पष्ट बात है कि आवश्यकता पड़ने पर इसके अन्दर यदि किसी प्रकार की कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़े तो वह करना चाहिए और वह निश्चित रूप से करना चाहिए। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि ब्रिटेन की पालियामेन्ट का जो हवाला दिया गया, मैंने जैसा निवेदन किया, किन परिस्थितियों में, कब और कौन से एप्रोप्रियेट टाइम के अन्दर उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की ? इस प्रश्न को हमको गंभीरता से देखना होगा।

माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश का हवाला दिया, पर मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जितनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है उतनी की उतनी जिम्मेदारी हमारी जो पालियामेंट है उसके ऊपर भी आती है, पालियामेंट के मेम्बर्स पर आती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जहां तक मेरी जानकारी है, पालियामेंट के अन्दर यह प्रश्न गंभीरतापूर्वक विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि चाहे पालियामेंट हो, चाहे विधान सभा हो, कहीं पर भी कोई सदस्य—चाहे वह ट्रेजरी बेंच का हो चाहे उधर के पक्ष में से हो, ऐसा नहीं जो आवश्यकता पड़ने पर यह नहीं चाहेगा कि पालियामेंट के मेम्बर्स के लिए या लेजिस्लेचर्स के मेम्बर के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कानून में नहीं हो कि वह फौज में भर्ती हो सके और राष्ट्र की आजादी की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की रुकावट पैदा हो। और ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए और उसके लिए प्रावधान कराने के लिए सब दिलचस्पी लेंगे। परन्तु आज हकीकत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, सब लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आज इस बात की आवश्यकता इतनी नहीं है कि हमको फौज में काम करना पड़ेगा, अगर भविष्य में कभी आवश्यकता होगी तो इस काम को भी करेंगे। तो इस सारी स्थिति के अन्दर आज मैं इन सारी बातों से अपनी पूरी सहमति प्रकट करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इसके औचित्य को मैं नहीं समझ पाया हूं। आज जो हमारे सामने काम करने का है इन सारी दृष्टियों से वह काम हम

(श्री फूलचन्द जैन)

करें। । वैसे हम जो विधान सभा के सदस्य हैं वे फौज में भर्ती हों, इसके लिए हम कानून में संशोधन करें क्योंकि लड़ाई का वातावरण बना हुआ है; तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके बारे में अपना निर्णय ले और जो भी उचित हो वह करे । मेरी अपनी विनम्र राय के अन्दर मैं इतना ही अर्ज कर सकता हूं कि किसी भी विधान सभा के सदस्य के लिए देश की सुरक्षा के लिए अगर वह फौज में भर्ती होना चाहे तो उसके लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए । परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज तक किसी माननीय सदस्य ने कोई आवेदन इसके लिए प्रस्तुत नहीं किया है । आज तक ऐसा आवेदन-पत्र किसी माननीय सदस्य के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और न इच्छा की है कि हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं और इस कानून के तहत हमारे सामने यह रुकावट है, इसलिए राज्य सरकार इस पर विचार करे । वैसी भी स्थिति कोई हमारे सामने नहीं है ।

(१. म. प.)

दूसरी तरफ जो काम हमारे सामने करने का है करें और उसके साथ साथ जब कि एक बात स्पष्ट है कि जैसा माननीय सदस्य आम तौर पर इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सदस्यों से इस बात का विश्वास प्रकट किया कि कोई इस बात का विरोध नहीं करेंगे परन्तु जो स्थिति है उसको देखते हुए आप स्वयं इस बात पर सोचें कि आज की स्थिति में इस प्रकार का संशोधन लाने का मतलब क्या है । जब आज यह स्थिति हमारे सामने है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम लोगों में चीन में आक्रमण में बाद के फौज में भर्ती होने के बारे में जिस तेजी की उमंग पैदा हुई थी वह अब नहीं रही । आज भी भारत सरकार ने भी फौज में भर्ती होने के लिए नियम बनाये हैं और जिस प्रकार से फौज में भर्ती का कार्य शुरू किया और जिस तेजी से शुरू किया वह एक एमर्जेन्सी और उत्साह किस किस्म का था कि एक देश ने हम पर हमला कर दिया । मगर आज वह हमला नहीं है मगर उससे खतरा है और हमको जो हमारी भूमि उन्होंने अपने कब्जे में ली है उसको हमें उनसे वापिस लेना है । इस प्रकार की आपत्ति आ पड़ी है उसमें से हमें निकलना है । इस प्रकार का निर्णय हम नहीं ले सकते । आज हमें गंभीरतापूर्वक हमारी तैयारियों में जो कमियां रही हैं उस पर कुछ नहीं कहना है लेकिन वास्तव में देश किस तरह मजबूत बना रह सके उस तरफ हम काम करना चाहते हैं । ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस संशोधन के द्वारा माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उसके अनुसार मैं स्वागत करता हूँ कि आवश्यकता पड़ने पर कोई पाबन्दी नहीं रहनी चाहिये । परन्तु मैं साथ ही साथ यह भी कहूँगा कि यदि कोई विधान सभा का सदस्य आज भी फौज में भर्ती होना चाहे, जा सकता है, उसके लिए रुकावट नहीं है । या तो वह उचित स्थिति में नहीं है या है उसको साफ करना चाहिए । लेकिन जो इसके पीछे भावना है उसको ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वह स्थिति नहीं है कि हम इस संशोधन को लेकर इस कल्पना को लेकर चलें कि इससे

(श्री फूलचन्द जैन)

हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र के के खतरे का मुकाबला हम इस तरह कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ कि वे स्वयं इस बात का प्रयत्न करें और मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़े और इसमें जो रुकावटें हैं उनको पैदा नहीं करके हम इसे मजबूत बनावें। इस दृष्टि से विचार करें और समय आवे और आवश्यकता पड़े तो हमें फौज में भी जाना चाहिए। पर आज उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि पालियामेंट ने अभी अपना निर्णय नहीं लिया, मैं इस बात को जानता हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है, मध्यप्रदेश का माननीय सदस्यों ने हवाला दिया है, मैं राज्य सरकार से जानकारी करना चाहता हूं कि अभी तक किसी भी अन्य सरकार ने इस प्रकार का संशोधन नहीं पास किया है तो हमें इस मामले में उतावले होकर नहीं चलना चाहिए। यही समझ कर चलना चाहिए कि इधर और उधर बैठने वाले, आवश्यकता पड़ने पर हम सबको बिना किसी कानून के भी जाना पड़े तो जाना चाहिये। परन्तु संशोधन का प्रश्न है इसमें हम पालियामेंट और दूसरे राज्यों में, हमारी लोक सभा के सदस्य इस बारे में अपना जो रवैया अपनाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लेना चाहिए। हमें कोई उतावले होकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया है माननीय सदस्यों ने, वह एक मामूली सी बात है और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मगर इसके साथ मैं यह कहूंगा कि यह इनकम्पलीट है। अगर सरकार इन सारी बातों को सोच कर यह महसूस करे कि कम्प्लीट संशोधन लावे जिसमें एम. एल. ए. और पंचायतों के लोग, इलेक्टेड सरपंच वगैरह सभी इससे कवर हो जावें। इस विषय में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज के दिन यह बिल ऐसा है जैसे शेख शादी ने कहा है कि अगर कोई पिट आने के बाद उसको घूसा याद आवे तो वह किस मकसद का उसको चाहिये कि वह उस घूसे को अपने मुंह पर मारे।

श्री उपाध्यक्ष : पिट-पिटा के या पिट के आए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पिट के आ जाने के बाद अगर घूसा याद आता है तो उसे अपने मुंह पर ही मार लेना चाहिये। कोई यह कहे कि मैं उसको अपना घूसा इस तरह से मारता कि छठी का दूध याद आ जाता। मारा क्यों नहीं, किसने मना किया था। इसलिये उस घूसे को अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिये। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बहुत जोर से इस दिशा में डिस्कशन होते हैं। इसमें हमारी परिधि नहीं रही है। हमने लिमिटेशन नहीं छोड़ा है। इसकी वजह से विरोधी दल और कांग्रेस को खास करके जो सत्तारूढ़ दल है, दोनों को इस सम्बन्ध में एक होना चाहिए। मेरी राय में जहां तक देश

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

की सुरक्षा का प्रश्न है, जहां तक देश को चारों तरफ से दुश्मन ने घेरा है, उसके बारे में बराबर सारे देश को राष्ट्र समझ कर इसमें एक होना चाहिये और जनता ने कांग्रेस सरकार को इसके लिये जिम्मेवार बनाया है और कांग्रेस सरकार पर जिम्मेदारी डाल रखी है, इसमें सब को मदद करनी चाहिये। एक ड्यूटी की तरह कांग्रेस की विरोधी दल को इस मामले में मदद करनी चाहिये। वहां एक छोटी निगाह से नहीं देखना चाहिये कि यह मौका है इसका उपयोग लिया जाए कि किस तरह से हम ताकत में आवें और इस भावना को देश में फैलावें। मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से इसको देखा जावेगा तो मैं उनसे यह उम्मीद करता हूं कि इस राष्ट्रीयता के नाम से राष्ट्रीयता के मामलों में, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पान की दूकान पर चर्चा का विषय नहीं बनाया जाए। हम और वे एक नाव में बैठे हैं। देश में कोई भी जनता में जहां तक एमर्जेन्सी का प्रश्न है, हेय भावना, इन्फीरियोरिटी कम्पलेक्स का प्रचार नहीं करना चाहिए। जो तकरीरें की जिसमें इस देश और अपने लिये बात की, मैं सरकार की बात नहीं मानता, मैं यह कहता हूं कि सरकार की बातें कह कर वे अपने प्रति ऊंचा मन उठाने के बजाय मन नीचा उठाते हैं। इस प्रकार की हेय भावना की बातें करके।

राजस्थान में अगर आज डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो मैं उनसे कहूँगा कि बोलने की स्वतन्त्रता का उपयोग इसलिये नहीं करें कि सिर में भी दर्द हो गया तो यह कहें कि कांग्रेस ने कर दिया। इस तरह की स्थिति पैदा करना बहुत बुरी चीज होगी।

आज राष्ट्रीय सवाल है, अन्तर्राष्ट्रीय सवाल है, मुल्क का सवाल है, मुल्क कैसे आगे बढ़े इसके बारे में क्रिटिसिज्म करें, उसमें पर्सुएशन होना चाहिए ताकि देश सिर उठा कर दुश्मन का मुकाबला पूरी तरह से कर सके। मैं अभी अभी उनकी तकरीर सुन रहा था तो ऐसा लगा कि देश-भक्ति और राष्ट्रीयता के लिए सेक्रिफाइस करने के लिये जो छोटा सा संशोधन विधेयक रख कर उस पर तकरीर हुई उससे तो ऐसा महसूस हुआ कि जब से देश चल रहा है उनको दूसरी ही बातें दिखीं। उनको यह बात याद नहीं आई कि सारी दुनिया के मुकाबले हमारी मिलिटरी ने गोआ को फतह किया, यह बात याद नहीं आई, हैदराबाद में जिस प्रकार की स्थितियां थीं कांग्रेस सरकार ने सारी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सम्हालते हुए देश को एक करने में कदम बढ़ाया, उसकी तारीफ इनके मुंह से नहीं निकली। इनके मुंह से निकलता है कि देश की इज्जत दुनिया में गिरी है। दुश्मन धोखेबाज है, उससे हमें हमेशा सतर्क रहना है, जिस गल्ती को सुधारा है, उस गल्ती को, इमर्जेन्सी है या नहीं, इसमें शुबहा पैदा करने वाले लोग, दोहराना चाहते हैं। चीन जैसा मुल्क बगैर किसी प्रकार का नोटिस दिये हुए, हमारे मुल्क के साथ उसने किस प्रकार का सलूक किया है, उस जैसा मुल्क, और वहां की सरकार कम्यूनिस्टों के हाथ में है, जहां यदि कोई कम्युनिस्ट नहीं है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, कन्सेन्ट्रेशन में डाल दिया जाता है, यहां पाला जाता है

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कम्युनिस्टों को बोलने की आजादी दे कर, जहां ह्यूमन रेस को बारूद जैसा बना रखा है, ऐसे देश की सरकार हमारे सिर पर खड़ी है, दिन का पता नहीं एक घंटे का पता नहीं न मालूम कब क्या कर बैठे उस दशा में हमारे यहां इमर्जेन्सी सरकार चालू रखती है तो कहते हैं कि यह इमर्जेन्सी नहीं रखनी चाहिये। यह इमर्जेन्सी हमारे यहां कभी नहीं रहती, अगर कोई सरकार हमारी दुश्मन न होती। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ आज पाकिस्तान हमारा पड़ौसी किस प्रकार की स्थितियां पैदा कर रहा है, ऐसी हालत में मैं कहता हूँ हमें इमर्जेन्सी को रखना चाहिए, मुल्क के नेताओं पर, चव्हाण साहब पर विश्वास रखना चाहिये। चव्हाण साहब कहते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिये, हम पूरी तरह से हर आफत का मुकाबला करेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। इस इत्मिनान में शुबहा पैदा करके आप कोई देश को मजबूत नहीं बनाते, कमजोर ही करते हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): On a point of information, Sir, इस संशोधन विधेयक की भाषा तो यह है :

"संकटकाल, जिसकी भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक २६ अक्टूबर, १९६२ को घोषणा की गई, की स्थिति में और तत्पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त, भारत संघ (यूनियन) की नौ सेना, सेना, वायु सेना या किसी अन्य सशस्त्र सैन्य बल के, सदस्य का पद"

वह संकटकाल राष्ट्रपति महोदय चालू रखते हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं करता। उसी परिस्थिति को मानते हुए उसमें इस प्रकार से कार्य करने के लिए यह बिल लाया गया है .... ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह मानकर क्यों चलते हैं कि ये इस बिल को पढ़कर बोल रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बिल तो मैंने और आपने दोनों ने पढ़ा है, आपकी शक्ल है बिल में, अपनी तकरीर में यह रखा है, इसका समर्थन करने में जो बातें कही हैं वहां मुझे यह कहना जरूरी हो गया है, मैंने इनको रखने से टोका था आपने इजाजत दी, इसलिये जरूरी हो गया है। मैं चाहता था विरोधी दल उन सब चीजों पर ध्यान दे, आज की लड़ाई और पहले की लड़ाइयों में फरक है। आज की लड़ाइयों में जनता की आवाज मुल्क को जिताने वाली होती है, चपरासी चपरासी की जगह, एम. एल. ए. एम. एल. ए. की जगह, इमर्जेन्सी में अपनी जगह अड़ कर काम करता है, इस भावना से काम करता है कि मुल्क को उठाना है। मैं कहता हूं, आज की लड़ाइयें में एक रोटी बनाने वाला और चपरासी भी उतना ही इम्पोर्टेन्ट है जितना कि एक सिपाही है, मुल्क के फौजी लड़ते हैं, उनको मैं लाख सलाम करता हूँ, फौजी सलाम करता हूं............

श्री भैरोंसिंह : यह लाल सलाम कैसा होता है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चीन जैसा नहीं, जो गुर्गे यहां बैठा रखे हैं। किसान खेत में, मजदूर मशीन पर, मालिक मैनेजमेंट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

में, सेक्रेटरी और सारा सेक्रेटेरियेट अपनी अपनी जगह काम करें, अपनी जगह कोई हरामखोरी करता है तो वह देश का नमक-हराम है।

इसलिये मैं नहीं मानता कि लेजिस्लेटिव असेम्बली जो सारी मोटर फोर्स हैं, किस तरह का राज्य हिन्दुस्तान में रखना चाहते हैं, इसकी सारी फिलोसोफी इसमें निहित है कि असेम्बली सुप्रीम होगी, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, उस जगह एक एम. एल. ए. महसूस करे, मैं अगर काबिल समझा जाऊं तो इस ३०० रुपट्टी की कभी पर्वाह नहीं करूंगा, मुल्क को जरूरत है अगर मेरी एअर में, नेवी में या और किसी जगह, मेरी वजह से मुल्क फतहयाबी कर सकता है तो मैं इसको लात मारूंगा। यहां के नौकर, मालिक, पूंजीपति, जितने लोग हैं, अगर हम चाहें सही तौर से, ईमानदारी से कि इस मिनिस्टरी को और सरकार को मजबूर कर दें कि इमर्जेन्सी की तरह काम करना चाहिये, तो हम एम. एल. ए. उस फौजी अफसरी से हम यहां ज्यादा सेवा कर सकेंगे। आपने जिस तरह से पोइन्ट आउट किया, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे मुल्क की सरहद की इन्टीग्रिटी रहनी चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अन्दर हमारी सरकार को एक आवाज से मजबूत करना है। यह डिसाइड हो जाय तो जो चीजें सरकार में हैं, सरकार में कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई खराबी है तो पहले सरकार को समझाकर, समझाने से नहीं मानें तो सरकार को मजबूर कर दें, जनता में प्रचार करके कि एमर्जेन्सी में जिस तरह की जरूरत है वह सब काम करे, हर आदमी में इस तरह का वातावरण फैल जाय कि किसान मजदूर, सभी इमर्जेन्सी के लिए तैयार हो जायं........

श्री भैरोंसिंह : सिवाय सरकार के सभी तैयार हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हां, आप शायद प्राइवेट सेक्रेटरी हैं सरकार के, यह भी आपकी उसी भावना से ओतप्रोत है कि एमर्जेन्सी को एमर्जेन्सी नहीं मानते। सरकार का सारा कान्फिडेन्स तो आपसे है। मैंने जिस भावना से कहा है उस भावना से प्रेरित होकर आप सरकार को समझाएंगे, अगर छोटी चीज को बड़ा दिखा कर बताएंगे, बेइमानी की बात...

श्री भैरोंसिंह : यह उपदेश आप सरकार को दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको भी उपदेश देने का हक रखता हूं।

मैं एक केस बताता हूं। एमर्जेन्सी जब शुरू हुई तब टी० एन० चतुर्वेदी अजमेर में थे। एक वहां प्रकाश नामक आर्टिस्ट है, उसने चतुर्वेदी के कहने पर वहां एग्जिबिशन लगाया उसमें जो आमदनी हुई उसने सारी एमर्जेन्सी में दे दी, इसी भावना को लेकर टी० एन० चतुर्वेदी ने यह एग्जिबिशन लगवाया था। उस आर्टिस्ट ने आमदनी तो सारी डिफेन्स फंड में दे दी और उसके बाद में एक साल हुआ तो एन्टरटेन्मेंट टैक्स का बिल उसके पास पहुंच गया १२० रुपये का। ५०० रु० तो उसने दे ही दिए थे। मैं अब सरकार से कह रहा हूं कि हमारी भावना

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

को उछालने के लिये तो सब कुछ किया जाता है लेकिन फिर ऐसी बातें क्यों होती हैं। वह आर्टिस्ट ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों से मिला, लेकिन जवाब मिला कि कुछ नहीं हो सकता और रुपया उससे वसूल किया गया।

मैं दूसरी मिसाल देता हूं। मैंने 'हकीकत' फिल्म की तारीफ सुनी थी। मैंने भी उसको देखा है, जो भावना पैदा करना चाहते हैं वह नहीं होती जिसको यह सरकार समझती है और उन्होंने ६ लाख एन्टरटेन्मेंट टैक्स की छूट भी दे दी लेकिन उस पिक्चर में क्या है? उसमें सिर्फ एरोटिक सेन्स के लिए कुछ फ्रेजज दिए हैं, औरतें दिखाई हैं जिससे कि लोग ज्यादा उस पिक्चर को देखें। आप ऐसी फिल्म्स कभी नहीं बनाएंगे जिसमें भगतसिंह जैसी देशभक्ति बताई गई हो। मैं सारी की सारी केबीनेट को कहता हूँ कि आज हकीकत पिक्चर को देखें जिसके लिए ६ लाख एन्टरटेन्मेंट की छूट दी गई। श्री आनन्द सिंह कछवाहा को जानकारी है, उनसे पूछिए। दुश्मन पास में है गोली नहीं चलाई जाती, दुश्मन २ हजार फीट दूर है, गोली चलाने की हिम्मत नहीं है, दुश्मन २५ कदम दूर हैं, हमारे आदमी भाग कर चले आए। दुश्मन हमला कर देता है, हमारे पास हथियार नहीं हैं, इस तरह के चित्र इस फिल्म में खींचे गये हैं ऐसी फिल्में हमको आगे बढ़ाने वाली नहीं हैं। मुल्क के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस की जाय उसके लिए तस्वीर चाहिए, भगतसिंह को कैसे फांसी पर चढ़ाया गया, राणा प्रताप ने कैसे सेक्रीफाइस की, जिसकी भतीजी आज यहां बैठी हुई है। जब तक मेजर शैतानसिंह जैसे चित्र नहीं दिखाये जायेंगे तब तक एमर्जेन्सी की फिज़ा तैयार नहीं कर सकेंगे। जब तक आप फिजा तैयार नहीं करेंगे तब तक एमर्जेन्सी में आगे बढ़ने में देर होगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह सारा कैसे बिल से संबंधित है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसलिए यह कहता हूं जिससे यह रिप्लेस हो सके। मैं तो देश की बात कर रहा हूं, उधर बैठने वालों को तो अब्दुल्ला ही ज्यादा याद आता है।

श्री भैरोंसिंह : आपको तो हर वक्त कौन याद आता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो कट्टर इन्सपैक्टर हैं, आपको ज्यादा देखने की आदत है। तो मैं कह रहा था कि राजस्थान ने इस छोटी लड़ाई में कोई कम कुर्बानियां नहीं की हैं, हम उनके रिश्तेदारों से क्या व्यवहार करते हैं। सरकार ने उनके लिए क्या किया। कभी उनके घर पर मिले, कभी ५००)रु० दे दिये, कभी मशीनें दीं और अखबारों में आ गया, यह अच्छी बात है लेकिन आज इन सब बातों से ज्यादा इम्पोर्टेन्ट उन लोगों की बात है जिन लोगों ने मुल्क के लिए हिमालय पर खून बहाया। ऐसे सब लोगों की लिस्ट बननी चाहिए, उनके नाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उम्मीदवारों से पूछने चाहिए, जो लड़का नहीं बता सके उसको फैल कर दिया

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जाय । तभी जाकर हम सही फिजां पैदा कर सकेंगे ।

यह जो संशोधन बिल है, मैं समझता हूं कि छोटी बात है, यह इन्कम्पलीट है । इसको माननीय सदस्य वापस ले लें । कोई भी विधायक आर्मी में जाना चाहे, नेवी में जाना चाहे, जा सकता है, कोई उसे नहीं रोकेगा, कोई उसका डिस्क्वालीफिकेशन नहीं करेगा । आप तो कानून की बात करते हो मैं कहता हूं कि सबको छूट है, तुम्हारी तनख्वाह कहीं भी नहीं जायेगी । इसलिए इसकी इम्पोर्टेन्स कम नहीं समझें । सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे । अब सरकार को मौका दें और उनकी तरफ से कम्पलीट एक्ट आना चाहिए, उसमें पंचायत वाले भी हों, कॉम्प्रीहेन्सिव डिस्क्वालीफिकेशन का बिल हो । आपका बिल तो सिर्फ विधायकों के लिए ही है, उसकी परिधि छोटी है । मुझे कोई विरोध नहीं बल्कि मैं अपील करूंगा कि इस बिल को वापस ले लिया जाय और सरकार महसूस करके जरूर ऐसा बिल लाएगी ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की फौज में भर्ती आदि को लेकर योग्यता रहे उसकी ओर संकेत करते हुए जो बिल रखा उसका मैं समर्थन करता हूँ ।

हकीकत में बात यह है कि हमें यह सोच कर चलना चाहिये कि हमारे बाप-दादा ने क्या किया ? इसके साथ साथ हमें यह भी सोच कर चलना है कि हम अपने पोतों-प्रपोतों के लिये क्या कहना चाहते हैं । हमें आने वाले के लिये सोच-समझ कर कार्य करना है । शेर जब शिकार करने जाता है तो अपने सारे साधन और नाखूनों को तेज रखता है; यह नहीं कि वह शिकार के समय अपने नाखूनों को तेज करने बैठे । इसी प्रकार जो फौजी है या फौज में जाता है और मोर्चे पर रहता है तो उसको हर वक्त तैयार रहना होता है, हर प्रकार से अपने हथियारों से उसको लेस रहना पड़ता है । हर वक्त उसकी निगाहें चौकन्नी रहती हैं, उसका दिल और दिमाग सही रहता है और उसका हाथ हथियारों पर रहते है, उसकी अंगुलियां ट्राइगर पर लगी रहती हैं । तब ही सही माने में देश की रक्षा कर सकता है । यह नहीं सोचना चाहिये कि यह कांग्रेस की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से नहीं रखा गया है । लेकिन हमें तो इसको इस रूप में लेना चाहिये कि आज इसकी बड़ी आवश्यकता है । आप यह नहीं सोचें कि आज इस बात की आवश्यकता नहीं है । देश पर कोई हमला करेगा तो हम कल क्या करेंगे ? दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है । यह पता नहीं है कि कब किस ओर चिनगारी लग जाय । हम यह सोच बैठें कि यह होगा नहीं, वह होगा नहीं इसलिये अपनी गति को चलने दें । लेकिन दुनिया के हर देश, जो आज शक्ति सम्पन्न हैं अथवा नहीं, यह विचार करते है कि कल के लिये तैयारी करके रखना है । दुनिया भर में परीक्षण कर रहे हैं, दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगाने पर भी । चाहे यू. एन. ओ. बना हो या सब कुछ हो लेकिन हर देश अपने अपने आधुनिक परीक्षण में लगा हुआ

(श्री अब्दुलजब्बार)

है कि उसको अपने देश को हर तरह से तैयार रखना है। किसी एक दूसरे देश को मालूम नहीं है कि किस देश में भीतरी तौर पर क्या हो रहा है। आज बैलेन्स ऑफ पॉवर रखना चाहते हैं लेकिन स्थिति का अन्दाजा आपको करना होगा। हमें यह देखने को मिला कि कांगो और कटंगा में क्या हुआ, हमें यह देखने को मिला कि अरब देशों में अब क्या हुआ, हमें यह देखने को मिल रहा है कि वियतनाम में क्या हो रहा है, हमें यह देखने को मिल रहा है कि इन्डोनेशिया और मलेशिया के आपस में झगड़े चल रहे हैं। अब सवाल यह आता है लड़ाई के हाथ-पैर नहीं होते। कौनसे मोर्चे पर कब लड़ाई छिड़ जाय।

दुनिया दो पहलू लिये हुए है। एक पूंजीवाद और दूसरा समाजवाद। पूंजीवाद ने पूंजी का वर्चस्व है और समाजवाद में करेक्टर की सराहना की जा रही है। कई देश पूंजी के ढेर बने हुए हैं। ऐसे बैठे हैं उस पूंजी पर जैसे सांप कुंडली बना कर बैठता है। पूंजी को आंच नहीं लगने देंगे। हमारे देश का इतिहास यह बताता है कि अच्छे अच्छे लेखकों ने टूटी-फूटी चारपाइयों पर दम तोड़ दिया। गरीबावस्था में रह कर भी जीवन में चरित्र का निर्माण किया और हमारे देश के ज्वाजल्यमान इतिहास में चार चांद लगा दिये। हमारे देश के नक्षत्र बन गये। चरित्रवान व्यक्ति यदि मर गये तो घर में फूटी पाई नहीं मिली। रफी अहमद किदवई की आपको दास्तान याद होनी चाहिये। हम यह नहीं समझें कि विधान सभा का सदस्य होकर मिलिटरी में जायं। हमें यह सोचना है कि देश का हर व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा देश का सोल्जर है, देश का सिपाही और उसको उसके देश की स्वतन्त्रता और उसके व्यक्तित्व की रक्षा करनी है। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, आपने विलेज वॉलन्टियर फोर्स रखने का कानून में प्रावधान किया था, म्युनिसिपैलिटी को सेना नायक आदि आपने जो पदवियां रखी थीं, को ट्रेनिंग देनी होगी। आपने न जाने क्या क्या नाम दिये थे। क्या आज भी वह ट्रेनिंग दी जा रही है? मालिक न करे कोई देश हमारे ऊपर हमला करे। लेकिन समस्याएं हमारे सामने आती हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : आर. ए. सी. आपके लिये है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आर. ए. सी. आपके लिए नहीं, आपके लिए आवश्यक है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब्बार साहब के लिए।

श्री भैरोंसिंह : इसकी बड़ी चिन्ता आपको है!

श्री अब्दुलजब्बार : आज वहां पर नहीं जा रहे हैं और इसलिये अयोग्य घोषित नहीं किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि मैं एक्स-सर्विस-मैन हूं। जब भी गवर्नमेंट का नोटिस आया और मुझे बुला लिया जाता है तो मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि ये

(श्री अब्दुलजब्बार)

जो यह कहते हैं कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है, क्या फिर मैं विधान सभा में बैठने के योग्य रहता हूं या विधान सभा से इजाजत दी जा सकती थी या नहीं ? कानून बिल्कुल मौन है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): दी जा सकती थी।

श्री अब्दुलजब्बार : यह आपकी बात है। गवर्नमेंट और कांग्रेस यह सोचे कि हमें वह बिल लाना चाहिये था और संशोधन करना चाहिये था। उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत में हम यह चाहते हैं कि हमारा देश उठे, हमारे देश की ललकार को सुन कर के दुनिया थर्राये और जो हमारी तरफ आंखें उठाते हैं उनकी आंखें झुक जांय। हमारे देश का बच्चा बच्चा देश के निर्माण के लिये तैयार हो, देश की रक्षा के लिए तैयार हो और कोई भी व्यक्ति हो, वह चाहे विधान सभा का सदस्य हो, चाहे व्यवसायी हो, साधारण नागरिक हो, मजदूर हो, कोई हर आदमी देश पर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाय। पंचायत का और म्युनिसिपैलिटी कहीं का भी हो, हर तरह से देश की रक्षा के लिये तैयार हो जाय। सबसे पहले उसके सामने उसका देश है। उसके देश का निर्माण है और देश ही सब कुछ है और बाकी सब कुछ पीछे, यही उसका ध्येय हो और लक्ष्य हो। यदि यह स्थिति आप मुल्क में पैदा करेंगे, यह फिजां आप देश में पैदा करेंगे तो हिन्दुस्तान हकीकत में एक बलिष्ठ और मजबूत देश बन जायगा। इसके निवासियों का चरित्र निर्माण हो जायगा और उन्नत राष्ट्र होकर गौरवान्वित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें सुनने को मिलता है कि रक्षा-कोष लोग बीच ही में खा गये। हमें यह सुनने को मिलता है कि हमारे फौजियों की क्या वकत है। हमारे यहां के रहने वालों की उसके प्रति क्या भावना है, यह भी देखिये। मैंने किसी टाइम में फौज में नौकरी की थी। वह ब्रिटिश के समय की थी। जब ट्रेन आदि में सफर करते थे और ब्रिटिश कन्ट्रोल में जब मिलिट्री चला करती थी तो सैनिकों के लिए क्या सुविधायें दी जाती थी, क्या सैनिकों के लिए इज्जत थी और क्या मनमाना सामान मिलता था, यह मैं ही जानता हूं आप नहीं जान सकते; लेकिन आज के टाइम में मिलिट्री में सर्विस करने वाले सैनिक के लिए, जो अपनी जान देता है, अपने देश के लिये, जो मोर्चे सम्हाले खड़ा रहता है, उस आदमी को रंगरूट कहा जाता है, उसके प्रति एक हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) गलत है।

श्री अब्दुलजब्बार : माफ करिये आप विधान सभा में ऐसी बातें करते हैं। उस सूरमा के मुकाबले में आप अपनी पूंजी के ढेर को अपनी छाती से लगाते हैं। आप उस चरित्र को पूछते तक नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हर सैनिक के प्रति देश में कद्र है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ऐसे लोग

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

ही देश में इस प्रकार की बात करके नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : माफ करिये । मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इसी विधान सभा में भूतपूर्व सैनिकों को जमीनें देने के लिये, क्वेश्चन उठते हैं लेकिन आज वह चरित्र हो रहा है या हंस रहा है, मैं यह आपसे ही पूछना चाहता हूँ ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : बराबर सरकार की ओर से दी जा रही हैं ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : यह तो केवल चिलम भरी जा रही है सरकार की ।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं निवेदन करूं कि सरकार नारा लगाती है समाजवाद का और कहती है हम समाज का समाजवाद के रूप में निर्माण करेंगे । देश का निर्माण करेंगे और समाजवाद का रूप रखेंगे और व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का फायदा नहीं दिलावेंगे । मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में समाजवाद का नाम लेना आसान है लेकिन पालन करना बड़ा मुश्किल है । महरबानी करके समाजवाद को थोड़ा भूल जाइए, पहले आप मानवता को ही सीख लीजिये । पहले आप राष्ट्रीयता को ही सीख लीजिये । राष्ट्र के लिये मरना और उसी के लिये जीना, राष्ट्र के लिए पैदा करना और राष्ट्र के लिये खर्च करना, यह ही सीख लीजिये और सिखला दीजिये तो मैं समझूंगा कि आप मानवता की और राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं । आज हकीकत में आप विपरीत कर रहे हैं । आज इस दोहरी हुकुमत में इस बात की कोशिश की जाती है किसी को मान-सम्मान दिया जाय तो उसकी केपेबिलिटी पैसे के आधार पर आंकी जाती है । आज किसके पास कितनी केपीटल है, इसी के आधार पर उसकी इज्जत आंकी जाती है, उसका मान-सम्मान आंका जाता है । यह केवल समाज में ही ऐसी बात हो यह नहीं, सारा देश आज इसी आधार पर मान-सम्मान करता है । यह देश की सुरक्षा को कलंकित करने वाली चीज है । महरबानी करके इसको खत्म कीजिये । सुरक्षा के सामने आप अर्थ की उपासना मत करिये, क्योंकि यह धन-दौलत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बिल को किसी भी प्रकार से सरकार अपनी इज्जत का सवाल न समझ कर इसको समर्थन दे । विधान सभा के एक सदस्य ने जिस प्रकार का प्रावधान रखा है उसको सर्वसम्मत्ति से पारित किया जाय । आज आप इसके लिये यह न कहिये कि दूसरे प्रान्तों में ऐसा कोई कानून नहीं है । दूसरे करें तो हम करें, यह नीति आपकी गलत है । विकेन्द्रीकरण का सेहरा बान्धने के लिये दुनियां को बतलाना चाहते थे इसलिये आपने विकेन्द्रीकरण सबसे पहले किया । आपने, किसी दूसरे राज्य में कानून बना या नहीं, इसकी राह नहीं देखी । आप इसमें किसी की नकल मत करिये । कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विधेयक रखा है, विधान सभा निर्योग्यता निवारण विधेयक, उसको सदन को चाहिये कि वे सर्वसम्मति से स्वीकार करें, इसको हर सदस्य को समर्थन देना चाहिये । यह राष्ट्रहित, देशहित और जनहित

(श्री अब्दुलजब्बार)

सब में है। इसमें किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्र पार्टी का कोई सदस्य उपस्थित नहीं है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार हो रहा है, सब के सब गायब हैं।

(श्री गिरधारीलाल व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिंह : यदि माननीय सदस्य बोलने लग गये तो सभी चले जायेंगे, कोरम बैल बजानी होगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह कह कर आप इनको बिठाना चाहते हैं, ये बोलेंगे तो सब बाहर चले जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो इसलिये बैठ गया था; एक विरोधी पार्टी के नेता हैं, बुजुर्ग हैं, वे खड़े हो गये तो मेरा बैठना स्वाभाविक था। मैंने उनकी इज्जत की है, इसलिये बैठा हूं और कोई बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के लिये जो कुछ कहा है उसके लिये खेद प्रगट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप हिम्मत एकत्र करके बोलिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९६३ जो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसादजी ने सुझाव दिया है कि यह जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है वह अपने आप में अपूर्ण है। इसको जब तक पूर्णरूपेण पेश न किया जाय तब तक यह संशोधन विधेयक लाये हैं वे अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस संशोधन विधेयक पर पुर्नविचार करके जो जो बातें इसमें रखना चाहते हैं उसी प्रकार रखी जायं तब ही यह बिल अपने आप में पूर्ण होगा और सब लोग इसका स्वागत करेंगे।

मेरा सुझाव यह है कि जिन माननीय सदस्य ने यह रखा है उनके अनुसार जो विधान सभा के सदस्य हैं और जो फौज में जाना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की अड़चन पैदा न हो,वे सदस्यता से खारिज न हों, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के सदस्यों के अलावा और ऐसे सदस्य हैं जो चुनकर आये हैं, जैसे जिला परिषद् के प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान, न्याय पंचायतों के चेयरमेन, पंचायतों के सरपंच, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन, ऐसे जो दूसरे लोग हैं जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनके लिये भी प्रावधान रखा जायगा तो ठीक होगा और यह विधेयक अपने आप में पूर्ण होगा।

भारत के ऊपर २० अक्टूबर, १९६२ को जब चीन का आक्रमण हुआ तब संकट–कालीन स्थिति की घोषणा की गई, उसके तहत राष्ट्रपति ने सारे देश में संकटकालीन

(श्री गिरधारीलाल शर्मा)

स्थिति की घोषणा की । उस संकट काल के समय में देश ने किस प्रकार की तैयारी की है यह किसी से छिपा नहीं है । चीन जो हमारा पड़ौसी देश था, जो इस प्रकार का नारा देता था कि मैं भारत का मित्र हूं, सदैव मित्रता रहूंगा, धोखा देकर, हमारा देश जब इस बात के लिये तैयार नहीं था, जो अपनी आर्थिक हालत को सुधारने के लिये तैयारी कर रहा था, वैसी हालत में धोखा देकर चीन ने हमारे पर हमला किया ।

ऐसी परिस्थिति में जब कि हम तैयार नहीं थे धोखेबाजी से हमला करके कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया । प्रश्न यह नहीं कि जो जमीन ले ली उसे कैसे लिया जाय । आज प्रश्न राष्ट्रीय सेवा का है, इज्जत का है, इसको किस प्रकार से बचाया जाय । इसकी इज्जत किस प्रकार से रखी जाय इस बात का सवाल है । जमीन जो करीब २० हजार स्क्वायर माइल है उसको ले लिया है ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

(गणपूरक बैल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो हमारे देश की जमीन है जिस पर हमारे दुश्मन ने कब्जा कर रखा है, उसको दुश्मन के अधिकार से छुड़ाया जाय ।

(१.४८ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

सभापति महोदया, चीन के द्वारा जो हमारे देश पर हमला किया गया जिस वक्त हमला किया गया हमारे स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से राष्ट्र को आह्वान किया, देश के ऊपर जो संकट आया उस समय में हर देशवासी को उसकी रक्षा करनी चाहिये । राष्ट्र की रक्षा में हर प्रकार की कुर्बानी करनी चाहिए । जो व्यक्ति राष्ट्र को प्रेम करता है तन, मन और धन से उसने देश सेवा करने का प्रण किया । उसने सोना-चांदी, जमीन–जायदाद अपने बच्चे और जितने भी साधन थे उनको देश के लिये अर्पण किया । इस देश रक्षा की तैयारी के साथ-साथ जो हमारे पड़ौसी मित्र देश थे उन्होंने हमारे साथ हमदर्दी की और हमें हर तरह की सहायता दी । उसके लिए जिस प्रकार की हमारी तैयारी थी उसको देखते हुए चीन का मुकाबला जिस प्रकार से देश के फौजी भाइयों ने और नागरिकों ने, चाहे वह मजदूर, चाहे व्यापारी, सबने इसमें योग दिया । इस देश प्रेम की जागृत हवा देखकर चीन को बीच में घोषणा करनी पड़ी और उसने लड़ाई बंद कर दी और अपनी फौजें पीछे हटा लीं । इस प्रकार के सहयोग से जिस प्रकार की चेतना आयी, देशवासियों की जो हिम्मत बढ़ी जिसकी मिसाल मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम जगह ऐसी मिसालें मिलती हैं ।

थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने चीन के साथ इस प्रकार का मुकाबला नहीं किया जिस प्रकार करना चाहिये था । मेरी यह मान्यता है कि हमारा देश अशोक और गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलने वाला रहा है, वह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करके चलने वाला रहा है, यह हमारे देश का इतिहास है, हमने कभी किसी पर आगे होकर हमला नहीं किया है, अगर किसी ने हमारे पर हमला किया है तो हमने उसका मुकाबला किया है। इस प्रकार का प्रश्न होते हुए भी जिस तैयारी के साथ हमने चीन का मुकाबला किया वह कोई कम बात नहीं थी। हमारे एक एक सिपाही ने बीस-बीस और तीस-तीस चीनियों को मार गिराया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, अभी तो मुझे दो-तीन मिनट ही हुए हैं और आपने घंटी बजा दी.........

श्रीमती सभानेत्री : तीन विधेयक और हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): लेकिन समय कोई निर्धारित नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : जितनी जल्दी हो सके तो अच्छा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है और इसके ऊपर जितना ज्यादा बोला जाये उतना ही अच्छा है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस राष्ट्र ने जो चीन के मुकाबिले में तैयारी की वह कोई कम चीज नहीं है। हमारे राष्ट्र ने फौज में जो हमारी स्थल सेना है उसमें किस प्रकार से भर्तियां करने की कोशिश की है और जितना कि हमने सोचा था कि इतनी स्थल सेना होने से हम चीन का मुकाबिला करेंगे उस मात्रा में हमने अपनी स्थल सेना में भर्ती कर ली है, जितने ऑफिसर्स हमारे होने चाहिए थे उतने ऑफिसर्स को तैयार कर लिया है, उनको ट्रेनिंग देकर पर्याप्त मात्रा में हम किस तरह से चीन से मुकाबिला कर सकें उसकी भी तैयारी हमने पूरी की है। इसी प्रकार से नौसेना और हवाई सेना की बात है। उसमें जितने साधन हमारे पास उपलब्ध थे और जिस प्रकार से हम अपने मित्र देशों की मदद लेकर अपने देश को संगठित बना सकते थे और उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकते थे उसकी भी तैयारियां की हैं और जितने हमारे पास कारखाने हैं,फौजी सामान बनाने के संबंध में, गोलाबारी बनाने के संबंध में, उनकी भी तैयारी की है और,इस देश में कई कारखानों की स्थापना की है जो कि काफी मात्रा में प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे देश में लड़ाई की तैयारी कोई की ही नहीं और यह कांग्रेस सरकार अपने दुश्मन का मुकाबिला करने में ढिलाई बरत रही है; यह मानने योग्य बात नहीं है। जिस प्रकार से हमारे देश ने काम किया है वह कोई कम चीज नहीं है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, किस प्रकार से हमारे दुश्मन का मुकाबिला करने का प्रयत्न किया है। मगर इसमें साथ ही साथ यह भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई एक आदमी का प्रश्न नहीं है. यह कांग्रेस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पार्टी का प्रश्न नहीं है, हर एक पार्टी का प्रश्न है और इस देश में जितने रहने वाले हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे स्वतन्त्र पार्टी के हों, चाहे जनसंघ के हों, चाहे सोशलिस्ट पार्टी में हों—अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के-तमाम लोग इसमें उनका समर्थन होना चाहिए और पूरी तरह से उनकी तैयारी होनी चाहिए कि राष्ट्र की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी की बात इसलिए कही कि उसमें बहुत से लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट्स है। मैं राइटिस्ट कम्युनिस्टस की बात नहीं कहता, लेकिन जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट्स हैं उनका इस देश के साथ किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, उनमें किसी प्रकार की राष्ट्रीयता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब भारत सरकार ने कहा था कि यह लेफ्टिस्ट पार्टी के लोग इस देश में उपद्रव कराने और अशान्ति फैलाने का और विद्रोह फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिसकी वजह से मजबूर होकर सब लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने का प्रश्न पैदा हुआ। आज जो बाहर के दुश्मन हैं उनका तो मुकाबिला कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, अपनी फौजी तैयारी करके उनसे मुकाबिला कर सकते हैं लेकिन हमारे अन्दर जो हमारे दुश्मन हैं, जो गद्दारी करके हमारे देश को दूसरों के हाथों में बेचना चाहते हैं उनसे मुकाबिला करना ज्यादा जरूरी है, उनसे ज्यादा खतरा है। इसलिए हमको अपने अन्दर जो दुश्मन हैं उनका सबसे पहले ध्यान रखना होगा। आज कोरी बातों से यह कह कर कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, कांग्रेस ने तैयारी नहीं की या इस राष्ट्र को संभालने के योग्य नहीं है, इस प्रकार की बातों से काम चलने वाला नहीं है। आपका इसके अन्दर क्या सहयोग है और किस प्रकार से सहयोग देकर आप किस प्रकार से सहायता देना चाहते हैं, इस प्रकार की बाते होंगी तभी इस राष्ट्र की तैयारी ज्यादा से ज्यादा मजबूत बन सकेगी और मजबूती से अपने दुश्मनों का मुकाबिला कर सकेंगे। आज हम अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोरी फौजी ताकत ही जरूरी नहीं होती है। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें जरूरी तरीके से संगठित करना पड़ेगा। आज जहां तक हमारे देश की इस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जब तक हम उनके पूरा खिलाने का प्रबन्ध नहीं करेंगे, उनके रहन-सहन का इन्तजाम नहीं करेंगे तब तक हमारे राष्ट्र के लोग तैयार नहीं हो सकेंगे-जैसी कि तैयारी हमको चाहिये। इसलिए किस प्रकार से हम खेती-बाड़ी को आगे बढ़ायें, किस प्रकार से ज्यादा पैदावार करें, इस प्रकार का हमारा इन्तजाम होना चाहिए। इसी प्रकार से इन्डस्ट्रीज के बारे में निवेदन है कि वहां मालिक और मजदूर दोनों में सहयोग होकर किस प्रकार से प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये तभी हमारा देश ज्यादा से ज्यादा मजबूत होगा और उस मजबूती के अन्दर हम अपने दुश्मन को अच्छी तरह से मुकाबिला कर सकेंगे। जब हमारे घर के अन्दर ही फूट है और दोनों भाई आपस में लड़ते हैं तो किस प्रकार से राष्ट्र की रक्षा का सवाल पैदा होगा? इसलिए धन और श्रम की आज लड़ाई है और जब तक इन दोनों में समन्वय होकर वाजिब चीज जिसकी है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

वह उसको मिले और वह खुश होकर अपना सहयोग राष्ट्र की तैयारी में लगावें तब जाकर हम अपनी मजबूती पर कायम रह सकते हैं और मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए भी हमें ज्यादा तैयार रहना चाहिए और हमको हमारे संगठन को ज्यादा मजबूत करना चाहिये। जहां तक श्रम का सवाल है अलग अलग पार्टीज़ अपनी यूनियनें बनाती हैं और तरह तरह की भावनाओं का प्रचार किया जाता है। बहुत से लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट ने जो कि इस देश में विद्रोह फैलाना चाहते हैं।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो क्या सभापति महोदया, मैं बैठ जाऊं ?

श्रीमती सभानेत्री : जी हां, बहुत से लोगों को बोलना है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझे तो बहुत सी बातें कहनी थीं।

श्रीमती सभानेत्री : बहुत से बोलने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : परन्तु सभापति महोदया, समय निर्धारित नहीं हुआ था।

श्रीमती सभानेत्री : समय तो निश्चित नहीं है लेकिन जहां तक हो सके दूसरे बिलों पर भी वाद-विवाद करने का प्रयत्न किया जाएगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब उपाध्यक्ष महोदय विराजे थे तो यही निर्णय था कि जो सदस्य अपने विचार रखना चाहें वह रख सकते हैं। मेरे से पूर्व भी सदस्य आधा आधा घण्टा बोले थे।

श्रीमती सभानेत्री : आपको जो कुछ कहना है वह दो मिनट में पेश कर दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो सभानेत्री महोदया, मैं कह रहा था कि हमको चाहिये कि अपने बच्चों को जब हम जानते हैं कि चारों तरफ दुश्मन है एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और हमें इनका मुकाबिला करना है तो हमें बच्चों को भी इस प्रकार की तालीम देकर तैयार करना पड़ेगा। हमारी स्कूल और कालिजों के अन्दर ए० सी० सी० और एन० सी० सी० की ट्रेनिंग है उसको कम्पलसरी बनाना पड़ेगा तभी राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकेगा और उसके साथ ही हमारी ताकत भी ज्यादा बढ़ेगी। इस विधेयक के सम्बन्ध में जिस प्रकार का माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा कि इसमें एम० एल० ए० को निर्योग्यता नहीं होनी चाहिए और वह फौज में चला जाये तो मैं समझता हूं कि यह एक सैन्ट्रल सब्जेक्ट है और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा था कि हमारी पालियामेन्ट में इसके ऊपर चार हो रहा है कि किस प्रकार से ऐसीवि

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

व्यवस्था की जाये जिससे कोई भी आदमी इमर्जेन्सी के समय फौज में शामिल हो सके और उनमें इस प्रकार की निर्योग्यता शामिल नहीं हो जैसा कि हमारे यहां भी प्रावधान है कि जब एमर्जेन्सी आई तो सरकारी अधिकारियों को यह इजाजत दी गई थी कि यदि वह फौज में जाते हैं तो सर्विस में उनका लियन रहेगा और वह फौज में जाकर अपने देश की सेवा कर सकेंगे। यह देश की समस्या है और हमारी जो सबसे बड़ी पालियामेन्ट है उसके अन्दर इस पर विचार होना चाहिए। अगर कोई एक ही तरीके का कानून आये तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

(२.०० म० प०)

और जो है वह कम्प्लीट भी हो। इसलिए वहां से इस प्रकार की बात तय हो जाय तब तो ज्यादा अच्छी बात है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमको अगर अपने देश की ताकत बढ़ानी है तो हमें हर प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए, और तमाम जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, चाहे इलेक्टेड लोग हों, चाहे आम जनता के लोग हों, चाहे सरकारी कर्मचारी लोग हों, चाहे स्कूल के बच्चे व नौजवान हों, जो भी देश के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते हैं तो उन लोगों को सही तरीके से सोचकर जब कि एमर्जेन्सी का प्रश्न है आज देश का दुश्मन बराबर तना हुआ बैठा है। आज पाकिस्तान और उसका जिक्र किया है। पआजा किस्तान ने पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर झगड़ा पैदा कर रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो उनका मुकाबला तभी कर सकते हैं, तभी पीछे हटा सकते हैं जब कि सशक्त रूप से मुकाबला करें और सब कोई इस प्रकार की भावना न रखें कि कांग्रेस को बदनाम करके तख्ता पलट दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इस तरह से देश के दुश्मनों का मुकाबला करने में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। इसलिए हमको एकता रखकर देश के दुश्मनों के साथ जितनी मजबूती से टक्कर ले सकते हैं इसी प्रकार की भावना को रखते हुए इस प्रकार का बिल रखा जाय तो ज्यादा सुन्दर होगा। इसको हमारे देश की सर्वोच्च सत्ता है पालियामेंट उसके द्वारा लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जुझारसिंह। यथा-संभव कम से कम बोलने की चेष्टा करेंगे।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो "रिमूवल ऑफ मेम्बर्स डिसएबिलिटीज़ बिल" रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं यह समझता हूं कि हमारे देश की जो परिस्थिति है उसको हमको पूरी तरह से जागरूक होकर समझने की आवश्यकता है, परन्तु अनफॉर्चूनेटली एक फेक्ट है

(श्री जुझारसिंह)

जिसको एवॉइड नहीं किया जा सकता है कि आज हमारे पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज चाहे वे किसी भी पार्टी के हों उनको फौज के बारे में जितना इल्म होना चाहिए, जितनी जानकारी होनी चाहिए, उतनी नहीं है और उसकी वजह से जो हमारी फौजी प्रिपेरेशन है या जो मशीनरी है उसको पूरी तरह से समझने में बहुत सी तरह की दिक्कतें आती हैं। उसकी वजह से पूरा डेन्जर और भय हमारे सामने है। हमारे देश के सामने उपस्थित खतरे की न जानकारी की वजह से लोग–बाग पूर्ण योग देने में असमर्थ रहते हैं जिसकी वजह से विद दी बेस्ट ऑफ इन्टेन्शन्स जो कुछ भी हमारी ड्यूटी है आज की परिस्थितियों में हम नहीं कर पाते हैं।

इस भूमिका में मैं एक इन्स्टान्स जो मैंने एक ऑथेन्टिक किताब में पढ़ा है उसको सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम "ATTACK ON NEFA" है, उसमें एक जिक्र आया था कि किस तरह से हमारे मेम्बर पार्लियामेंट के और इलेक्टेड रिप्रेजन्टेटिव फौज के मामलों में अनभिज्ञ हैं और उसकी वजह से फौज के ऑफिसर्स और जवानों में उनका क्या असर होता होगा उसमें लिखा था कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी या एस्टीमेट कमेटी लोकसभा की थी उसके सामने एक ब्रिगेडियर साहब को बुलाया गया और ब्रिगेडियर साहब जब एवीडेन्स के लिए आये तो कमेटी के चेयरमैन ने एस्टीमेट्स कमेटी या पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, मैं पूरे तौर से नहीं कह सकता हूं कि दोनों इम्पोर्टेन्ट कमेटी में से वह कौन सी कमेटी थी, लेकिन दोनों कमेटियों में से कोई एक कमेटी थी, उनके चेयरमैन ने जब ब्रिगेडियर एवीडेन्स के लिए आये तो कैप्टेन कह कर पुकारा "गुड मोर्निंग मिस्टर कैप्टिन," वह डिसिप्लिन्ड आदमी था इसलिए उसने कॉन्ट्राडिक्ट करना वाजिब नहीं समझा, लेकिन नेचुरली उनके दिमाग में ऐसी भावना पैदा हुई होगी कि आज हमारे पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव को कैप्टेन और ब्रिग्रेडियर के बीच का डिस्टिन्क्शन भी मालूम नहीं है। उसी के बाद उसी कमेटी के किसी सदस्य ने चैयरमैन महोदय को यह बताया कि जिस डेज़िग्नेशन से आपने पहले एड्रेस किया है वह करेक्ट एड्रेस नहीं है और फौजी टर्म में वह एक तरह से इन्सल्टिंग टर्म है। बाद में जब वह ब्रिग्रेडियर जाने लगे तो चैयरमैन महोदय ने उनको अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के खातिर करेक्ट एड्रेस करने की कोशिश की और उनको कहा, "ब्रिगेडियर जनरल माफ करें। मैं करेक्ट एड्रेस नहीं कर सका और आपको कैप्टन कह दिया।" ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमारी फौज में ब्रिगेडियर जनरल का कोई रैंक नहीं है। यहां सिर्फ ब्रिगेडियर का रैंक होता है। तो यह एक दृष्टान्त है कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव हमारी फौज की सीधी-सादी बातों का जिसमें रैंक्स और दूसरी बातों का सवाल होता है उनके बारे में कितनी जानकारी रखते है और इसी वजह से जो फुल एप्रिसियेशन हमारी फौज के व्यक्तियों का और दूसरी बातों का होना चाहिए हम हमारी अज्ञानता के कारण पूरी तरह से एप्रिशियेट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से हमारे पास एक कानून के होते हुए भी बहुत सी

(श्री जुझारसिंह)

कमियां रह जाती है प्रिप्रेशन में और दिक्कतों को फेस करना पड़ता है ।

इसलिए मैं समझता हूँ कि जो माननीय सदस्य यह बिल लाये हैं उसका महत्व अभी है कि नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर महसूस करता हूं कि हमारे लोकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज को और दूसरे आदमियों को फौज के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिये । उनकी डिफीकल्टीज को और उनकी मुसीबतो को समझने की कोशिश करनी चाहिए और वह तभी हो सकता है कि जब हम किसी तरह से फौज के मामले में अपने आपको एसोशियेट कर सकें । इसके बारे में मैं एक और दृष्टान्त देना चाहता हूँ । वह किसी लेटेस्ट किताब में लिखा हुआ ही है । मैं उसको ऑफ हैण्ड नहीं बता सकता, लेकिन उसमें लिखा है कि १९३७ के करीब माओत्से तुंग ने एक निष्कर्ष दिया था । उसमें उसने यह बताया है कि चीन का महत्व अपनी साइज ओफ पोपुलेशन और डिस्टेन्स ऑफ लैन्ड का है । उसको देखते हुए उसको एक तरह की लड़ाई सूट करती है । उन्होंने कहा कि चीन एक लम्बी लड़ाई के लिए उपयुक्त है क्योंकि २५–२० व ५० वर्ष तक लड़ते रहने पर भी उसकी पोपुलेशन में कमी नहीं आती है । एज़ ए मेटर ऑफ फेक्ट लम्बी लड़ाई में उनकी पोपुलेशन की ट्रेनिंग होती है और लगभग पोपुलेशन के साथ अंकुश भी होता रहता है और ट्रेनिंग भी होती रहती है । इसलिए आज जब वह वहां का मास्टर है, चीन का, और उसकी यह थ्योरी है कि लम्बी लड़ाई में चीन का फायदा है । १०० मील इधर–उधर हो जाने में नुकसान नहीं है क्योंकि उसका टेरीटोरियल एक्सपेन्शन बहुत ज्यादा है जिसके कंटेक्स्ट में उसने यह लिखा है । उसने यह भी कहा है कि डेमोक्रेसीज इस तरह की लड़ाई के लिए तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज के आदमी जिस वक्त उन पर अटेक होता है तो थोड़ी देर के लिए उनमें जोश आता है । उसके बाद में उनके जो इन्टर्नल प्रोब्लम्स होते हैं उनकी तरफ उनका ज्यादा ध्यान चला जाता है और वे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और उसमें बाहरी खतरे को भूल जाते हैं...

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर) कोरम नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : कि एक्स्टर्नल...

श्रीमती सभानेत्री : पूरा है ।

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदया, तो मैं यह कह रहा था कि माओत्से तुंग ने १९३७ में अपनी धारणाएं बताते हुए यह कहा था कि डेमोक्रेसी में किसी लोंग टर्म में लड़ाई के लिए प्रिपेयर रहने की क्षमता नहीं होती और डेमोक्रेसी से किस तरह लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, यह जरूरी होता है कि एक साथ उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, स्टेट ऑफ वार कन्टीनुअस नहीं होना चाहिए । उनका मत प्रकट करने की दशा में उस वक्त हिन्दुस्तान आजाद नहीं था, हो सकता है कि अपना मत अंकित करते समय, आर्टीकल लिखने के वक्त इस तरफ इरादा नहीं रहा होगा लेकिन जो थ्योरी प्रोपाउन्ड की है वह आज के कन्टेक्सट में हिन्दुस्तान के ऊपर लागू होती है ।

(श्री जुझारसिंह)

उसमें उन्होंने लिखा है कि कन्टीनुग्रस स्टेट ग्रॉफ एमर्जेन्सी ऑफ वार डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती है। डेमोक्रेसी को डिमोरेलाइज करने के लिए जरूरी है...

(गण-पूरक घंटी)

Should I stop or continue ?

श्रीमती सभानेत्री : Continue please.

श्री जुझारसिंह : तो डेमोक्रेसी को कोंकर करने के लिये और डीमोरेलाइज करने के लिए माम्रोत्से तुंग की थ्योरी यह है कि उनको पहले प्रोवोक किया जाय, एग्जॉइट किया जाय, फिर लंबा लर्क दिया जाय ताकि पब्लिक इन चीजों को भूल जाय ग्रौर दो-चार साल बाद फिर प्रोवोक किया जाय, फिर उनके स्टेट ऑफ माइन्ड को देखा जाय कि उसमें क्या फर्क ग्राया है। यदि वे इस तरह की क्रान्ति रेस्पोन्ड करते हैं तो फिर दो-चार वर्ष का लर्च दिया जाय, फिर उन पर ग्रटेक किया जाय । उनकी थ्योरी के माफिक एक स्टेज ऐसा आयेगा कि वे इस ओर ध्यान नहीं देंगे ग्रौर ग्रंदरूनी झगड़ों में फंस जायेंगे। यह भी उनकी इम्पोर्टेन्ट थ्योरी है ग्रौर आज जैसी कन्डीशन में हम हैं और हमारे जो रिलेशन्स चाइना से हैं, हमारा जो डीमांक्रेटिक कैरेक्टर है और माम्रोत्से तुंग की जो थ्योरी है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज पर कंटिन्युअसली अटेक नहीं करना चाहिये, प्रेशर लाकर रिलेक्स करना चाहिए और फिर डेमोरेलाइज करके डेमोक्रेटिक कंट्रीज को बिना मेहनत के ले सकते हैं। इस बैकग्राउन्ड से मैं समझता हूं हमारे पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज को फौज के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि नहीं है तो ग्राज लल का पीरियड है जो उन्होंने उनकी थ्योरी के ग्रनुसार दिया है ग्रौर इस लल के पीरियड में हमको फौज का ज्ञान ग्रधिक नहीं है, हम ऐसा समझते हैं कि नोर्मल टाइम में ही रह रहे हैं। इसके बाद फिर वे देखेंगे कि हमारी क्या प्रिपरेशन है उसको देखकर वे फिर ग्रटेक करेंगे। इस वजह से मैं कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करके सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है, उसका स्वागत करता हूं ग्रौर महसूस करता हूं कि इस तरह मेम्बर्स ग्रॉफ दि लेजिस्लेटिव एसेम्बली को फौजी मामलों में पाबन्द किया जायगा तो देश को फायदा होने वाला है। इसके साथ-साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि ग्राज एमर्जेन्सी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी होनी चाहिये ग्रौर इन चीजों में यदि लेजिस्लेचर्स ज्यादा तादाद में या कुछ सब्स्टेन्शियल तादाद में फौज के बारे में जानने वाले सदस्य होते तो "ग्रेटर एम्फेसिस" कर सकते थे लेकिन वैसे लोग नहीं होने से एम्फेसिस जितना आना चाहिये उतना नहीं आ रहा है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ५ मिनट और लूंगा : बजट के टाइम मैंने सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। पिछले साल ५७ लाख रुपयों को इस वजह से पुलिस के काम में नहीं ले सके कि समय पर ग्रार्म्स एम्युनिशन्स और विहिकल्स आर. ए. सी. के लिए नहीं खरीद सके। सरकार ने जवाब दिया था कि

(श्री जुझारसिंह)

वे रुपये लेप्स नहीं हुए हैं और इस साल में युटिलाइज् हो जायेंगे लेकिन युटिलाइज् होने का सवाल नहीं है, सवाल समय का है क्यों कि समय पर प्रिपेरेशन करना ज्यादा जरूरी है। मैं मानता हूं कि वे रुपये ट्रान्सफर होकर इस बजट में खर्च होंगे लेकिन एक साल की जो डिले हुई है वह नहीं हुई होती यदि मिलिटरी के मामले में समझने वाले सदस्य होते। इसी तरह से सैनिक स्कूल और डिफेन्स स्कूल के बारे में "बैस्ट ऑफ इन्टेशन" के बाद भी हम पूरी तरह से महत्व महसूस नहीं कर सके हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत कम मेम्बर्स फौज या डिफेन्स के बारे में वाकिफयत रखते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे इस बिल का महत्व है और इसको पूरी स्ट्रेन्थ से एन्विसेज़ करने की जरूरत है। उसके साथ-साथ माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हुआ कहूंगा कि हमारी सरकार बहुत सी स्कीम्स चला रही है, डिस्क्वालिफिकेशन हटाने की जरूरत नहीं है, उनमें माननीय सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिफेन्स से जो रिलेटेड है उनके बारे में हमें अपने काम से बताना है कि हम उनकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे टेरिटोरियल आर्मी है, लोक सहायक सेना है, होम गार्ड्स है, उन में पब्लिक का कॉन्फीडेन्स गेन करने के लिये आवश्यक है कि एम. एल. एज. इन चीजों में, स्कीमों पर ज्यादा जाते हैं; मेरा अनुमान है कि हममें से बहुत कम ने ध्यान इस ओर दिया है इसलिये वजन कम होता है। गम्भीरता से इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए, इसके बिना इन्ट्रेस्ट कम हो जाता है। टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं, होम गार्ड वगैरह में जा सकते हैं। सभापति महोदया, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज एमर्जेन्सी का पीरियड है और इस एमर्जेन्सी के पीरियड में एमर्जेन्सी इतनी एक्यूट नहीं है जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हटनी चाहिए, एम. एल. एज़. को लेना चाहिए; लेकिन फिर भी इस तरह की सुविधा देनी चाहिए, देश पर संकट हो और उस वक्त एम. एल. एज़. फौज में, नेवी में, एयर फोर्स में जाना चाहें तो उनको सुविधा देनी चाहिए ताकि वे भी दूसरों के साथ अपना कॉंट्रिब्यूशन दे सकें। इससे जनता पर मोरल इफेक्ट पड़ता है और जनता के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ फौज के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इतना कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : सरकार की ओर से उत्तर दिया जायगा क्या? मैं निवेदन करना चाहूँगी कि तीन विधेयक और हैं; आप सहयोग दें तो उन पर विचार हो सकता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह आवश्यक है इस पर विचार काफी होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : दूसरे भी आवश्यक हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, इस बिल पर चर्चा होने से पहले यह कह दिया था कि जिस ऑर्डर में बिल्स हैं, उसी ऑर्डर से लिये जायेंगे। एक पर विचार हो जायगा उसके बाद दूसरा लिया जायेगा। इस पर अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज़ कर लिया तो पहले के डिसीजन के विपरीत होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने यह निर्णय क्यों दिया था कि तीन बिल्स जो पहले हैं वे अवश्य इसमें आयेंगे; ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चौथे ने क्या बिगाड़ किया था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पीछे के सारे बिल रह जायेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभानेत्री महोदय, जो बिल है वह अपने आप में ही ऐसे महत्व का है कि हम दोनों ही पक्ष के लोगों ने खास कर इस भावना से इस पक्ष की ओर से लाया गया है उसी भावना से दोनों ही पक्ष की तरफ से इसको देश के हित में आवश्यक कहा है। सबसे पहले यह देखना है कि इस देश में संकटकालीन परिस्थिति है या नहीं और संकटकालीन परिस्थिति है उसको हम मान्य करते हैं राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार तो उस पर विवाद हो भी नहीं सकता । दूसरी बात यह है कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जैसी है; देश की स्थिति,सीमा की स्थिति जैसी है उनको देखते हुए देश के सामने गंभीर समस्या जरूर है, चाहे पूर्वी पाकिस्तान में १८ दिन तक गोली-बारी चली, लड़ाई चली हो, परिस्थिति हमारे सामने बहुत विकट है, इसको मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि संकटकालीन परिस्थिति है और ऐसी परिस्थिति में यह निर्योग्यता निवारण आवश्यक है या नहीं, इसकी कानूनी धारा के अन्दर संशोधन हो या नहीं हो ? अभी ज्वालाप्रसादजी ने एक बात रखी कि केवल सदस्यों तक ही यह सीमित नहीं हो बल्कि और दूसरे लोग भी इसमें शरीक किये जायं । मैं समझता हूं कि दूसरे लोगों को शरीक करना इस संकटकालीन स्थिति में आवश्यक है और उनके द्वारा इस प्रकार का संशोधन इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, उस संशोधन को भी इसमें शरीक किया जायगा । अब सवाल यह है कि संकटकालीन स्थिति है और स्थिति गम्भीर है और ऐसी स्थिति में मौका नहीं देखा जाता है कि इसे पास करें या नहीं करें । जब इस प्रकार की परिस्थिति है तो मैं यह समझता हूं कि कानून में संशोधन करके इस प्रकार के बिल को सदन में पेश किया जा सकता है । इसलिए मैं समझता हूं कि जैसा ज्वालाप्रसादजी ने कहा और कांग्रेस पक्ष के दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा—सब इस बात को मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का संशोधन बिल आना चाहिए तो इस प्रकार का संशोधन बिल राज्य सरकार द्वारा पेश किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ।

इस सिलसिले के अन्दर कई बातें, क्योंकि इस बिल के महत्व को कम कर देती है इसलिए इसके साथ ही साथ कहूंगा कि देश के अन्दर एक घटना घटी, उससे हमारे देश को एक धक्का लगा, यह बात कहने से उधर के माननीय सदस्यों को रंज होता है । मैं समझता हूँ कि यह रंज की चीज नहीं है । हम मानते हैं कि चीन ने जब हमला किया था तो हमले के कारण परि-

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्थितियां हमारे देश के अन्दर बनी । परन्तु हमने यह भी देखा कि आसाम के क्षेत्र में जब हमला होने लगा और जब चीन ने हमला किया तो हमारे अधिकारी किस प्रकार वहां से भागे और किस प्रकार वे लोग दबते दबते नीचे तक आ गये । यह कहने से यदि देश का सम्मान नीचे जाता है तो मैं समझता हूं कि यह समझना गलत है । इससे देश का सम्मान नीचे नहीं गिर सकता । आप कहते हैं कि सही बात को बताने से देश का अपमान होता है, तो मैं समझता हूं कि इससे देश का अपमान नहीं सम्मान होता है । पार्लियामेन्ट के अन्दर खुद हमारे सुरक्षा मन्त्री ने इस बात को माना है कि हम क्यों हारे, हमारे हारने के कारण क्या थे, किस प्रकार की हमारी फौजों के अन्दर कमियां रहीं और किन कमियों के कारण हम लोग हारे हैं, किस तरह हमें पीछे आना पड़ा ? यह तो खुद उन्होंने माना है । आपको पता होगा कि जो कौल वहां पर थे, जो फ्रंट के ऊपर, सीमा के ऊपर थे, तो जिस समय हमला हुआ तो हमला होने के बाद तुरन्त बीमारी का बहाना करके आ गये । आप देखिये कि आम लोगों की क्या हालत हो सकती है जब एक बड़ा कमिश्नर, जो उस क्षेत्र का था, खुद भाग कर आ जाय और चिट्ठी लिखे कि यहां की स्थिति खराब है इसलिए अपने घर वालों को यहां से रवाना हो जाना चाहिए । वह इस प्रकार बहाना करके आ जाय तो उस इलाके के दूसरे लोगों पर असर होता है । आप जानते हैं कि इस प्रकार की घटना किसने की है । इसके अलावा फौजों के बारे में आपको पता है कि हमारी फौज के सिपाहियों ने, जो चीनी औरतें उधर आई, उनके साथ शादी कर ली थी और सी. आई. डी के रूप में वे चीन की सी. आई. डी. बन गई और यहां की खबर चीन को देती रहीं । इस कारण हमारी फौज का नुकसान हुआ । यह भी हमारी हार का कारण है । इसके अलावा चीन के फौजी भारतीय फौजी की वर्दी पहिन कर हमारी फौजों में शरीक हो गये और उनका पता नहीं चला । वे लोग भी सी. आई. डी. का काम करने लगे । इन चीजों को, इन फैक्ट्स को जब हम सामने लाते हैं और कहते हैं कि ऐसा हुआ है, छोटे और बड़े बड़े अधिकारियों ने ऐसा किया है, देश को धक्का पहुंचाया है, देश के सम्मान को धक्का पहुंचाया है तो आप कहते हैं कि आप सरकार का विरोध करते हैं । हम जो ऐसे लोगों की ऐसी बातें बताते हैं और कहते हैं कि उससे हमको धक्का लगा है; इस बात को पार्लियामेन्ट में भी माना गया है । लेकिन आप इस बात को यह कह कर टालना चाहते हैं कि विरोधी लोग इन चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इसमें फायदा उठाने का प्रश्न नहीं है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा फूलचन्दजी ने कहा कि हमारे सामने सीमा का सवाल है और दूसरे, अन्दर की सुरक्षा का भी सवाल है । इसलिए हमें होम गार्ड, टेरीटोरियल आर्मी बनाने में दिलचस्पी लेनी चाहिए । जहां तक इसका सवाल है मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं । जब देश की सीमा पर हमला होता है तो देश के भीतर

Page No 73

(श्री मुरलीधर व्यास)

गड़बड़ियां नहीं चाहिए, चाहे वे किसी पक्ष की तरफ से क्यों न हों। इसीलिए जब सीमा पर हमला हुआ था तो हमने राजस्थान और पाकिस्तान के बोर्डर पर होने वाली तस्करी का जिक्र करते हुए हमने तस्करों के नाम रखे थे और बतलाया था कि वे किस प्रकार सोना लाते हैं और किस प्रकार से तस्करी करते हैं और किस प्रकार से देश की सुरक्षा को धोखे में डालते हैं। इस बात को उस समय हमने बतलाया था। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में हमें बहुत ज्यादा खबरदार रहना चाहिए ताकि यदि बाहर का हमला हो तो देश के भीतर किसी भी पक्ष से अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आज भी हम कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे समय पर देश को धोखा दे सकते हैं। उनसे हमें सावधान होना चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार के आदमी हों, चाहे तस्करी करने वाले हों, चाहे और बुरे कार्य करने वाले हों। जो भी भीतर की स्थिति को बिगाड़ने वाले हों उनसे सावधान रहना चाहिए।

मैं कहूं कि देश की सीमा पर जब हमला हुआ तो जैसलमेर के इलाके के अन्दर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए धन जमा होने लगा तो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के धन का दुरुपयोग करने लगे। यहां तक मैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के बारे में बताऊं, मेरे पास फैक्ट्स हैं जैसलमेर पंचायत समिति के प्रधान जो हैं उन्होंने खुद ने कम से कम पचासों आदमियों से, उनके यह नाम हैं किसी से पचास रुपये लिये, किसी से सौ रुपये लिए, किसी से बीस रुपये लिये और उनको जो रसीदें दीं उन रसीदों के नम्बर भी मौजूद हैं। इन रसीदों के नम्बर १०३५ से हैं, इनमें लिखा हुआ है कि किस किस रसीद से कितना कितना पैसा लिया। यह सारा पैसा हजारों रुपये की राशि में जमा कर लिया, लेकिन उस पैसे को उन्होंने वहां के कलेक्टर के पास जमा नहीं कराया। कलेक्टर साहब के पास में वहां की पंचायत समिति के प्रधान ने....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : कहां के हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जैसलमेर !

श्री फतहसिंह (चोहटन) : नाम क्या है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नाम क्या है ? अभी के हैं या पहले वाले हैं ? नाम क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास : प्रधान का नाम तो पता नहीं। लेकिन रसीदें मेरे पास मौजूद हैं। उस समय जो प्रधान था, जो काम करता था............

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह बदल गया !

श्री मुरलीधर व्यास : कोई बदला नहीं है। एक ही है। वह प्रधान, जिसने इस तरीके से काम किया है उस समय सुरक्षा....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नाम नहीं है आपके पास ?

श्री मुरलीधर व्यास : ये रसीद नम्बर मेरे पास मौजूद हैं, ४०६०, ४०६१ और ४०६२ !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : रसीद पर किसी के तो हस्ताक्षर होंगे। आप चोर को चोर बतायें !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : पहले वाले का नाम बता दें।

श्री मुरलीधर व्यास : ये १७-११-६२ की रसीदें हैं। ये रसीदें मेरे पास नहीं बल्कि कलेक्टर के पास और आपके पास पहुंच गई हैं और कहा गया है, यह पैसा इस प्रकार का है जो नहीं आया है। रसीदें काटी गई, लोगों ने पैसा दिया। ये रसीदें उसकी मौजूद हैं, कलेक्टर के पास मौजूद हैं—इसके बावजूद अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, इस सुरक्षा कोष के प्रेसीडेंट हैं, जिनके पास तमाम पैसा आना चाहिए, और जो प्रेसीडेंट हैं वे हैं हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया। इनके पास पैसा आयेगा, चाहे कहीं से आये। क्यों नहीं इसका हिसाब इनके पास है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और हमें मालूम है कि तस्करी का सोना लोग लाते थे क्योंकि उस समय सोने की बिक्री बिल्कुल बन्द थी, उस समय भी बाजार से सोना खरीद कर १२६ रुपये तोले के भाव इस सुरक्षा कोष के अन्दर जमा कराया गया। वह सोना जमा कराया, वह हमारे पास पहुंचा नहीं हो, ऐसी बात नहीं। सोना तो पहुंचा है लेकिन इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद हैं और जो सरकार के सबसे बड़े और जिम्मेदार पद पर मुख्य मंत्री हैं, उनके पास इस प्रकार की रिपोर्ट आई है कि तस्करी का सोना, जो कि लोगों ने लिया है पैसा देकर, वह राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा कराया है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में पैसा आया, जो सोना जमा हुआ है, मुख्य मंत्री जी उसकी....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप यह बताने की कृपा करें कि तस्करों से किसने खरीदा और किस आदमी से खरीदा ? आप जैसा चाहें वैसा बंडल फेंक दें, इस तरह बंडल फेंकने से काम नहीं चल सकता। आप बतायें, किसने खरीदा, किसने लिया है ? आपने अभी कहा कि तस्करी का सोना खरीदा....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बीकानेर के रहने वाले हैं दोनों—यह मालूम हो गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा हूं, सभापति महोदया, मेरी बात गलत हो....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप नाम बता दें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा हूं कि प्रधान है। आप नाम पर जोर दे रहे हैं। मेरे पास नाम नहीं है। जो १९६२ में था...

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, रूल १७४ के अन्तर्गत, अगर मैं सही हूं तो बार बार इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी जा चुकी है। कोई एलीगेशन माननीय सदस्य किसी के प्रति अगर यहां प्रस्तुत करते हैं तो उन एलीगेशन्स के सम्बन्ध में...

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : उस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। आप जनरलाइज़ करके एक एलीगेशन की बात कर रहे हैं। आपके पास तथ्य है नहीं।

(व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज़ ! पोइन्ट सुनिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस आधार पर वह रूल, जिसके सम्बन्ध में इस आसन से कई बार व्यवस्था दे चुके हैं, वह इन पर एप्लाई किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो कुछ फेक्ट्स रखते हैं ये जनरलाइज़ वे में नहीं होने चाहिए। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि तथ्यों की पूरी जानकारी है तो तथ्य रखने चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : जनरल बात कह रहे है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी मांग है, इस तरह नहीं रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो पूरे तथ्य आने चाहिए....

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): गडबड़ियां करते हैं और फिर हैंकड़ी जमाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह लिस्ट भी उनकी सेवा में रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह पैसा आया या नहीं। अगर ऐसा पैसा आया है तो चीफ मिनिस्टर को चाहिये कि उनके खिलाफ कार्यवाही करते या अगर मेरी गलत बात हो तो मेरे खिलाफ कार्यवाही करें। देश के लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस प्रकार की गड़बड़ी की है इसलिए होना तो यह चाहिये कि ऐसे आदमियों को उनका पता लगने पर उनको जेल में बन्द कर देना चाहिये। क्योंकि मैं नाम अभी नहीं बता सकता इसलिये अगर कांग्रेस के पक्ष के लोग ऐसा करते हैं तो आपको उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिये। और मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वह कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का क्यों न हो, नहीं चाहेगा कि उसको प्रोत्साहन दिया जाय और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कोई भी यह नहीं चाहता।

एक माननीय सदस्य : आप जानते नहीं हैं इस मामले में।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर आप मेरा विरोध क्यों करते हैं ? मैं सदन में लिस्ट रखता हूं। मैं यह कहूंगा कि हजारों रुपयों का सोना तस्करी का खरीद करके

(श्री मुरलीधर व्यास)

राष्ट्रीय कोष में दिया गया । मैं तो सिर्फ बतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का सोना तस्करी का राष्ट्रीय कोष में आया है और अगर हमारे चीफ मिनिस्टर ने उसको स्वीकार किया है तो मैं चीफ मिनिस्टर के लिए भी कहूंगा कि वे भी राष्ट्रद्रोही की संज्ञा में आते हैं । और मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार का सोना लेकर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का काम किया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी तो टेन्डेन्सी हो गई है कि हर बात में घुमा फिरा कर किसी न किसी तरह से चीफ मिनिस्टर का नाम लाना ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी की यह टेंडेन्सी हो गई है कि किसी न किसी तरह से अपने पद बचाये रखना ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या आप अपना ओब्जर्वेशन दे रहे हैं या कोई पोइन्ट उठा रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: : मैंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा दिया है, आप बाद में आये दिखते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा उन्होंने कहा कि देश के भीतर की गड़बड़ी को संभालना आवश्यक है । देश में जनता का मोरल ऊंचा होना चाहिये, इसके लिए अलग पैसा कहीं से भी आए तो ले लें; ऐसे से अगर कोई तोलना चाहे तो ले लिया जाए चाहे वह तस्कर का सोना ही क्यों न हो और फिर क्या आप यह कह सकते हैं कि आपने कोई अच्छा काम किया है । मैं कहूंगा कि यह कोई अच्छा काम नहीं किया है । इसलिए मैं कह चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर सच्चाई से, ईमानदारी से काम करना चाहिये और जब देश पर हमला हो उस समय हर चीज को ग्रहण करना चाहिये, मगर मैं यह कहूंगा कि चाहे बुरी चीज कहीं से आती हो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिये । हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर को सोना आया उसका पता नहीं चला हो कि यह तस्कर का सोना आया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है कि जो सोना दिया गया वह तस्करी सोना बाजार से खरीद कर नहीं आया । वह आया है और इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए । अगर यह सोना बाजार से खरीद कर जैसा मैं कहता हूं नहीं आया है तो मेरे खिलाफ कार्यवाही की जावे । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के भीतर की स्थिति को संभालने के अपने उत्तरदयित्व को पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ कर आपको फैसला करना होगा ।

सभापति महोदया, मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहता; मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदस्यता के निवारण की बात है उसके अन्दर जरूर कोई अमेंडमेंट करना है । कई पंचायतें भी हैं और लाखों पंचायतें है जो मिलिटरी में

(श्री मुरलीधर व्यास)

काम करनेवालों की है। यह कहा गया कि मौका आए तो जा सकते हैं। इसमें एक बात कही गई वह हमारे आचरण पर प्रभाव डालती है। विधान सभा के या पार्लियामेंट के सदस्य चले जाते हैं तो वे किस बात से जाते हैं? इसके लिये यह कहा गया कि पैसे के लिए जाते है; बहुत बुरी बात है। मैं यह कहूंगा कि कोई पैसे के लालच से नहीं जाते हैं। इस दृष्टि-कोण से आपको नहीं देखना चाहिये। पैसा है तो ३००) रु० को लात मार कर चला जाना चाहिये। यह उनकी महानता है उसको यह कम कर देता है। इसलिये यह जो प्रस्ताव है उसमें आपको कोई संशोधन करना हो तो कर दीजिये। परन्तु यह समस्या ऐसी नहीं है जिसको आप टाल दें। संशोधन सरकार की तरफ से किया जा सकता है। मध्य प्रदेश ने इसे पास कर दिया और यह पार्लियामेंट में चल रहा है। राजस्थान में काफी लोग हैं जो लड़ाई में जाना चाहते है। पंचायत क्षेत्रों में जो लड़ाकू हैं और जो पुराने मिलिटरी में काम किये हुए हैं, मौका आए तो उनको जाना चाहिये। इसलिए इस प्रावधान को हमने हटा कर ठीक किया कि राजस्थान के लोग जो देश की सेवा करना चाहें कर सकें और लड़ाई में जा कर लड सकें। इसलिये जो रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि ऐसी भावना को लेकर इसका विरोध न करेंगे और इसका समर्थन राष्ट्रीय भावना से करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभानेत्री महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसलिये नहीं कि मैं यह महसूस करूं कि अभी तक एमर्जेन्सी जैसी हालत मौजूद है और केवल एमर्जेन्सी में ही यह डिसक्वालिफिकेशन नहीं रहनी चाहिये बल्कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि विधान सभा के सदस्य और पार्लियामेंट के सदस्य या और दूसरे महानुभाव उनको अपने आर्म्ड फोर्सेज़ में दिल-चस्पी होनी चाहिये, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिये और सेवा करने का मौका मिलना चाहिये; अब तक जो हमारे कानून में ऐसी पाबन्दी है वह नहीं रहनी चाहिये। सभानेत्री महोदया, इस दृष्टि से मैं केवल एम. एल. ए., जिसका विशेष रूप से बिल में जिक्र करते हैं, बल्कि और भी चुने हुए लोग हैं जो जिला परिषद् या पंचायत समिति में हैं, इन सब के लिये इस योग्यता को हटाया जाना चाहिये। इसलिये इसमें संशोधन की आवश्यकता है। सभानेत्री महोदया, इस बिल के दौरान में अपने देश की रक्षा के प्रश्न पर भी सदस्यों ने बहुत चिन्ता प्रकट की है और इस तरह की स्थिति भी जब कि आज सारी दुनिया एक युद्ध की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है, अपने देश की रक्षा के प्रश्न पर चिन्तित होना स्वाभाविक है, परन्तु सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा इस सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज दुनिया में दो तरह के फोर्सेज़ हैं, दो तरह की शक्तियां हैं। एक वे शक्तियां हैं जो शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करती हैं, जो इस बात में विश्वास करती हैं कि जो अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, उनको शान्ति-

(श्री मुरलीधर व्यास)

पूर्ण तरीकों से, आपसी बातचीत द्वारा हल करना चाहिये। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस बात में विश्वास करती है कि इन झगड़ों को लड़ाई के द्वारा, बल प्रयोग के जरिये हल करना चाहिये और सभापति महोदया, इस संसार में इस प्रकार की शक्तियां जो दुनिया का शोषण करती रही हैं, पिछड़ी हुई कोमों की, पिछड़े हुए देशों की कोलोनीज़ हैं, उनके ऊपर अपनी तिजारत से, अपने साम्राज्यवाद से और अन्य नीतियों से शोषण करती रही हैं, आज भी वे दुनिया में चाहती हैं कि उनकी वही नीति जारी रहे और ताकत के बल पर दूसरे देशों को दबाये रखने की कोशिश करें। अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसी शक्तियां हमारे देश को भी डरा कर, हमारे देश को भी धमका कर जबरदस्ती अपनी नॉन अलाइनमेंट पौलिसी छोड़ कर किसी गुट्ट में शामिल होने के लिये मजबूर कर रही हैं।

इसी प्रकार की मांग लोक सभा में अभी हाल ही में जब डिफेन्स पर बहस हो रही थी तो इस प्रकार की बहस उठाई गई और एक माननीय सदस्य ने तो इस बात तक को कहा कि हमें बाकायदा पश्चिमी गुट्ट में शामिल होना चाहिये। माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने देश की रक्षा अपने पैरों पर खड़े रह कर करनी है, अपनी ताकत की बुनियाद पर करनी है। दूसरों की तरफ देख कर, दूसरों की महरबानी पर रह कर, दूसरों के हथियार हों या हवाई छतरियां हों, इस प्रकार से रक्षा हो, इस बुनियाद पर अगर हम रहेंगे तो हम वास्तव में अपने देश की स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख सकते। सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि हमें अपने देश की रक्षा के लिये जहां हमें अपने देश के डिफेन्स को मजबूत बनाना चाहिये वहां अपने देश के आर्थिक ढांचे को भी स्वस्थ और सुदृढ़ रूप से बनाना चाहिये। क्योंकि आज के युग में लड़ाइयां केवल हथियारों के बल पर नहीं जीती जा सकतीं। हमारे देश की ४३ करोड़ जनता को वास्तव में संतुष्ट करा पायेंगे, यह महसूस करा पायेंगे कि जो हमारे देश में इतना बड़ा भारी खर्चा हो रहा है वह आपकी बढ़ोत्तरी के लिये हो रहा है आपकी बहबूदी के लिये हो रहा है; तो देश की ४३ करोड़ जनता बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकती है और कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी हमारे देश की तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकती।

सभापति महोदया, सन् १९६२ में जिस प्रकार चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया, यह खुशी की बात है कि....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह आपके लिये खुशी की बात है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे देश में आपसी मतभेद होते हुए भी, इस प्रश्न पर सारा देश एक होकर खड़ा हो गया और मुकाबला किया और आखिर चीन को पीछे हटना पड़ा। चाहे उसने खुले तौर पर घोषणा नहीं की हो; पर वापिस उसको पीछे हटना, उसका नैतिक तौर से अपनी गलती को कबूल करना था और आज दुनिया की ओपिनियन के सामने, राय के सामने, चीन अलग पड़ा है। चीन दुनिया की निगाह में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गलती में रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां, अफ्रोएशियन देश, जो हमारे पड़ौसी देश हैं उनकी निगाह में बावजूद चीन के सभी प्रयत्न करने पर भी चीन अपने कदम को जस्टिफाई नहीं कर सका है। दुनिया ने हमारे इस स्टेन्ड को कि हमारे साथ ज्यादती हुई, स्वीकार किया है। पर इससे हम सबक सीखें और सबक सीख कर यह भी सबक सीखें कि कुछ देशों ने हमारी उस संकट के समय में मदद की, उस मदद का हमने आभार भी प्रदर्शित किया, पर हमारे उस संकट से फायदा उठा कर, हमारे ऊपर अपनी विदेश नीति को लादने की कोशिश की, हमारे देश पर कुछ ऐसी शर्त लादने की कोशिश की, हमें मजबूर करना चाहा कि पाकिस्तान से हमारे देश सम्मान को खोकर भी समझौता करें, कश्मीर की फर्टाइल वेली हम पाकिस्तान को दें। उन्होंने यह भी कहा कि हम आगे सहायता तभी देंगे जब कि हम पाकिस्तान से समझौता कर लें।

सभापति महोदया, आज हमारे देश में इस प्रकार की शक्तियां आवाज उठा रही हैं, उनका दृष्टिकोण इस बात की ओर ज्यादा नहीं है कि हमारे देश की भूमि जो चाहे चीन ने ली, चाहे पाकिस्तान ने हस्तांत कर रखी है, उस भूमि को वापिस लिया जाय और देश के आत्म-सम्मान की, देश की इन्टीग्रिटी की रक्षा की जाय, बल्कि वे शक्तियां देश की रक्षा के नाम पर लड़ाई का उन्माद पैदा करना चाहती हैं, काश्मीर जैसी फर्टाइल लैंड को दे देना चाहती हैं और इस प्रकार का एक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रही हैं कि वैस्टर्न एड लेने के लिए उनके कैम्प में जाना जरूरी है, उसके लिये चाहे काश्मीर घाटी को देना पड़े, वह दे देना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि यह आवाज देश की रक्षा करना नहीं चाहती, वास्तव में देश की इन्टीग्रिटी को कायम नहीं रखना चाहती, देश को आजाद करने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, आज वैस्टर्न ब्लॉक में शामिल होने की बातें करते हैं, तो अपना वही पुराना रिश्ता कायम करने की कोशिश करते है, जिनको १५ अगस्त, १९४७ को बड़ी कुर्बानियां के बाद तोड़ा था। आज वे शक्तियां निजी स्वार्थों को, मुनाफे को, एक्स्प्लोइटेशन्स को इस देश में कायम रखना चाहती है, देश के बढ़ते हुए कदम को वे शक्तियां रोकना चाहती है। जो किसान और मजदूर आज समाजवाद के लिये संघर्ष कर रहा है, एक्स्प्लोइटेशन को खत्म करके समाजवाद कायम करना चाहता है, वह चारों तरफ लड़ रहा है ऐसी शक्तियों से, वे शक्तियां इकट्ठी होकर जब इस देश में अपने को कमजोर पाती हैं तो विदेशों की साम्राज्यवादी शक्तियों की, जिन्होंने हमेशा से गरीब शक्तियों का शोषण किया है, उनसे मिल कर देश की ४३ करोड़ गरीब जनता को अपने काबू में रखना चाहती हैं। इसलिये सभापति महोदया मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमें बहुत विजिलेंट रहना है कुर्बानी के साथ, देश की रक्षा के लिये हर कुर्बानी हमें करनी है वहां इस बात के लिये भी विजिलेंट रहना है कि ऐसी शक्तियां जो इस बात के नाम पर कि अपना खर्चा मत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करो, अपना खर्चा क्यों करते हो, अपने हवाई जहाज क्यों बनाते हो, अपने आर्म्स तैयार करके क्यों इकट्ठा करते हो, अमेरिकन अम्ब्रेला ले लो, वैस्टर्न गुट्ट में शामिल हो कर वैस्टर्न आर्म्स ले लो, ऐसी शक्तियों को रिवफ करना चाहिये। हमें बता देना चाहिये कि हिन्दुस्तान किसी प्रकार इस प्रकार के अम्ब्रेला पर निर्भर नहीं रहना चाहेगा, हिन्दुतान के लोगों में शक्ति है, अपनी ताकत है, अपनी ताकत पर हिन्दुस्तान अपनी रक्षा कर सकता है, अपनी आजादी कायम रख सकता है, हम अपनी ताकत की बुनियाद पर ही अपने देश की रक्षा करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): सभापति महोदया, यह जो विधेयक रखा गया है, मैं समझता हूं कि यह विधेयक राजस्थान के बलिदान के इतिहास के अनुरूप है और यदि कोई इसका विरोध करता है तो, मैं समझता हूं कि जो कुछ देश के लिये बलिदान राजस्थान में हुए उसका वह विरोध करता है और राजस्थान के बलिदान के इतिहास में एक कलंक का टीका लगाता है। ऐसी स्थिति में यदि इस विधेयक को आज पारित नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं सभापति महोदया, कि आज दिन तक जो हमारा इतिहास रहा है उस इतिहास के विपरीत हम अपने कदम पीछे लेंगे। ऐसी स्थिति में जो यह विधेयक रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया, यह निश्चित है कि हम कुछ अर्से पहले तक एक काल्पनिक संसार में रह रहे थे–शान्ति। हम फौजी ताकत को नहीं बढ़ा कर सारे संसार में नाम कर सकते हैं। वह सारा काल्पनिक इस प्रकार का हमारा संसार ढह गया। ऐसी स्थिति में भारतवर्ष के प्रत्येक बच्चे को आज फौजी ताकत की दृष्टि से तैयार करना है, एक फौजी ताकत के रूप में आना पड़ेगा। उस स्वप्न को साकार करने के लिये इस विधेयक को पास करना आवश्यक है।

सभापति महोदया, क्या ही अच्छा होता कि आज हिन्दुस्तान के अग्रिम मोर्चे पर चीन से लड़ाई लड़ते जो शहीद हुए हैं उनमें कुछ हमारे मंत्रीगण शहीद होते? क्या ही अच्छा होता कि उन सिपाहियों की जगह कुछ विधायक शहीद होते और किसी प्रान्त के मुख्य मंत्री शहीद होते, तो उस प्रान्त में रहने वाले लोग भारी संख्या में भारी शहीद हो जाते और हिन्दुस्तान की एक इंच भूमि को न जाने देते; लेकिन आज जनता में एक प्रकार की धारणा यह है कि जो शासन संचालन कर रहे हैं वे देश के लिये बलिदान नहीं होना चाहते, केवल हमें ही बलिदान होने के लिये आगे भेजते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे कुछ मंत्री लोग वहां जाकर शहीद हों और राजस्थान में जागृति पैदा करें।

सभापति महोदया, अच्छा यह होता कि दरअसल में आज मध्य प्रदेश के पहले राजस्थान को यह विधेयक पास करना चाहिये था, क्योंकि राजस्थान का इतिहास वीरता में सारे भारतवर्ष के वीरता के इति-

(श्री विजयसिंह झाला)

हास से बढ़-चढ़ कर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी वीरता का दूसरे प्रान्त के आदमी नेतृत्व ले रहे हैं और राजस्थान सोया पड़ा है। सभापति महोदया, मैं समझता हूं जहां मोर्चे पर चीन से लड़ने में हमारी हार हुई, जो कुछ हमें पीछे हटना पड़ा और जो कठिनाइयां आईं उसके लिये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे कुछ नेता लोगों पर थी और जो कुछ वहां पर मिलिटरी के लोग थे उनकी आवाज को आगे तक पहुंचाने वाले नहीं थे, उनकी सही स्थिति को पार्लियामेंट या सदन तक पहुंचाने वाले नहीं थे, इसलिये उनकी कठिनाइयों का वे समाधान नहीं कर सके। मैं समझता हूं, हमारे फौजी लड़ने में ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, समझदार और मौका पहिचानने वाले हैं और इसी कारण उन्होंने दुनिया में नाम कमाया था। संसार की कोई भी ताकत आज भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जो कठिनाइयां उनके सामने हैं सरकार को उनका पहले से ही समाधान करना चाहिये था। जिस प्रकार के साधन और ताकत उनको देनी चाहिये थी वह उनको समय पर नहीं मिली और इस कारण आज कलंक का टीका हम पर लगा। इसलिए मेल-जोल बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि इस परिस्थिति में सारे के सारे विधायक मिलिटरी में जाकर भरती हों। यह उनके लिये आवश्यक हो जाना चाहिये। क्यों नहीं देश के लिये मरें? क्यों डरें? उल्टी बात होती हैं। हमारे सिपाही-गरीब आदमी-देश के लिये मरे, बलिदान हो जाय और नेता लोगों की नामवरी हो। राजस्थान में प्रदर्शनी लगाई गई। 'बलिदान, वीरता और विजय' प्रदर्शनी में दिखाये गये। एक बीघा में फोटो लगे होंगे। सभापति महोदया, मुझे यह देख कर दुख हुआ कि वे सारे फोटो मंत्रियों के थे जो चन्दा ले रहे थे डिफेन्स के लिये। मुख्य मंत्रीजी के बड़े बड़े फोटो सामने लगे हुए थे और मेजर शैतानसिंह का फोटो एक कोने में लगा हुआ था। उस समय सुखाड़ियाजी भी प्रदर्शनी देखने आये थे। मैंने उनसे पूछा कि यह 'बलिदान' वीरता और विजय' तीन तीन गुण आप में हैं या जो शहीद हुए हैं देश के लिये, उनके अन्दर हैं? लेकिन शहीद होते हैं सिपाही और नाम होता है मंत्री का, मुख्य मंत्री का। यदि यह विधेयक पारित नहीं किया जायगा तो यह देश के लिये कलंक होगा। लोग सोचेंगे कि दूसरों को तो शहीद बनाना चाहते हैं लेकिन खुद बचना चाहते हैं और इस विधेयक को भी इसीलिए पास नहीं करने देना चाहते। विधायकों को देश की संकटपूर्ण स्थिति में मोर्चे पर जाना चाहिये और देश के लिये मर-मिटना चाहिये।

माननीय श्री ज्वालाप्रसादजी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका भी समर्थन करता हूं। चाहे पंच हो या सरपंच हो, कोई भी हो उसको देश के लिए तैयार होना है। यह भावना जागृत करनी होगी कि फौज में जाय और इस भावना को जागृत करने के लिये विधायकों को सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा।

सभापति महोदया, मुझे इस बात का दुख है कि आपत्कालीन स्थिति में मिलिटरी में जो लोग भरती हुए हैं, उसमें पंजाब का अग्रणी नम्बर है जब कि राजस्थान के इतिहास के अनुरूप उसका अग्रिम नम्बर होना चाहिये था। लेकिन इस सबका दोष हमारी

(श्री विजयसिंह झाला)

सरकार का है। हमारी सरकार इसके लिये आवश्यक वातावरण नहीं बना सकी और उसका मुख्य कारण है कि आज राजस्थान का कोई भी विधायक अग्रिम मोर्चे पर शहीद नहीं हुआ; राजस्थान का कोई भी मंत्री वहां जाकर शहीद नहीं हुआ; यदि आवश्यक रूप से कोई भी मंत्री वहां जाकर शहीद हुआ होता तो राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा भर्ती होती। राजस्थान का बच्चा बच्चा देश के लिए मर मिटने को तैयार होता। ऐसी स्थिति में आप यदि इस विधेयक को पास नहीं करेंगे तो यह राजस्थान के लिये एक कलंक होगा और राजस्थान के उन वीरों के लिए और शहीदों के लिए जो वहां पर जाकर शहीद हो गये हैं उनके लिये भी कलंक होगा कि राजस्थान के ये १७६ एम. एल. एज़ डरपोक हैं जो शहीद नहीं होना चाहते और इसलिये यह कलक हमें अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन करूंगी कि अब मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह पहले ही रूलिंग दे दी गई थी कि यह बिल जब तक चलेगा तब तक इसी को लिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे बिल भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह राष्ट्र का मामला है।

(विराम)

श्रीमती सभानेत्री : Yes.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण इसका विरोध करना है। यह विधेयक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला विधेयक है, इस प्रकार की मैं इसको संज्ञा नहीं देता। लेकिन इसका विरोध किया जावेगा और यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ, यह विधेयक इस सदन के द्वारा पारित नहीं किया गया और सरकार ने केवल इसको टॉक आउट करके निकालने का प्रयत्न किया तो उसके निश्चित रूप से गम्भीर परिणाम होंगे। आज कोई विधायक मिलिटरी की सर्विस जोइन करे, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव की जाय और उस सम्बन्ध में कानून विधान सभा द्वारा पारित कराया जाय, ये तीनों ही चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना यह महत्वपूर्ण है कि विधेयक को, इस प्रकार की डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव करने वाले विधेयक को इस विधान सभा ने पारित नहीं किया है। तो यह निश्चित मान कर चलें कि जनता में इस बात की प्रतिक्रिया होगी कि विधान सभा के विधायक मिलिटरी जोइन नहीं करना चाहते, एमर्जेन्सी के अन्दर देश की सेवा नहीं करना चाहते और उन सबसे बचने के लिये उन्होंने एक पोलिटिकल अम्ब्रेला तैयार कर रखा है कि यदि हम मिलिटरी में चले गये तो हम डिसक्वालिफिकाई कर दिये जावेंगे।

(३.०० म. प.)

सब से पहले मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित करने में वे किसी प्रकार का संकोच न करें। अगर उन्होंने किसी प्रकार का संकोच किया तो निश्चित रूप से जन-मानस पर इसकी प्रतिक्रिया उलटी होगी और इसका असर

(श्री भैरोंसिंह)

विधेयक को लेने के बाद जो पड़ने वाला है वह निश्चित रूप से इस इन्स्टीट्यूशन के विरोध में होगा।

जहां तक आज की स्थितियों का प्रश्न आता है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं आज इस इमर्जेन्सी के पीरियड में, जहां यह मान कर चलें कि हमारे देश में एमर्जेन्सी है, यह कहना गलत है। आज जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जन-मानस पर हो रही है, जिस प्रकार के विचार जन-मानस में चल रहे हैं, उससे स्पष्ट मालूम होगा कि आज हममें जिस प्रकार की एमर्जेन्सी की भावना रहनी चाहिये वह नहीं है। सरकारी क्षेत्र में सरकार की कमजोरी सरकार की नीतियों में और उन सब के पश्चात् जनता में हम इस प्रकार की भावना का प्रकटीकरण प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाये। आज तो केवल एक समय पता लगता है कि इमर्जेन्सी हैं, जिस समय डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के तहत किसी की गिरफ्तारी की जाती है उस दिन हम को अहसास होता है कि हमारे देश में इमर्जेन्सी है। बाकी किसी भी क्षेत्र में एमर्जेन्सी की भावना इस समय दिखाई नहीं देती। इसका दोष न जनता को दिया जा सकता है और न इसका दोष विधायकों को दिया जा सकता है। इसका सारा दोष देश की सरकार पर है। सरकार ने अपने आचरण से इस प्रकार की भावना जब १९६२ में बनी थी उस भावना का सरकार ने अपने आचरण में पालन नहीं किया। देश में जिस एमर्जेन्सी का प्रयोग कर रहे हैं उसका लोगों के प्रति विश्वास नहीं रहा। लोग यह महसूस करने लगे कि आज की एमर्जेन्सी बाकी किसी भी चीज पर एमर्जेन्सी दिखायी नहीं देती एमर्जेन्सी का प्रभाव नहीं दिखता, सिवाय कुछ व्यक्तियों के गिरफ्तार करने के। एमर्जेन्सी के नाते जो राष्ट्रीय हित में भावना प्रगट करनी चाहिये, जागृति करनी चाहिये थी वह नहीं कर पाई।

सभापति महोदया, देश की स्थिति में आज कोई यह समझ कर चले कि संकटपूर्ण नहीं है तो उसकी यह भंयकर भूल होगी। आज चीन हिन्दुस्तान के समीप फोजों का कन्सेन्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने हमारे काफी भाग पर अधिकार कर लिया है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में १६०० एकड़ भूमि पर बलात् कब्जा कर लिया है, यह क्षेत्र राजस्थान की सीमा से भी मिलता-जुलता है। राजस्थान की पाक सीमा पर पाकिस्तानी फोजें दिन-ब-दिन अपनी संख्या बढ़ा कर कन्सेन्ट्रेशन करते जा रहे हैं; इन सारी परिस्थितियों में जब कि शेख अब्दुल्ला और चीन के प्रधान मंत्री मिल चुके हैं, उधर चीन और पाकिस्तान में आपसी संधि हुई है उन सब चीजों का प्रभाव और किसी बात पर नहीं पड़ने वाला है; हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता पर, सम्मान पर और हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से आने वाला है। मर्जी आये जब कोई भी हमारे भू-भाग पर कब्जा कर लेता है, जिस दिन चाहते हैं हमारे इलाके से भेड़, बकरियां, गायें आदि पकड़ कर ले जाते हैं और हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाते। केवल प्रोटेस्ट लैटर भेज देते हैं। मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इधर हमला हुआ, उसका जवाब गोली से नहीं देते। हमले की प्रतिक्रिया के स्वरूप उचित कार्यवाही नहीं

(श्री भेरोंसिंह)

होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारी भारत सरकार ने काफी संख्या में प्रोटेस्ट लैटर साइक्लोस्टाइल करा कर रख छोड़े हैं। ज्योंही हमला होता है गांव के नाम का उसमें उल्लेख कर हाई कमिश्नर के मार्फत उसको भेज दिया जाता है। उसका जवाब आता है या नहीं, इसका हमें कोई पता नहीं। प्रोटेस्ट लैटर से दूसरी सरकारों पर कितना प्रभाव पड़ा है, इस बात की हमें चिन्ता नहीं। आज हमारी सीमा पर निरन्तर खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी हालत के अन्दर आवश्यक हो गया है कि हम हमारे देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में जितने भी उपाय कर सकते हैं, जन-मानस पर जिस प्रकार का जागरण पैदा कर सकते हैं, पैदा करने की आवश्यकता है।

हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार के हित की बात हो, उसको मान कर नहीं चलें, लेकिन राजस्थान सरकार किसी क्षेत्र के अन्दर भारत सरकार से किसी काम में स्वतन्त्र रूप से काम कर सकती है, उसमें भी राजस्थान सरकार बहुत पीछे रही है। आज मिसाल के तौर पर जो मूल विधेयक के बारे में हम प्रयत्न कर रहे हैं मिलिटरी ट्रेनिंग के लिये, मिलिटरी में शामिल होने के लिये, डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव करने का जो सवाल है उसमें भी सरकार सहयोग नहीं दे रही है। आज हम मिलिटरी की कितनी सेवा कर रहे हैं और कितनी की है, खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने एक बार नहीं, कई बार कहा है, कई बार मैंने भी पत्र लिखे हैं, बदकिस्मती से मैं भी डिफेन्स कोन्सिल का मेम्बर हूं, इस सरकार द्वारा फैसला लिया हुआ है कि हमारे डिफेन्स सर्विसेज के बारे में जो हमने कमिटमेंट किये हैं; "Defence efforts in Rajasthan", एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसके अन्दर हमने फोजियों के सामने अट्रेक्टिव टर्म्स रखे हैं, उसके सम्बन्ध में हमने आज तक क्या किया? घोषणायें बहुत की गईं, फोजियों को जमीन अलॉट की जायगी, उनके बच्चों को स्कोलरशिप मिलेगी, रिटायर होने पर उनको सिविल सर्विस में इन्क्लूड किया जायगा, उनकी कोलोनीज़ बसायी जायगी, हाउस के लिये प्लॉट दिये जायेंगे, आदि कई बातें थीं; जिनकी हमने घोषणा की थी, हमारी सरकार ने घोषणा की थी। अगर आप इन चीजों का विवरण लेना चाहें तो आपको ताज्जुब होगा; राजस्थान, पंजाब के बाद में जिसका नम्बर आता है, हमारे आदमी पंजाब से दूसरे नम्बर में हैं, फौज में भरती होने में इन फौजियों के लिये जो हमारे देश की रक्षा के लिये बलिदान हुए हैं, जिनके लिये हमने कमिटमेन्ट किये हैं आज उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यह सुन कर आपको ताज्जुब होगा। इसके अलावा भारत सरकार के ये आदेश हैं कि जो फौजी फ्रन्ट पर हैं और जो मारे गये हैं, उनको तुरन्त सहायता पैसे के रूप में दी जाय, लेकिन राजस्थान सरकार में कुछ आदमी ऐसे बच गये हैं जिनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी है। इस सरकार से कोई यह उम्मीद करे कि जिन लोगों ने एक जुट होकर देश की रक्षा के लिये अपना बलिदान किया उनकी सहायता यह करेगी, राजस्थान की हकूमत यह नहीं कर सकती। राजस्थान की हकूमत ने इस स्थिति का फायदा उठाया है, ऐसी स्थिति से प्रेरणा ली

(श्री भैरोंसिंह)

है जो लड़ाई से दूर भागने की शिक्षा देती है। दूर रह कर नारेबाजी के आधार पर देश की जनता को जागृत करना चाहती है, लेकिन उसको सोचना चाहिये वह समय निकल गया है।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा; ऐसे व्यक्तियों के चित्रों से, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी पड़ेगी जिन्होंने अपना जीवन देश की रक्षार्थ बलिदान कर दिया है। वह हमारी स्थिति नहीं है। मेजर शैतानसिंह के बारे में, अफसोस है, कि मेजर शैतानसिंह के प्रश्न को लेकर सारी हिन्दुस्थान की फौज उससे प्रेरणा लेती है, उसका चित्र लगाते हैं स्मारक बनाते हैं, उसकी जिस प्रकार भी प्रतिष्ठा की जाय उसकी वे व्यवस्था करते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस बारे में पूर्णतया मौन रही है। स्मारक बनाना नहीं चाहती। उसके जीवन का जो आदर्श था, उसका जिस प्रकार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसकी लोगों को जानकारी नहीं देना चाहती। शिक्षा उप-मंत्री महोदय की जरूर मैं इस विषय में तारीफ करूंगा, उन्होंने इस संबन्धी प्रशस्ति लिखकर उसको कुछ क्षेत्रों में वितरित किया है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, सारी सरकार द्वारा जब तक प्लान नहीं बनाया जायगा कि शैतानसिंह की कुर्बानी किस प्रकार की रही, उसने देश की रक्षा के लिये किस प्रकार का अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन किया, तब तक कुर्बानी करने की भावना पैदा नहीं हो सकती।

आज बदकिस्मती यह है कि उन लोगों को भुलाने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। उन लोगों ने कुछ किया होगा १९६२ में, इसकी सरकार को चिंता नहीं। सरकार को तो उस बात की चिन्ता होती है कि हमारी हुकूमत किस प्रकार से बनी रहे। आज देश में यह मानकर चलें कि अमेरिका गुट यह कोशिश करता है कि हिन्दुस्तान को कमजोर रख कर किस प्रकार से हिन्दुस्तान को अपने नीचे लाया जाये और रूस का गुट इस प्रकार का प्रयत्न करता है कि हिन्दुस्तान अमेरिका के गुट में नहीं जाये और हिन्दुस्तान पर हमारा प्रभाव ज्यादा रहे। आज हम इस संघर्ष से गुजर रहे हैं और आज हमारे देश की एक बड़ी अजीबोगरीब हालत हो गई है। अगर हमने इसके औचित्य पर विचार नहीं किया तो यह हमारे लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। आज नॉन-अलाइनमेंट की पॉलिसी में दो भागों को लेकर विचार चलता है कि हम अमेरिका में शामिल हों या रूस के गुट में शामिल हों। न तो हमें अमेरिका गुट में शामिल होना चाहिए और न हमें रूस गुट में शामिल होना चाहिए। लेकिन नॉन-अलाइनमेंट को लेकर हम ऐसा चल रहे हैं कि जैसे नॉन अलाइनमेंट हमारा कोई धर्म हो। अगर हमने किसी से समझौता कर लिया तो हम कोई पाप कर बैठेंगे इस प्रकार की विचारधारा को लेकर आज हमारी सरकार चल रही है।

आज हमें यह देखना है कि चीन का प्रभाव किस तरह से बढ़ रहा है, किन आधुनिक हथियारों का उपयोग कर और निर्माण कर हिन्दुस्तान और उसके पड़ोसी देशों में इस प्रकार की फिज़ां पैदा कर रहा है, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। चीन इस प्रकार की फिज़ां पैदा कर रहा है कि लोग चीन से डर जायें। कोई यह कहे कि नॉन-अलाइनमेंट

(श्री भैरोंसिंह)

तो हमारा धर्म है तो इसका मतलब यह होगा कि एशिया में जो छोटे छोटे देश हैं, जो चीन का मुकाबिला नहीं कर सकते, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जो आज किसी हालत में चीन का मुकाबिला करने योग्य नहीं हैं, वे सारे मुल्क एक एक होकर मर जायें तो मैं नॉन-अलाइनमेंट वाले मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि नॉन-अलाइनमेंट कोई धर्म नहीं है। नॉन-अलाइनमेंट एक नीति है और नीति भी वह है कि जो देश की रक्षा कर सके। जितने भी नॉन-अलाइन्ड देश हैं और जो चीनी प्रभाव के कारण विचलित हैं उनका एक गुट बनाकर एक शक्ति पैदा करनी चाहिए। हमें आज रूस और अमेरिका का डर नहीं है जितना चीन का डर है। आज चीन का प्रभाव निकटवर्ती देशों में बढ़ता जा रहा है, लोगों में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। इस सारी चीज को मीट करने के लिए यदि हिन्दुस्तान नॉन-अलॉइनमेंट की पॉलिसी मान कर चलता है, तो भी ऐसे देश जिनको चीन का खतरा है, उनको एक ग्रुप में लेकर अमेरिका और रूस को, दोनों को ताक में बैठा कर, यदि इन्डिपेन्डेन्टली मुकाबिला कर सकें और चीन को चुनौती दे सकें तो वह नॉन-अलाइनमेंट की पॉलिसी हमारे लिए घातक सिद्ध नहीं होगी। हमारे कई मित्र कहते हैं कि हमको दूसरे देशों से हथियार नहीं लेने चाहिए, हिन्दुस्तान की सरकार कहती है कि हमारे पास हथियार नहीं हैं और आधुनिक हथियारों का हम निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार के टेक्नीशियन्स नहीं हैं, हमारे पास मैटीरियल नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम न अमेरिका से हथियार लें, न हम इंग्लेंड से हथियार लें और न हम रूस से हथियार लें और दूसरी तरफ चीन के पास हथियार हैं वह अपने हथियारों से हमको पीटता जाये और हम अपने धर्म नॉन-अलाइनमेंट का प्रचार करें कि यदि हमने अमेरिका से हथियार ले लिए तो हमारा उससे अलाइनमेंट हो जायेगा, रूस से यदि हथियार ले लिए तो हमारा उससे अलाइनमेंट हो जायेगा।

मैं यह मान कर चलता हूं कि देशों के ऊपर यदि संकट आता है तो हमें किसी प्रकार का पोलिटिकल कन्सीडरेशन उसमें नहीं है, हमारा पोलिटिकल कमिटमेंट नहीं हो, लेकिन देश की रक्षा करने के लिए यदि रूस हथियार देता है तो हमें उसका स्वागत करना पड़ेगा, यदि अमेरिका हमें फौजी मदद देता है तो उसको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि उसको लेकर हिन्दुस्तान की रक्षा कर सकें, तो उसमें संकोच करने का कारण नहीं बनता। आज देश में फिज़ां पैदा हो रही है कि वर्तमान सरकार इस देश की रक्षा करने में असमर्थ है। इसके लिए हमारी सरकार यह दलील देती है कि हम किसी देश के सामने भिखारी की तरह खड़ा नहीं होना चाहते हैं। आज ऐसा आदमी कौन होगा जो कि अमेरिका और रूस के सामने एक भिखारी की तरह जाकर खड़ा हो जाये कि हमें हथियार दो। किसी का सम्मान इतना घटा हुआ नहीं होगा कि जिसके पेट में रोटी है और वह भीख मांगता फिरे। कोई ऐसा भिखारी आपको नहीं मिलेगा कि जिसके पास मकान हो जिसके पास खाने का साधन हो, वह भीख नहीं मांगेगा। तो ऐसी हालत में यदि

(श्री भैरोंसिंह)

हम यह प्रचार करके चलते हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है और जब तक खड़े नहीं होते हैं तब तक किसी प्रकार की दूसरों से सहायता नहीं मिलेगी। तो इण्डइरेक्टली मतलब यह है कि हिन्दुस्तान कमजोर रहे और चीन के मुंह में चला जाये। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो प्रचार किया जा रहा है उसके पीछे...

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आपका इशारा किसकी तरफ है, कौन प्रचार कर रहा है ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा इशारा किसी तरफ भी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : गुप्त इशारा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा इशारा यह है कि हम सारी चीजों को समझ कर चलें। चीन ने एटम बम का निर्माण किया। कांग्रेस कह तो दे कि हमारे पास एटम बम है। पहले लोग चर्चा करते थे कि कांग्रेस के पास भी एटम बम है। आज अगर कह दिया जाये तो सफेद टोपी पेश कर देंगे...

श्री निरंजननाथ आचार्य : काली टोपी भी वैसी ही है।

श्री भैरोंसिंह : काली टोपी जिस समय सफेद टोपी पर रखी जायेगी उस समय हवा ही दूसरी आयेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो कभी नहीं आयेगी।

श्री भैरोंसिंह : जिस दिन लोगों के सिरों पर काली टोपी होगी उस समय पाकिस्तान और चीन की हिम्मत नहीं होगी हमारे देश की तरफ देखने की।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो जब्बार साहब से कहो।

श्री भैरोंसिंह : यह तो चाहे किसी से भी कहो ना, क्या फर्क पड़ता है ? यहां तो सफेद टोपी की बात है कि जब चाहे तब पाकिस्तान सीमा पर आकर उल्लंघन कर दे, जब चाहे तब चीन हमला कर ले।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने जो कहा मुझे तो ऐसा लगा कि जर्मन की तोपों में हम बांस चला देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप लोगों की तो आदत पड़ गई। जिस समय देश की आजादी के लिए आन्दोलन किए थे उस समय यही कहते थे कि अंग्रेज चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी तोपों में बांस भर दिए जायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस काली टोपी की जो आप तारीफ करते हैं जब कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है, इसको देख कर कैसे क्या हो जायेगा ? कोई जादू नहीं है। लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है, इसलिये मैंने कहा कि आपकी धौंस ऐसी है जैसे बांस चला देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि मेरी धौंस नहीं है। यह धौंस तो आपके दिमाग पर प्रभाव कर गई और उसका प्रभाव हो गया और इतना प्रभाव हो गया कि जिस समय धौली टोपी की चर्चा आती है तो आपको काली टोपी ही दीखती है। मैंने कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन ज्यों ही मैं खड़ा होता हूं तो हमारे उप-गृह मन्त्रीजी को काली टोपी नजर आती है। यह बदकिस्मती है उनकी और खुशकिस्मती मेरी है, कि उन्होंने काली टोपी का प्रभाव माना है।

(श्री भैरोंसिंह)

काली टोपी के प्रभाव से ही हिन्दुस्तान को मजबूत किया जा सकता है। परन्तु कपडा चाहे काला हो या धोला हो, किसी की भी टोपी लगायें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है सिद्धान्तों का और नीति का....

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस समय आपके कब्जे में नहीं रहेगा। काली टोपी अपने स्थान पर जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : काली टोपी जा नहीं रही है वह जबरदस्ती सिर पर आ रही है और इसका प्रभाव बढ रहा है. वह धीरे धीरे आ रही है। अब दिमाग में यह आ रहा है कि धोली टोपी से काम नहीं चलेगा और एक ऑल्टरनेटिव काली टोपी-लोगों ने ले ली है। यह जो मजबूरी है इसमें काली टोपी या धोली टोपी, इस कपड़े के प्रश्न को लेकर कोई वाद-विवाद नहीं करना चाहता हूँ। एक विचारधारा का प्रश्न है...

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : लाल टोपी की बात करो।

श्री भैरोंसिंह : मैं काली टोपी, लाल टोपी, पीली टोपी और धोली टोपी का उल्लेख करने नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन हमारे उप-गृह मन्त्री जी को चिन्ता है इनको भय पैदा हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कतई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : चिन्ता है तभी तो याद आई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इतनी मुझे तो नहीं है; जिनको है उनको संकेत किया।

श्री भैरोंसिंह : हमारी चिन्ता आप बहुत करते हैं और काली टोपी की हमें चिन्ता है, उसको भी आप कह रहे हैं।

सबसे मोटा सवाल हमारे यहां यह है कि हम देश की रक्षा के सम्बन्ध में हमारे सम्मान को और प्रतिष्ठा को किस प्रकार से बढ़ाकर चल रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में किसी के मकान में कोई जबरदस्ती घुस जाये और यह कहे कि मैं तो नहीं निकलूंगा अगर तुम्हें निकालना है तो अदालत में आओ। उस आदमी को तो जाने का मौका मिल गया और वह उस जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। तो जिसने कब्जा कर लिया था उसका हौंसला बढ़ गया। उसने सोचा कि जब मैंने इतना कब्जा कर लिया है तो थोड़ा आगे और कर लो। तो इस राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की तो यह हालत है कि आज पाकिस्तान जिस मुल्क को हमने बनाया, जिसको हमने हथियार दिये, जिसको जिन्दा रखने के लिये हमने कर्जा दिया वह मुल्क आज हिन्दुस्तान की ४३ हजार एकड़ भूमि पर कब्जा करके बैठ जाये और उसको केवल इससे ही संतोष नहीं है; वह जिस समय चाहे, जिस क्षेत्र में, जिस ताकत से चाहे, जिस ताकत से प्रवेश कर जाये और लोगों को हैरान करे, मैं समझता हूं कि उप-मन्त्री महोदय आप चाहे इस आधार पर देखें कि १३०० बीघा की जमीन के ऊपर गुजरात में कब्जा कर लिया तो क्या फर्क पड़ा? लेकिन जन-मानस के ऊपर इसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आज लोगों के सुई चुभे और चुभते ही जो जोश सारे लोगों में पैदा हो जाय, तो वह पाकिस्तान सुई चुभो चुभो कर उस जोश को खत्म कर रहा है। होना तो वह चाहिए कि एक बीघा क्या एक इन्च जमीन पर पाकिस्तानी सिपाही प्रवेश करते हैं, तो जैसे सारे हिन्दुस्तान की ४४ करोड़ जनता को चुनौती देता है और उस जोश के साथ भारत सरकार और जनता उसका प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाय। लेकिन कब्जा कर

(श्री भैरोंसिंह)

रहा है और प्रोटेस्ट लेटर लिखते रहें, वह प्रोटेस्ट लेटर जाता रहे, तो उसकी प्रतिक्रिया जन-मानस पर यह होती है कि जमीन जा रही है, हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता को चुनौती दी है तो कोई बात नहीं; हिन्दुस्तान की पवित्र भूमि पर किसी ने अनाधिकार कब्जा किया है तो कोई बात नहीं है; आप लोगों की इस हुकूमत ने १४ वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान की जनता में १९४७ के पहले जो राष्ट्र का अपमान बर्दाश्त करने का माद्दा नहीं था, सहनशीलता नहीं थी, जो हिन्दुस्तान का अपमान थोड़ा भी बर्दास्त करने की बातें नहीं थी, लेकिन १९४७ के बाद हिन्दुस्तान की कमजोर कांग्रेस हुकूमत ने ४४ करोड़ जनता के अन्दर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी कि देश पर हमला हो जाय और हम चुपचाप बैठे रहें !

(विराम)

इसमें किसी पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यह पहले किया होता। अब क्या बोलते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : अब ऐसी हालत में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति में हमने जन-मानस रुपये के मामले के अन्दर पैदा किया। १९६२ में हमला हुआ और हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने जनता का आह्वान किया और जनता ने अपना सर्वस्व बलिदान करने का संकल्प किया। उसने पैसा दिया, धन दिया और आदमी दिये। पैसा देने वालों द्वारा पैसा दिया गया, फौज में भर्ती कराने वालों द्वारा भर्ती करा दिया, धन देने वालों ने धन दे दिया और हमारी यह निकम्मी हुकूमत, मेरी जेब से पैसा चला गया, मेरा कलैक्शन करने वालों को पैसा दे दिया, उस दी हुई रकम को कन्सोलिडेट करके उसके भी एकाउन्ट्स को मैन्टेन नहीं कर सकी। इस तरह की हुकूमत को यह भी पता नहीं कि लोगों से कितना धन एकत्रित किया गया था, कितना धन जमा हुआ है और कितना कितना किस किस में बाकी है ? डिफेन्स फण्ड का पैसा लोगों में बाकी रह जाय ! राजस्थान के लैण्ड रेवेन्यू के एरियर्स रह सकते हैं, पैसेन्जर टैक्स के एरियर्स रह सकते हैं, बाकी के करों और लोन्स के एरियर्स रह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि निकम्मी से निकम्मी सरकार में भी डिफेन्स फण्ड के एरियर्स नहीं रह सकते। तो राजस्थान की हुकूमत ने यह जो कलैक्शन प्रस्तुत किया है, एमर्जेन्सी के मौके पर यह जो कलैक्शन पेश किया है ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : किस आधार पर यह कह रहे हैं कि जो चीज जनता से प्राप्त हुई वह सरकार को नहीं पहुँची, कोई आधार तो होना चाहिए ?

श्री भैरोंसिंह : आधार बहुत से हैं।

श्री फूलचन्द जैन : ये सफाई करवाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : केवल दिक्कत यह है कि उन आधारों को प्रकट करने में, मैं ऐसा

(श्री भैरोंसिंह)

मान कर चलता हूं कि जो लोग भविष्य में पैसा देने वाले होंगे, उन पर प्रतिक्रिया दूसरी तरह की हो सकती है।

श्री फूलचन्द जैन : आपने इल्जाम लगाया है तो वह साफ कर दें।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए लगाया है कि सरकार सतर्क हो जाय और इल्जाम को दूर करने की चेष्टा करे और इस इल्जाम के कारण जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका ध्यान से प्रतिकार करें। डिफेन्स फण्ड का एकाउन्ट नहीं रख सकें कि कितने लोगों ने पैसा दिया, कितनों ने नहीं दिया ? सारा रुपया जमा हो गया या नहीं हो गया ? उसका एकाउन्ट मेंटेन नहीं हो सकता। जिन लोगों में बकाया पड़ा है पैसा वह वसूल नहीं कर सकते ? मैं ऐसा समझता हूं कि एक बार डिफेन्स फण्ड के नाम से पैसा ले लिया उसके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। उन सब के खिलाफ खयानत के मुकदमें बनाकर जेलखाने में रखना चाहिए। लेकिन जेलखाना उन लोगों को नहीं मिल सकता है, और दुनिया भर की शिकायतें आज तक आती हैं कि डिफेन्स फण्ड में इतना पैसा दिया लेकिन रसीदें नहीं मिलीं। दुनिया भर की शिकायतें कर दीं, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। मैं श्रीमान् नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि कई मेरे पास शिकायतें आई हैं उनकी प्रतियां आपको भी फोर्वर्ड की गई हैं। कई बार आप सिर पकड़ कर इस पर पश्चाताप करते हैं कि इस राजस्थान की सरकार को सांप तो नहीं खा गया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जो आपने कहा, इस सिलसिले में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में यह बात ही बात है। अगर उनका मकसद यह हो कि जिस भावना से कह रहे हों वह पूरी हो तब तो समझ में आता है। जिस तरह की ऐसी बातें करते हैं तो जब ऐसी बातें आती हैं तो सरकार को खबर करना चाहिए। की आपने ? मुझको जो चिट्ठियां आती हैं उसकी खबर कर देता हूं। मेरी ऐसी बात नहीं कि मैटर जब आता है, तो मैं यह कहूंगा कि डिफेन्स के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ वह सरकार में नहीं पहुंचा है। आप जैसे कि बाद में कह रहे हैं और जो डिटेल्स हैं उनको नहीं बतलाने में यह सेवा कर रहे हैं कि लोग बाद में नहीं दें, लेकिन आपके कहने में यह हवा पैदा हो गई है. आप डिफेन्स के बारे में शुबहा पैदा कर रहे हैं तो आपके लिए यह भी जरूरी है, और इसमें मैं भी आपके साथ में एक राय हूं कि किसी ने इस तरह की बदमाशी की तो चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे जैसा हो उसको बहुत सजा मिलनी चाहिए और आप जब तक इस चीज के लिए बराबर ढंग से नहीं कहें और इसके लिए महसूस करें कि इस मामले में यह निश्चित रूप से इन्डिविजुअल्स को पैसा दिया जायेगा वह बराबर सरकार को देंगे और उसके लिए मदद करने को नहीं तैयार हैं, तो इस तरह से वातावरण पैदा करने की कोशिश मत करिये।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो भावना प्रकट की, उसकी मैं दाद देता हूं। आप एक

(श्री भैरोंसिंह)

बात तो स्वीकार करते हैं कि आपके पास भी पत्र आये और आपने स्वीकार किया कि उन पत्रों को सरकार के पास भेज दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उन पत्रों का उत्तर मिला ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पत्र का उत्तर नहीं आया हो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि २ साल के बाद आज जिस स्थिति में यह आता है यह उस वक्त भी आ सकता था जब कि आपके हाथ में सूचना आई थी। उन दिनों पत्र आ सकते थे जब कि कम्प्लीट नहीं हुआ था। इस डेढ़ साल में कोई पत्र नहीं मिला। मेरा एडमिशन बतलाते हैं वह गलत है। मैं समझकर बैठा हूं कि एक एक पैसा सरकार ने काम में लगा दिया और मैं समझता हूं कि एक एक पैसा डिफेन्स पर पहुंच चुका है। अगर आपकी जानकारी में बात थी या है और उसको सामने रखेंगे तो उन लोगों के खिलाफ कदम उठाने में सरकार बराबर आगे बढ़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : डेढ़ साल पहले तो उनके पास दर्ख्वास्तें आती थीं, यानी ६३ के एण्ड तक उनके पास एप्लीकेशन्स आती थीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फिर वही 'सीताराम' न बोल कर 'तोताराम' बोल दिया। मेरा मतलब यह था कि जिन दिनों आन्दोलन चल रहा था उन दिनों ऐसे पत्र आये, उनकी खबर कर दी और उन्होंने चैक करके ठीक कर दिया। अब तोताराम कह दें या सीताराम कह दें कि मैंने एडमिट कर लिया है और आपने सुन लिया है और बड़ा अच्छा समझ लिया कि डेढ़ साल में एण्ड ऑफ ६३ हो गया। अब तारीख और मुकर्रर कर दें कैलेण्डर देख कर।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि ज्वालाप्रसादजी जैसे एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं उनके पास भी इस तरह की शिकायतें आई कि डिफेन्स फंड जो कलैक्ट किया गया वह चाहे ६२ में या ६३ में किया, लड़ाई के बाद में किया या लड़ाई के दिनों किया, वह पहुंच नहीं रहा है वह और वक्त की जो आपकी शिकायत है वह तो इस तरह की शिकायत है कि आपकी सरकार को चाहे डेढ़ वर्ष बाद शिकायत मिली हो, चाहे जिन दिनों कलेक्शन किया जा रहा है, उन दिनों शिकायत मिली हो, लेकिन आज कांग्रेस के सदस्य भी सदन में स्वीकार करके चलते हैं कि डिफेन्स फण्ड के कलैक्शन में शिकायत हुई थी और यह हमारी सरकार की गलती है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसको और साफ कर दूं। अजमेर में जब यह चीज आने लगी कि डिफेन्स फंड में हर आदमी कुछ न कुछ देना चाहता है तो इसके लिये वहां पर एक मीटिंग होती है उसमें मेरे सामने एक ड्राइवर ने अपनी अंगूठी पेश कर दी। जिसके पास जो कुछ देने को था वह दिया, जो कुछ आया कलेक्टर को दे दिया गया। अब किसी को रसीद मिली, न मिली, जब यह बात हमारे ध्यान में आई तो कलेक्टर को लिखा गया। कलैक्टर ने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रसीद उनके पास पहुंचा दी या नहीं पहुंचा दी। मैं यह कह रहा हूं कि मुझे कांग्रेस मैन यह कहने में शर्म आती है। डिफेन्स फंड सारे देश में इकट्ठा किया गया लेकिन जब तक आपके पास यह सबूत नहीं हो कि फलां ने दिया और फलां ने जमा नहीं कराया तब तक इस तरह की बात नहीं चलनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि इस सदन में उनकी मौजूदगी में लूण-करणसर के प्रधान राजा महाजन के बारे में ऑडिट रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई थी जिसमें लिखा था कि ११०००) रुपये पंचायत समिति में नहीं जमा कराये थे। हमने प्रश्न उठाया था कि क्यों नहीं जमा कराये, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही की गई और क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : डिफेन्स का पैसा उसको ११ साल कैसे हो गये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ११ साल नहीं ११०००) रुपये। उसी तरह सभापति महोदया, इसी सदन में यह कहा गया था कि जयपुर के एक बस मालिक मालिक-राम कालरा का मामला रखा गया उसके पास पैसा जमा रहा, उसने गबन करने की कोशिश की। उसके कागजात जब्त करने थे, उसको छोड़ दिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप यहां पर खामोश बैठे रहे और फिर आप इस तरह की बात कह रहे हैं। इस तरीके से डिफेन्स फण्ड का पैसा सरकार के महरबान लोगों में रह गया और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। अब भी मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि आज यदि वे सीरियस हैं, तो उन लोगों को गिरफ्तार कराया जाय। राजा महाजन जिसके खिलाफ रिपोर्ट है कि ११०००) रुपये उसमें निकलते हैं वह अब तक खुला घूम रहा है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम तो बैठे रहे, वे तो खड़े ही हैं। सरकार के नोटिस में आपने लाँ दिया उस पर उचित कार्य-वाही की होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या की होगी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नहीं की है तो सरकार जबाब देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपसे कौन कह रहा है ? आप जबर्दस्ती इसको अपने पर ले रहे हैं। आपकी कुछ चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम नहीं तो आप कहें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य को वहम हो गया है। या तो सरकार की सारी जिम्मेदारी उनके सामने है या शायद यह वहम हो गया है कि जो आरोप लगाये वे उन पर लगाये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मुझे वो नहीं कर सकते। रामानन्दजी अग्रवाल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

को मैं मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने कोई उदाहरण पुट अप तो किया जिसका सर–कार जबाब दे सकती है। आप तो हवा में उड़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुबारकबाद दें तो मैं भी आपके सामने उदाहरण देता हूं। एस० डी० ओ०, कपासन ने डिफेंस फण्ड में पैसा जमा किया, लेकिन सरकार के पास जमा नहीं कराया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हां, यह मुबारिकबाद का मामला है। सरकार इस पर एक्शन लेगी।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये धन्य-वाद।

श्री फूलचन्द जैन : एस० डी० ओ०, कपासन के बारे में स्पष्ट कर दें। उनके बारे में आपको जो जानकारी है वह बता दें।

श्री भैरोंसिंह : एक औरत का खाविंद चीन की लड़ाई में मारा गया था उसको देने के लिये एक रेडियो और घड़ी आई थी। वह रेडियो और घड़ी उस औरत को न दे कर जबर्दस्ती रख ली।

सभापति महोदया, आखिर यह प्रश्न लाइटली टेक अप करने का नहीं है इस तरह का प्रश्न एक बार नहीं कई बार आया है। सरकार हिम्मत से कहे कि अमुक तारीख के बाद हमारे अकाउन्ट्स साफ हो जायेंगे, किसी में बकाया नहीं रहेगा। आज भी मैं सरकार को चुनौती देकर कहता हूं कि आज दिन तक भी सरकार इस स्थिति में नहीं है, कि जितना डिफेन्स फण्ड में कलेक्शन हुआ था वह सारा का सारा रुपया खजाने में जमा करा दिया गया। इस सर–कार से कोई यह कहे कि डिफेन्स फण्ड का पैसा जमा नहीं हुआ। डिफेन्स पर्सनल्स को रियायतें देने के लिये एक पुस्तिका लिखी गई थी जिसमें बताया गया था कि ये रियायतें डिफेन्स पर्सनल्स को दी जायेंगी वे रिआयतें डिफेन्स सर्विस के लोगों को नहीं मिलीं। इस हालत में मंजूर करना पड़ेगा कि सरकार काम करने में कोताई दिखा रही है। हमारी जनता इस बात के लिये तैयार है कि हम दुश्मन का हर कीमत पर मुकाबला करें। जनता सहयोग देकर साधन जुटाने को तयार है। सब प्रकार से साधन जुटा कर सरकार के हाथ मजबूत करने की जनता ने कोशिश की। लेकिन जनता को जब यह महसूस हुआ कि सरकार के हाथ में पैरेलिसिस हो रही है, अगर उसके हाथ में पैसा दिया तो उसका सदुपयोग नहीं हो सकेगा, उसको हथियार दिये तो उनका भी उपयोग नहीं होगा उनसे वह जनता को बचा नहीं सकती इसलिये पैरेलिस्टिक गवर्नमेंट को सहायता दें या नहीं दें, जनता के सामने इस तरह की विषम परिस्थिति उपस्थित हो गई। उससे निकलने की आवश्यकता होती है। जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में से करपशन को दूर नहीं करे, जो सरकार अनाज के भाव नहीं गिरावे, जिस सरकार के द्वारा श्रमिक या मजदूरों को राहत देने की घोषणा करने के बाद भी उनको राहत नहीं मिले तो ये

Page No 94

(श्री भैरोंसिंह)

बातें समझ में आ सकती थीं लेकिन दो चीजों में सरकार को सतर्क होना चाहिये था। देश में हथियारों की कमी थी, हमारे जवानों के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं, हमारी सरकार कहती है कि आधुनिक हथियारों का निर्माण देश में नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सर्वे कराया है ? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में पाकिस्तान की सरहद पर जो लोग हैं उनके पास हथियार हैं या नहीं ? यदि पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया तो जनता किस प्रकार रक्षा कर सकेगी ? क्या आपने कभी कोशिश की यह जानने की कि पाकिस्तान कहीं हमारे अन्दर प्रवेश कर जायगा तो क्या हालत होगी ? आज वहां के हरिजन भयभीत हैं। उनके पास खाने को साधन नहीं है, उनको क्या आपने यह सांत्वना दी है कि खाने-पीने के और दूसरे सब तरह के साधन जुटाने की व्यवस्था की जायगी और यदि दुश्मन ने प्रवेश किया तो उसका मुकाबला करने के लिये हथियार भी दिए जायेंगे।

आपने सामुहिक रूप से कभी मिलिटरी ट्रेनिंग नहीं दी होगी, हथियार चलाने की सामुहिक रूप से शिक्षा नहीं दी होगी। आज इसके उपरान्त भी आपने कई लोगों के हथियार इसलिए जब्त किये हैं और किये जाते हैं कि वे डकैतों से और स्मग्लर्स से मिले हुए हैं। उनके हथियार जब्त नहीं किये जाने चाहिये। बाकी लोगों को हथियार बांटना तो दूर रहा इसकी आड़ में जिनके पास हथियार थे उनसे भी आपने छीन लिए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके पास श्री नोट थ्री की बंदूकें नहीं हैं, कंट्री मेड गन्स भी नहीं हैं। मजल लोडिंग का आपने लाइसेन्स कर दिया, छोटे मोटे तमंचों का लाइसेन्स कर दिया और यह निर्णय कर दिया कि एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा हथियार नहीं होगा और यदि किसी ने रख लिये तो ६ माह में जब्त कर लेंगे। ६ महीनों का वक्त नहीं निकलता उससे पहले ही सरकार जब्त करती है और ऐसी बंदूकें तोड़ी जाती हैं और तोड़ने के बाद यदि पहले वह १००) रु० की थी, तो तोड़ी हुई ५) रु० में लोहे के भाव बिकती है। जिनको आप लाइसैन्स देते हैं वे चार आने, ६ आने में मजल लोडिंग खरीदते हैं लोहे के भाव से। यदि सरकार यह इन्तजाम करती कि सारे हथियारों की मरम्मत कराकर बोर्डर पर रहने वाले लोगों को तकसीम करती तो वे लोग पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते या नहीं, लेकिन उनके दिमाग में, उनकी आत्मा में विश्वास होता कि यदि डाकू आयेंगे तो उनको गोली का शिकार बनायेंगे और यदि दुश्मन आये तो २-४ को मारेंगे। लेकिन आज हमारे पास लकड़ी के सिवाय और कोई चीज नहीं बची है, जिससे हम दुश्मन को मार सकें। शायद भीखाभाई जा रहे हैं राजस्थान के कमान्डर होकर जंगल से लकड़ी लाने लेकिन सारे फोरेस्ट को तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी-बाजार, जयपुर) : भीखाभाई जाकर क्या करेंगे ? एक टांग से वापिस चले आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोलायत से आने वाले

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से डिफेन्स फंड के बारे में और डिफेन्स सर्विसेज के बारे में जो घोषणा की है उसके बारे में, लोगों के दिमाग में, जबर्दस्त संदेह है उसको दूर करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी । मैं तो यह भी कहने को तैयार हूं कि राजस्थान में कई सोलजर्स बोर्ड आदि की व्यवस्था की है, वे केवल अपना पेट भरते हैं और उनसे कुछ नहीं होता है, किसी की सुनवाई नहीं होती है ।

उसके पहले उस लड़ाई में, सभापति महोदया, जो लोगों को तगमे देने के लिए राजस्थान की हुकूमत के पास तगमे भेजे थे वे बोरियों की बोरियों में भरे हुए पड़े हैं । जिनको वे मैडल मिलने चाहिए थे वे मैडल उनको तकसीम नहीं किये जा रहे हैं । जिनको मैडल मिलने चाहिए वह मर गये लेकिन हमारी हुकूमत लड़ाई के मैडल तकसीम नहीं कर पाई । और वह मैडल कई जिलों में बोरियों में भरे हुए पड़े हैं, कई जिलों में वे मैडल गठरियों में भरे हुए पड़े हैं और कई जिलों में स्टोर्स के अन्दर वे मैडल पड़े हैं । लेकिन इस सरकार को इससे शर्म नहीं आती है और वह यह नहीं सोचती है कि उनको तकसीम कर दे । इस सरकार को इस बात की शर्म नहीं आती है कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनको भूमि दे दे, जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं उनको कहीं पर नौकरी दे दे और उन लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा–दीक्षा की अच्छी व्यवस्था कर दे । आज भी एमर्जेन्सी है इसलिए मैं मांग करूंगा कि आपका जो सोलजर्स बोर्ड है इससे काम चलने वाला नहीं है । आप एक व्यक्ति को, एक डिपार्टमेंट को स्पेशल रूप से इस काम पर लगा दीजिये । राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिए प्रयत्नशील हो तो फिर दिक्कत किस बात की है ।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों एक घोषणा की थी कि जिन फौजियों के ऊपर फौजदारी के मुकदमे चल रहे हों, सरकार की तरफ से उनको लीगल आसिस्टेन्स दे दी जायगी । मैं पूछना चाहता हूं आपको. आप बजट उठा कर देखें, आपने कितने नये पैसे का खर्च इस सम्बन्ध में किया है । मैं समझता हूं एक नया पैसा भी आपने खर्च नहीं किया । अगर एक नया पैसा भी आपने खर्च नहीं किया तो यह मानना पड़ेगा कि मुकदमे नहीं हैं और मुकदमे अगर हैं तो उनमें सरकार ने मदद नहीं की है, उन मुकदमों में कभी वकील की मदद नहीं की है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि या तो सरकार घोषणायें नहीं करे और अगर घोषणायें करती है तो उनका पालन करे । जब सरकार उन घोषणाओं का पालन नहीं करती है तो जनता में बुरी प्रतिक्रिया होती है । क्योंकि देश के अन्दर आज स्थिति संकटपूर्ण है, इसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ हमने किया है उससे एक अविश्वास पैदा हो रहा है उस सारी चीज को साफ करने के लिए राज्य सरकार को इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए और उस प्रयत्न के साथ यह विधेयक, जो श्री मानिकचन्दजी ने पेश किया

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसको स्वीकार नहीं किया गया तो मैं यह मान कर चलता हूं कि इसकी एक भयंकर प्रतिक्रिया होगी और वह हम सब के लिए भयंकर होगी। मैं जनता हूं कि कुछ स्टेट्स ने इस तरह का विधेयक पास कर दिया है, उनकी नकल करने के रूप में भी सरकार अक्ल से काम कर लेगी तो हमारे सामने यह समस्या नहीं रहेगी और यह विधेयक बाकी की स्टेट्स के लिए एक प्रेरणा के रूप में रह सकेगा।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इस विधान सभा के जो १७६ सदस्य हैं, इनको एक साथ खड़ा करो, थोड़ी इनको राइफल ट्रेनिंग दे दो, थोड़ी इनसे परेड कराओ और परेड करा कर लोगों का एक तरह से पथ-प्रदर्शन करो रूट मार्च करा कर। उस रूट मार्च से लोगों को पता लगेगा कि आखिर हमारे विधायक जब बन्दूक लेकर चलते हैं तो हमारे नौजवान हिन्दुस्तान की आजादी की जरूर रक्षा कर पायेंगे। जब लोग देखेंगे कि भीखा भाई बन्दूक लेकर, कौल साहब बन्दूक लेकर, बरकत साहब बन्दूक लेकर परेड करते चल रहे हैं तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग आशा कर सकते हैं कि हम आज लड़ने के लिए तैयार हैं....

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : आपको साथ लेकर चलेंगे तो लोग समझेंगे कि शिकारी शिकार करने जा रहे हैं और शिकार करने की बात ठीक नहीं लगेगी।

श्री भैरोंसिंह : मैंने सुना नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): इतने जोर से नहीं बोल सकते तो लड़ाई में कैसे जायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि माइक बरकत साहब का है और आप उस पर खड़े हो गये इसलिए इसके नीचे नीचे बोल गये और मैंने सुना नहीं। आप अन्दाज लगा कर देखें, श्री भीखाभाई मिलिट्री की ड्रेस पहन कर और बन्दूक कंधे पर रख कर बाजार में जायं और कहें-सैनिक दृष्टि से वे जागरण पैदा करना चाहते हैं ? तो लोग देखेंगे कि जब भीखाभाई मरने के लिए तैयार हो गये तो हम क्यों नहीं आगे ब ? मैं निवेदन करूंगा कि आप बाजार में इस तरह जायेंगे और जागरण करेंगे तो कुछ लोग चीन को इत्तला देंगे कि भीखा भाई लड़ाई के लिए तैयार हो गये हैं। तो चीन उधर बैठा रहेगा, वह देखेगा कि हिन्दुस्तान का हर आदमी लड़ाई के लिए तैयार हो गया है इसलिए अब लड़ाई की गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानून को स्वीकार करें और कानून के अलावा सरकार के जो जन प्रतिनिधि हैं उनको ट्रेनिंग देकर मासेज में हमें यह फीलिंग पैदा करनी चाहिए। इसके साथ ही लोगों को मिलिट्री के बारे में जानकारी, हथियारों के प्रयोग के बारे में जानकारी, हमले के समय किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं इस प्रकार की जानकारी, इन सब चीजों की जानकारी मास स्केल पर दी जानी चाहिए। हमें अगर जनता को सिखाना है तो इन सारी चीजों को सिखाना चाहिए।

(श्री भैरोंसिंह

मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोविन्दसिंह !

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९६३ के विषय में जो बहस चल रही है उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक इसको पास करने का सवाल है, सभापति महोदया, यह एक जटिल प्रश्न बन गया है। अगर इसको मंजूर नहीं किया जाता है तो मैं मानता हूं देश के अन्दर जो इसका परिणाम होगा वह एक भयंकर परिणाम होगा-जैसा जनसंघ के नेता ने बताया कि इसको पास न करने के परिणाम भयंकर होंगे। यह दिक्कत इस बिल को पास करने के बारे में महसूस हो रही है...

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, मैं अपने आपको करेक्ट करना चाहता हूं, मैंने एस० डी० ओ० कपासन के बारे में कहा था, वे बदल कर अब शायद उदयपुर चले गये हैं।

श्री गोविन्दसिंह : यदि इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को देखें तो इसमें लिखा है-"सशस्त्र सेनाओं के सदस्य के रूप में, मोर्चे पर सक्रिय सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिये।" इसके लिए, सभापति महोदया, मेरी अर्ज यह है कि जिस वक्त हम फौज में भर्ती हो जायेंगे उस वक्त फौज के अधिकारी जैसा तय करेंगे हमारे लिए वह हमें मानना पड़ेगा और हम यह चाहते हों कि फौज में भर्ती होने के बाद फ्रंट पर लड़ने जायं या सीमा पर जायं तो शायद यह मुमकिन नहीं हो सकेगा। हम किस लायक हैं, हम चलने-फिरने लायक हैं या नहीं, हम हथियार उठाने लायक हैं या नहीं-यह होल्ड करने वाले जनरल और हायर पोस्ट पर काम करने वाले आदमी होंगे। यह सब बातें देखते हुए फौज में भर्ती होने वाली बात है और सेनाओं में भर्ती होने का जो प्रश्न है, सभापति महोदया, जब तक कि हम फिजिकली फिट नहीं हों, जब तक कि जो फौज में जाने वाले आदमी के गुण होने चाहिए यह हम में नहीं हों तब तक हम किसी हालत में फौज में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए मेरा संशोधन है वह सिर्फ यह है कि जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो फौज में रह चुके हैं और जो विधायक बन कर बैठे हैं या पंचायतों में बैठे हुए हैं उनके सम्बन्ध में यह डिस्क्वालिफिकेशन हटा ली जाय तो ठीक होगा। यह इस बिना पर कि जो सिपाही बनता है उस पर गवर्नमेंट को कम से कम दस हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, दस हजार रुपया खर्च हो जाने के बाद एक व्यक्ति सिपाही बनता है। इसी प्रकार बीस बीस हजार रुपये खर्च होने पर एक आदमी सूबेदार या जमादार बनता है और पच्चीस-तीस हजार रुपये खर्च होने के बाद एक आदमी ऑफिसर बनता है। अगर हमारे में कोई ऐसे ऑफिसर, ऐसे सिपाही या ऐसे जमादार और सूबेदार हैं जिनके ऊपर पहले गवर्नमेंट इतना खर्च चुकी है और जो योग्य हैं, जो इन सब बातों को जानते हैं और युद्ध में जाना चाहते हैं, मोर्चे पर जाना चाहते है तो उनके ऊपर से यह डिस्क्वालि-

(श्री गोविन्दसिंह)

फिकेशन रिमूव की जाय। तो विशेष बात यह है कि हम फौज में जाने लायक है या नहीं, हम फौज में जा सकेंगे या नहीं–यह प्रश्न हमारे सामने आता है और इस कारण जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण हैं उनकी पूर्ति नहीं होती है।

सभापति महोदया, कल एक विधेयक पास हुआ था जिसमें लीडर ऑफ दी हाउस को कुछ सहूलियतें दी गई थीं...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): कोई सहूलियत नहीं दी है। वे सहूलियतें नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह : तो उस विधेयक में जो प्रावधान दिये गये थे उनके लिए विधि मंत्री ने फर्माया था कि इस प्रकार का बिल सदन में एक वोइस से पास होना चाहिए। सभापति महोदया, मैं इस बिल को उस बिल से ज्यादा इम्पोर्टेन्ट समझता हूं और मैं यह समझ कर चलता हूं कि इस प्रकार का बिल या तो कैमरा मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए। विधान सभा में इस प्रकार का बिल कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम विधान सभा में तरह तरह की बात करते हैं;हमारे देश की क्या हालत है, सिपाहियों की क्या हालत है, देश किस स्थिति में से गुजर रहा है और यह सब अखबारों के द्वारा, दूसरे दुश्मनों के द्वारा हमारे दुश्मन देशों को मालूम पड़ता है कि विधान सभा या पार्लियामेंट के विधायक इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं। सदन में हर विषय पर अलग अलग पार्टियों के सदस्य वाद-विवाद में भाग लेते हैं और वह पार्टी की निगाह से इन चीजों पर बोलने की कोशिश करते है। मैं समझता हूं कि चूंकि यह महत्वपूर्ण बिल है जिसमें डिफेन्स आफ इंडिया की बातचीत चल रही हैं, इसलिए इस प्रकार इस पर यहां नहीं बोलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन हमारी जैसी कि आदत है जनसंघ के नेता महोदय फर्माते हैं कि हमारी बोर्डर्स की हालत यह है, वहां हथियार नहीं है, वहां वह नहीं है, वहां वह नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इन प्रश्नों पर कभी नहीं बोला, हालांकि मैं १९४१ तक आर्मी में रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस विषय पर कहां किस हद तक बोलना चाहिए। मैंने आर्मी में रह कर कई पोस्ट्स पर काम किया है--इन्जीनियरिंग सेक्शन में काम किया है, एजूकेशन ऑफिसर के रूप में काम किया है, रेजीमेंट में काम किया है। मैं जानता हूं कि डिफेन्स के मामले में हमारा कहां तक क्या फर्ज है और हमें कहां तक बोलना चाहिये। लेकिन यहां जनसंघ के नेता, जो बोल चुके हैं, ने कहा –बोर्डर पर हथियार नहीं है, वहां पर ऐसी हालत है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप यहां पर खड़े होकर यह कहें कि हमारे यहां डिफेन्स की क्या हालत है, राजस्थान में डिफेन्स की क्या हालत है-ये बातें कहना उचित नहीं है। इस तरह बोलना किसी के लिये भी उचित नहीं है कि हमारे देश की हालत क्या है और राजस्थान की क्या हालत है। अगर बोलना है तो अलग बैठ कर बोलना चाहिये और इस पर विचार करना चाहिये कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना

(श्री गोविन्दसिंह)

चाहिये । खास तौर पर मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल आ गया है इसलिए यह एक बड़ी भारी समस्या अब आ गई कि इस बिल को पास करना है या नहीं करना है । जहां तक सवाल पास करने का है, जो सदस्य ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण दिये हैं वह डिफेक्टिव हैं । अब अगर इस को पास नहीं किया जाता है तो अलग अलग तरह की बातचीत होंगी ।

(३.५०. म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरा यह निवेदन है कि इसको पास करना है तो इस तरह से पास किया जावे कि जो विधान सभा के सदस्य हैं अगर ये फौज में जाते हैं तो यह लागू नहीं होना चाहिये । फौज में जाने के बाद कहां और क्या इजाजत मिलेगी, यह अभी कुछ नहीं कह सकते । उनके ५ वर्ष या १० वर्ष जनरल वार फेअर में जा सकते हैं । कम से कम २५ साल का सदस्य हो तो जा सकता है और ४० साल के व्यक्ति या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति से परेड नहीं लेते हैं । तो इस तरह का विधेयक लाना कि हम मोर्चे पर जावें ठीक नहीं होगा । इसलिये मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि आज की लड़ाई का जो रवैया चल रहा है कि उसको देखते हुए यह जरूरी बात नहीं है कि हम मोर्चे पर जाकर लड़ाई लड़ें । हम विधान सभा में बैठे हुए भी काम कर सकते हैं और हम यहां पर बैठे हुए और काम करते हुए यहां पर इस प्रकार के कानून बनावें जिससे हमारी जनता डिमोरेलाइज नहीं हो जावे । जो सिपाही आर्मी में लड़ रहे हैं उनके परिवारों को यहां पर राहत मिलती रहे, उनकी पूरी तरह से देख-रेख होती रहे । और जो मोर्चे पर सिपाही लड़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की हम मदद करेंगे तो उनका मोरल किसी प्रकार से नहीं गिरेगा । इसके अलावा जनता का मोरल भी लड़ाई के समय में नहीं गिरना चाहिए, उनका भी मोरल रखना बहुत जरूरी है । यदि बम्बार्डमेंट होता है तो यह देखने की बात है कि किस तरह से बचाव किया जावे या युद्ध होता है तो किस तरह से जनता का मोरल बना रहे । यदि हम अपनी जनता का मोरल नहीं गिरने देते हैं तो यह भी एक प्रकार की अच्छी सेवा है । जो आदमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं उनका फर्ज है कि वे दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दें । उसी तरह से हमारा परम कर्त्तव्य यह होता है कि जो गलत अफवाएं फैलती हैं उनको नहीं फैलने दें और उनको सामान जो जरूरी होता है समय पर पहुंचाते रहें । इसलिये हम जो काम कर रहे हैं यह ठीक है । इसलिए हम मोर्चे पर जावें या नहीं जावें लेकिन हममें इस बात का पूरा बल होना चाहिये कि किस प्रकार पब्लिक का मोरल ठीक बनाये रखें और जनता के मोरल को नहीं गिरने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक फौज का प्रश्न है, अलग अलग आर्मी के अलग अलग डिविज़न्स होते है, उनमें अलग अलग पद होते हैं और उनके युद्ध करने के

(श्री गोविन्दसिंह)

अलग अलग तरीके होते हैं। एक दफा युद्ध हुआ। एक बादशाह के पास ४ डिविजन्स थे। उसने समझा कि यह दुश्मन से लड़ने के लिये कम है इसलिये उसने दूसरे बादशाह से मदद के लिये एक आदमी को भेजा और उसने लिखा कि मेरे पास पांच डिविजन हैं। उस बादशाह ने अपने एक आदमी को देखने के लिये भेजा कि आया इनके पास पांच डिविजन हैं या नहीं। जब वह आदमी देखने के लिये आया तो बादशाह ने उसको अपने चारों डिविजन दिखला गये। उसने कहा कि आपका पांचवां डिविजन कहां है? तब बादशाह ने कहा कि हमारा पांचवां डिविजन शहरों में काम कर रहा है जो दुश्मनों की पब्लिक को डिमोरेलाइज़ कर रहा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर हम इसी तरह बातें करते रहेंगे कि हमारे देश की इस तरह की हालत है तो हम पांचवें डिविजन का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि १९५१ के पहले फौज में बी० ए० और एम० ए० पढ़े हुए लोग भर्ती हो जाते थे और दो साल ट्रेनिंग लेकर, शस्त्र लेकर भाग जाते थे। वे भाग जाने वाले लोग कौन थे? उनकी छानबीन की गई और छानबीन से यह मालूम हुआ कि वे ऐसे व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट थे। वे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और फौज में भर्ती हो जाते थे महज यह देखने के लिये कि उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। और आखिर में वे उन हथियारों को लेकर भाग जाते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये हम लोगों को जो अलग अलग पार्टी में काम करने वाले हैं देखना है कि हमें क्या करना है। आज हम यह नियम बना लेते हैं कि हर एक विधायक को फौज में काम करने के लिये जाना चाहिये, तो मैं यह कहूंगा कि जैसे पहले कम्युनिस्ट बी० ए० और एम० ए० पास करके लोग निकलते और फौज में भर्ती हो जाते और बाद में ट्रेनिंग लेकर कुछ समय बाद भाग जाते थे इसलिये हमें यह देखना होगा कि जो भी फौज में भर्ती होना चाहता है, उसकी नीयत साफ है या नहीं फौज में काम करने की। फौज में भर्ती होने का हर एक आदमी को शौक हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर ६ महीने ट्रेनिंग के बाद अच्छा रेंक मिल जाता है और फिर ६ महीने के बाद लेफ्टिनेन्ट बन जाता है और उसकी अच्छी तनख्वाह हो जाती है। उसको करीब ५५०) रु० तनख्वाह मिलने लग जाती है और वह साहब कहलाने लग जाता है। इसलिये हम यह चाहते हैं और दूसरी जनता भी यह चाहती है कि वे भी चले जावें। हमें इसमें यह देखना होगा कि हम, आया वहां पर फौज में इसलिये जाते हैं कि वहां पर तनख्वाह ज्यादा मिलती है या हम वहां पर देश की रक्षा करने जा रहे हैं। यदि हमें सेवा करने के लिए जाना है तो हम सिपाही के रूप में भी जाकर देश की सेवा कर सकते हैं। हम वहां पर रसोइये के रूप में जाकर भी सेवा कर सकते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको डिसक्वालिफिकेशन नहीं माना जावे। हर जगह बैठे हुए हम देश की सेवा कर सकते हैं। जहां तक इसको पास करने की बात है इसको जरूर पास किया जावे, मगर मेरा यह संशोधन है कि जो एक्स

(श्री गोविन्दसिंह)

आर्मी पर्सोनल्स हैं वे फौज में जाते हैं तो उनके लिये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जावेगा क्योंकि सन् ५१ में मैंने काम किया। मैंने अपने आपको ओफर किया लड़ाई में जाने के लिये। मेरे पास यह लिखा हुआ आया कि तुम हर वक्त तैयार रहो तुम्हारे पास जरूरत होने पर सूचना भेज दी जावेगी। जरूरत पड़ने पर तीन दिन के अन्दर अन्दर ड्यूटी पर भेज देंगे। आज मैं उम्मीद करता हूं कि मैं फौज में जाना चाहता हूं। मगर मैं उस लायक नहीं हूं क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है। जब वे उचित समझेंगे कि मेरी उम्र वाले आदमियों को वार में जाना जरूरी है तो वे मुझे बुला लेंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस वक्त हम बिना फौज में गये भी देश की सेवा कर रहे हैं।

मैं यह कहूंगा कि जो लोग पेन्शन पा रहे हैं उनकी क्या हालत है। राजस्थान सरकार उनके लिये क्या कर रही है। यदि सरकार उन लोगों के साथ, जो लोग पेन्शन पा रहे हैं, अच्छा बर्ताव करेगी तो वाकई में फौज में लोग जाने लग जावेंगे। मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि फौज से अच्छे अच्छे आदमी रिटायर हो कर आये हैं। गवर्नमेन्ट कहती है कि इनको जगह दे दी जावे मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों को जगह नहीं दी जा रही है। मैं आपको एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रिगेडियर रणजीतसिंह इन्डियन आर्मी से रिटायर हुए और सरकार ने राजस्थान सरकार को लिखा कि इनको जगह दे दी जावे। उपाध्यक्ष महोदय, उनको अच्छी जगह दी जानी चाहिये थी मगर आज भी वे अपने घर पर बैठे हैं। जिसने देश की सेवा की और इन्डियन आर्मी से रिटायर हुए, जिसके लिये भारत सरकार कहती है कि इसको सर्विस दी जावे। राजस्थान सरकार उसको कोई ५, ६ महीने हो गये सर्विस नहीं दे पाई है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि वह उनके प्रति अपना अच्छा रवैया। एक बहादुर-सिंहजी मर गये उसके एक साल बाद उनको इनाम मिला। नियम यह है कि वह ७ दिन में दे दिया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डिफेन्स का मामला है मैं यह कहूंगा कि वह एक शतरंज का खेल है। जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो देखना यह है कि दुश्मनों के पास क्या क्या हथियार हैं, किस तरह के योद्धा हैं। इस तरह का खेल है जैसा शतरंज का होता है। अगर हमारा दूसरा खिलाड़ी है वह मोहरा मूव करता है तो हमें देखना है कि हमको कौनसा मोहरा मूव करना है।

मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करके यही निवेदन करूंगा कि हमारे स्टेट के फौजी पेंशनर हैं उनकी पेन्शन समय समय पर बढ़ाई जावे उसी तरह से जिस तरह से हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं और जिन्होंने बाहर लड़ाई में भाग लिये हैं और जिनके पास मेडल्स हैं, विक्टोरिया क्रोस मिले हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, डिफेन्स मिनिस्टर को उत्तर देने के लिये बुला लिया जावे।

श्री गोविन्दसिंह : सन् ५१ के बाद जो इन्डियन आर्मी के लोगों की पेन्शन बढ़ाई जा रही है, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि जिनकी सर्विसेज इन्डियन आर्मी में रही है उनकी पेन्शन उनके बराबर बढ़ाई जावे। यह खास तौर से मेरा निवेदन है और मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(४.०० म० प०)

[श्री मानसिंह महार (आमेर) और श्री राधाकृष्ण गोयल–दोनों बोलने खड़े हुए]

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर गोयल आप यह नहीं कहें कि मैंने आपको अवसर नहीं दिया।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : हमारी पार्टी का बहुत समय बाकी है, मैं फिर बोल लूंगा।

श्री मानसिंह महार : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। मैं इस मसले पर जो अब तक बातें कही गई हैं मैं उनकी ओर न जाकर एक दो बातें ऐसी रखूंगा जिन पर शायद उप–मन्त्रीजी जो बड़े लहजे से कभी से नोट उतार रहे हैं, उन पर गौर करेंगे....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री सामान्य प्रशासन) : आप कहें तो नोट करना बन्द कर दूं।

श्री मानसिंह महार : यह विधेयक सदन के सामने आया है जिसमें वे इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मैं यह कहूं कि यह बहुत ही उचित चीज है, इसको आपको मान लेना चाहिये। अगर हम जैसे हट्टे कट्टे विधायक देश रक्षा के लिये जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : हम जैसों में कौन कौन है?

श्री मानसिंह महार : मैं तो हूं ही, आप भी हैं उपाध्यक्ष महोदय, भीखाभाई को कहें तो क्या तो जायेंगे, क्या डिफेन्स करेंगे, वह भाग और जायेंगे।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : भागने में तो आप थे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उन्होंने तो हिन्दुस्तान की लाज रखी है शुरू से ही।

श्री मानसिंह महार : आप हैं भागने वाले।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भीलों ने लड़ाइयां लड़ी है, भीखाभाई भागेंगे नहीं आपकी तरह।

श्री मानसिंह महार : आप मेवाड़ का क्यों कहते है, आप तो सबसे पहले भागेंगे।

श्री फूलचन्द जैन : जयपुर-उदयपुर का इतिहास क्यों भुलाते हो!

श्री मानसिंह महार : जयपुर का सवाई मान गार्ड्स तो आज भी देश की इतनी सेवा कर रहा है...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह हम मानते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जैसी कि पुराने मानसिंहजी ने सेवा की थी ।

श्री मानसिंह महार : उन्होंने भी की थी, आप नहीं मानें वह अलग बात है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मानते हैं ।

श्री मानसिंह महार : धन्यवाद है, तो योग्य आदमी मिलिटरी में भर्ती होने लायक हों उनके लिये यह चीज जरूरी होनी चाहिये । इसके साथ साथ कुछ मित्रों ने एमर्जेन्सी का जिक्र किया, यह इससे सम्बन्धित है क्योंकि एमर्जेन्सी के तहत ही फौजों में भर्ती होती हैं । भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां एमर्जेन्सी का खिलवाड़ किया । मैं यह मान कर चलता हूं कि देश में आज एमर्जेन्सी की क्या चीज देखी । आपके लिये एमर्जेन्सी है क्योंकि कल केरल में चुनाव आये तो हमारी सरकार को लगा कि लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट वहां जीत जायेंगे तो उनको देशद्रोही कह कर पकड़ लिया और कहा कि हमारे पास बहुत बड़ी शहादत है । ६२ से आज तक नहीं पकड़ा, चुनावों के समय में क्यों पकड़ा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह इस बिल से सम्बन्धित है ?

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल सम्बन्धित है । यहां तो इस प्रकार की दलीलें दी गईं जो एप्रोप्रियेशन बिल पर भी नहीं आईं । तो मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में भी यही हालात चल रहे हैं । राजस्थान के अन्दर अभी तीन रोज पहले हमारी स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य श्री दुर्गाशंकर सारस्वत को एमर्जेन्सी के नाम पर, डिफेन्स ऑफ इण्डिया के नाम पर गिरफ्तार किया । मैं निवेदन करूं कि यह इस सरकार के लिये शर्म की बात है कि एक आदमी को बिला किसी वजह के डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स के तहत गिरफ्तार कर लिया । कारण क्या है, मैं बताऊं आपको कि डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स का किस प्रकार उपयोग करते हैं । श्री दुर्गाशंकर एक "विस्फोट" अखबार के सम्पादक हैं. उन्होंने अखबार में यह खबर दी कि जो आटा दिया जाता है वह अच्छी किस्म का आटा नहीं है, उस आटे के बदले गेहूं देना चाहिये । इस बात से कलेक्टर ने नाराज होकर बीस रोज पहले उनको गिरफ्तार कर लिया । शाम को गिरफ्तार किया, दूसरे दिन छोड़ दिया और कहा कि किसी मीटिंग में भाषण नहीं दे सकते । स्वतन्त्र पार्टी की मीटिंग थी, वर्कर्स के अन्दर उन्होंने भाषण दिया तो दुबारा जेल के सींखचों में डाल दिया । खैर, केरल के साम्यवादियों की बात किसी तरह मानने काबिल है पर एक आदमी खराब आटे के बदले अच्छे गेहूं देने की बात कहता है, यह कहता है कि यह खराब आटा जनता की तन्दुरुस्ती खराब करता है, उस आदमी को जेल में डालना सरकार के लिये शर्म की बात है । मै आशा करता हूं कि उप-मंत्रीजी

(श्री मानसिंह महार)

जवाब देंगे तो इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि क्या बात है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब उप-मंत्रीजी नहीं देंगे प्रस्तावक देंगे।

श्री मानसिंह महार : सरकार की तरफ से विचार प्रकट किये जायेंगे; प्रस्तावक तो बोलेंगे ही पर सरकार भी ऐसे अहम मसले पर, मैं समझता हूं, गूंगापन धारण नहीं करेगी।

श्री फूलचन्द्र जैन : इस अहम मसले को आपने उलझा दिया, स्वतंत्र पार्टी के मसले का और कम्युनिष्ट पार्टी के मसले को एक कर दिया, इनमें क्या फर्क है, यह तो बताइये।

श्री मानसिंह महार : बता रहा हूं। डिफेन्स फण्ड की बात कही गई कि लोग खा गये। मैं तो नहीं मानता कि ऐसी पवित्र राशि को भी कोई लोग खा जायं। इसमें गलतफहमी हो रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कहीं पर भू-चाल आता है और किसी प्रकार की दैवी आपत्ति आती है तो टाइम्स ऑफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस फंड्स इकट्ठा करते हैं, उनकी इन अखबारों में लिस्टें निकलती हैं, हमेशा निकलती रहती हैं कि इतना रुपया इसने दिया। शायद पांच रुपया या दो रुपया से कम धनराशि का नाम नहीं लिखते, बाकी का लिखते हैं। खैर, वह गई बात है फिर भी सरकार को हर जिलेवार एक एक लिस्ट तैयार करनी चाहिये और उसका जनता में सर्कुलेशन हो, यह बहुत जरूरी है। आज लोगों के दिमाग में इस सम्बन्ध में भ्रम हो रहा है कि डिफेन्स की धनराशि काफी तादाद में इकट्ठी हुई लोगों ने बीच में ही रख ली। मैं तो इसे नहीं मानता पर सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि जो जो अमाउन्ट आ गया हालांकि देर हो गई फिर भी प्रकाशित करे ताकि जनता का भ्रम खत्म हो जाय।

मुझे मालूम है, जयपुर शहर में सुरक्षा समिति बनी थी, उसमें जयपुर के सभी। प्रमुख नागरिक सदस्य थे। उस समय म्युनिसिपैलिटी के कांग्रेसी चेयरमैन थे श्री सक्सेना, उनकी अध्यक्षता में वह समिति बनी। काफी धन यहां इकट्ठा किया गया पर दुर्भाग्य की बात यह रही कि जो अध्यक्ष के पास धन आया उसका तो उपयोग हो गया होगा, पर जो कॉपियां लोगों को धन इकट्ठा करने के लिए दी गईं, वे आज तक वापिस नहीं आई हैं।

इसकी शिकायतें उस समिति के सदस्यों ने कलेक्टर साहब को करा दी। कलेक्टर भी उसके सदस्य थे। उनको मालूम है। आज तक कोई एक्शन नहीं। जिन लोगों ने धन दिया, दान दिया उनके नाम उस लिस्ट में नहीं आवेंगे तो अपने आपको मालूम हो जावेगा। हम यह नहीं चाहते कि आप किसी को सज़ा दें। जो पैसा हड़पा गया है उसको ले लेवें। एक सैनिक की विधावा पत्नि को एक ट्रान्ज़िस्टर और एक घड़ी दी गई थी। उस ट्रान्ज़िस्टर सेट और घड़ी को वर्तमान जो एस. डी ओ हैं श्री सिखाणी उन्होंने रख लिया।

Page No 105

(श्री मानसिंह महार)

एक सैनिक जो लड़ता हुआ देश के लिए शहीद हो गया उसकी विधवा पत्नि को एक ट्रान्जीस्टर और एक घड़ी बतौर इनाम के दी गई थी। महिला अनपढ़ थी उसको उस. एस. डी. ओ. महाशय ने ३००) देकर रसीद करा ली और ट्रान्जिस्टर और घड़ी रख ली। ट्रान्जिस्टर का जब पोस्ट मास्टर के पास अपने नाम रजिस्ट्रेशन कराने गये तो पोस्ट मास्टर ने इन्कार कर दिया तो पोस्ट मास्टर को धमकाया। इस चीज की शिकायत सेन्ट्रल गवर्नमेंट तक गयी है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इनके सस्पेन्शन के लिए लिखा। लेकिन इनको सस्पेन्ड नहीं किया गया क्योंकि वे मुख्य मंत्री के लाड़ले आदमी हैं इसलिए उदयपुर में रखा गया है, उनसे दबे हुए हैं महाराणा प्रताप के उदयपुर में हैं वे। उसने एक घड़ी और एक ट्रान्जिस्टर सेट उस विधवा से ३००) देकर हड़प लिया। जब इन्क्वायरी के लिये कहा जाता है तो नाजायज संरक्षण मिलता है। इसका दुख है और मैं इसका विरोध प्रकट करता हूं।

अब रहा सवाल डिफेन्स वगैरह का। हम एक शांतिप्रिय देश है। मैं मानता हूं। हम उस पैमाने पर फौजी तैयारी नहीं कर सकते जिस प्रकार पाकिस्तान और चीन कर सकते है। चीन में भी एक डिक्टेटरशिप है। कोई भी आज कम्युनिस्ट देश ऐसा नहीं है कि जहां हर डेमोक्रेसी फंक्शन करती हो। वहां भी डिक्टेटरशिप है, एब्सोल्यूटली डिक्टेटरशिप। चीन में भी तानाशाही तरीके की डिक्टेटरशिप है। वहां आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहां के लोगों का ध्यान इस ओर से हटाने के लिये कि देश में आज भूखमरी है. बेरोजगारी है, उनको फौजी तैयारी करनी पड़ती है। उनको हर वक्त पास पड़ौस के देशों से लड़ा-ईभगड़ा कुछ न कुछ तो करते ही रहना पड़ता है। हम इस तरह नहीं कर सकते लेकिन जो कुछ है उसको ठीक करना चाहिये। राजस्थान का पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा बोर्डर है। आर. ए. सी. का खर्चा सेन्ट्रल गवर्नमेंट दे देती है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि आर. ए. सी. को अच्छे से अच्छे हथियार दें। लोकल इन्तजाम यह करें कि बोर्डर के लोगों को हथियार दें, उनको तैयार रखें ताकि पाकिस्तान के द्वारा छुट–पुट हमले होते हैं तो उनको रोक सकें। यह मेरी मान्यता है कि पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जो कभी भारत को खा जाय। वह तो मैं ऐसा समझता हूं कि जब चाहेंगे तब खदेड़ देंगे। यह तो आपकी कमजोरी है, उन्होंने आपके यहां बन्दूक से गोलियां दागी और आपने उनका उत्तर प्रोटेस्ट से दे दिया। जब तक यह ढिलमिल नीति चलेगी तब तक पाकिस्तान के हौसले बढ़ेंगे। लेकिन ताकत से काम लेना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको डिफेन्स मिनिस्टर बना दें ?

श्री मानसिंह महार : मुझे डिफेन्स मिनिस्टर बनाने पर वह नौबत नहीं आयेगी। मेरे डिफेन्स मिनिस्टर बनने पर एक खतरा जरूर होगा कि यह जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की बात करते हैं, कुछ खुले फिर रहे है, कुछ बंधे है, देश के प्रति दोनों जो

(श्री मानसिंह महार)

गद्दारी करते हैं वह फिर नहीं चल सकेगी। मानसिंह महार यदि डिफेन्स मिनिस्टर होता तो ये तीन साल पहले ही जेल में बन्द हो गये होते। ये चीन और रूस के जो एजेन्ट हैं, जो खुले फिर रहे हैं और हमारे गले काट रहे हैं और कहते हैं कि हम तो सरकार के वफादार हैं और सरकार की आलोचना भी करते हैं वे पहले ही बन्द हो गये होते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार के वफादार नहीं हैं। देश के बफादार हैं।

श्री मानसिंह महार : हो लिए। मरोगे तब होओगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो सरासर पता लगता है।

श्री मानसिंह महार : रूस के वफादार हो। क्यों कहते हो अपने आपको देश के बफादार? यह तो आप इनकी महरबानी पर जिन्दा हो। ये तो कमजोर लोग इन बैन्चेज पर बैठे हुए हैं। आपके मुगालते में आकर आपको खुला छोड़ रखा है। देश के बफादार हो या गद्दार हो, यह तो सारा देश जान गया है जब चीन का हमला हुआ था। सारा देश अच्छी तरह से जान गया है। उस तरफ बैठने वाले भी अच्छी तरह से जान गये हैं। कम्युनिस्टों ने दो टुकड़े कर लिए-एक राइटिस्ट और दूसरे लेफ्टिस्ट। केरल में राइटिस्ट ने कह दिया लेफ्टिस्ट को यह तो ऊपरी बात है; तुम हम एक हैं। मिली भगत है। सेठ साहब ने अलवर में पेट्रोल पम्प लगा दिया और पूंजीपति बन गये और चीन की दुहाई देते हो। डिफेन्स मिनिस्टर मैं बन गया तो इस तरह की बातें नहीं होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : कब तक बन जाओगे?

श्री मानसिंह महार : आपका सहयोग मिला तो साल भर में ही बन जाऊंगा। मुझे तो आपके सहयोग की आवश्यकता है। उन्हीं पुराने अस्त्र-शस्त्रों से काम निकाल लेंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह तो महार डिफेन्स मिनिस्टर बनेंगे।

श्री मानसिंह महार : इसलिए हम यह चाहते हैं कि सरकार को एमर्जेन्सी को सही तौर पर इस्तेमाल करना चाहिये। जहां राइटिस्ट कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करके देश की रक्षा करने की बात है वहां तो सरकार मौन है। क्यों मौन है? क्यों नहीं इनको गिरफ्तार करती? उनको बना रखा है। ये कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं। इधर स्वतन्त्र पार्टी के कार्यकर्ता बेचारे सेक्रेटरी यह कहें कि गेहूं और आटा अच्छा नहीं दिया जा रहा है और अच्छा देने के लिए कहते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि यह देशद्रोही है और इसको डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट में गिरफ्तार कर लो। इससे अधिक शर्म की बात सरकार के लिये और क्या हो सकती है? एक आदमी अच्छा गेहूं देने के लिए मांग करता है और उसको डी. आई. आर. में पकड़ते हैं। तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं निवेदन करूंगा

Page No 107

(श्री मानसिंह महार)

कि डिफेन्स आॅफ इन्डिया के नाम पर इस तरह की बात करते हैं तो हम लोगों की आस्था खत्म हो जाती है। हम यह महसूस करते हैं। आपको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये।

जिन लोगों ने सुरक्षा कोष का चन्दा हड़प लिया उनकी लिस्टें प्रकाशित कराइये और फिर हम बतायेंगे कि कौन कितना खा गया है। लेकिन यह नहीं करेंगे। आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ? ९० पर्सेन्ट आदमी जिन्होंने सुरक्षा कोष का चन्दा इकट्ठा किया वे सब आपके चट्टे बट्टे हैं, आपके कृपापात्र हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गलत।

श्री मानसिंह महार : गलत क्या है ? लिस्टें प्रकाशित कराओ तब पता लगेगा; कोई ताई का खा गया और कोई फूफी का खा गया। दुनिया भर में होता है कि चन्दा इकट्ठा होता है तो लिस्टें प्रकाशित होती है। अखबारों में रुपया गया तो उन्होंने भी लिस्टें दी हैं। दो दो रुपये देने वालों के भी लिस्ट में नाम निकले हैं। वे सही हैं। उनमें देश भक्ति है इसलिए उन्होंने यह लिस्टें प्रकाशित की। लेकिन इनके विभागों और इनके पटवारियों ने गांव गांव में जाकर पैसा इकट्ठा किया, वसूल किया मैं कहता हूं वे खा गये। ५० पर्सेन्ट शिकायतें की गई। नसीराबाद से आने वाले माननीय मित्र कहते हैं कि शिकायतें नहीं हुई। मैं कहता हूं कि शिकायतें इतनी हुई जिनकी कोई हद नहीं। लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। जितनी शिकायतें आई उनको डैड लैटर बॉक्स में डाल दिया। हम अब भी कहते है कि लिस्टें प्रकाशित कीजिये जिस प्रकार अखबार वाले करते हैं। जिस प्रकार ईमानदार अखबार करते हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : On a point of Order, Sir, आज यह एक ही बिल लिया जा रहा है क्या ? चार, सवा चार बज गये। आॅफिशियल बिल आते हैं तो उनके लिए टाइम लिमिट होती है और दूसरे बिल हमारे आते हैं तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं है।

इसी एक बिल में यह सारा समय चला जा रहा है। आखिर समय की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे भी बिल बाकी हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि समय निर्धारित कर दिया जाय। या तो आप आज का समय निर्धारित करें या आयन्दा कोई दिन इसके लिए मुकर्रर करें। इस सारे अधिवेशन में एक ही दिन नॉन-ऑफिशियल बिजनेस के लिये रखा है। आज नहीं तो इसके लिये और किसी दिन की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने शुरू में ही इस बारे में सदन से निवेदन किया था। उस समय मैंने पूछा था। उस समय सदन की यह राय रही कि कोई समय निर्धारित नहीं किया जाय। इसी तरह से चलने दिया जाय। समय उस समय निर्धारित हो जाता तो दूसरी बात होती। समय निर्धारित नहीं हुआ इसलिए इस समय, समय का निर्धारण नहीं हो सकता।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरा आसन से निवेदन यह है कि आज तो यही बिल ले लिया जाय और आयन्दा कोई दिन मुकर्रर कर लिया जाय शेष बिलों के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व): यह बात तो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में तय होगी; उसमें ही इसका निर्णय होता है ।

श्री मानसिंह महार : अधिक समय नहीं लूंगा और भी बोलने वाले हैं । और समय नजदीक आता जा रहा है । यह बिल, जो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, बहुत ही उत्तम है । यह उनके बुद्धिजीवी होने का नमूना है इसलिए निवेदन करूंगा कि इसको सर्व सम्मत्ति से पारित करना चाहिये ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा सदस्य निर्योग्यता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६३, जो प्रस्तुत किया है, मैं स्वागत करता हूँ । देश पर जब चीन ने आक्रमण किया उस समय एक वातावरण बना था लेकिन दुर्भाग्य से उस वातावरण को हम कायम नहीं रख सके, इसका अधिकतर भार राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार पर है । इसके अनेक कारणों में से एक कारण यह है कि जो हम स्वच्छ प्रशासन की आशायें लगा बैठे थे वह हमें प्राप्त नहीं हो सका । हम राष्ट्र में, सहकारिता और पब्लिक सेक्टर में जिस प्रकार की शिकायतें देख रहे हैं सदन और सदन के बाहर–आम तौर पर उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कभी चिन्ता नहीं की है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसमें सहकारिता और भ्रष्टाचार डिफेन्स में कहां आ गया ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप सुनिये तो सही । आपने तो हाउस में एक प्रकार से जोर से बोलने की मोनोपोली कर रखी है ।

मैं निवेदन कर रहा था डिफेंस फन्ड के मुतल्लिक ! हमने मिस-एप्रोप्रियशेन और भ्रष्टाचार के मामले सदन में और सदन के बाहर रखे थे लेकिन राज्य सरकार ने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया । उसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि राष्ट्र की रक्षा के सम्बन्ध में लोगों का ध्यान हट गया । जो सरकार ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देती, जिसमें राष्ट्र-प्रेम नहीं, जो नारे अलग लगाती है, काम दूसरा करती है इससे जो चेतना उस समय लोगों में आई वह चेतना लुप्त हो गई ।

मैं आपसे निवेदन करूं टोंक जिले के आस-पास के क्षेत्र से जो रुपया डिफेंन्स फन्ड के लिये इकट्ठा किया गया वह करीब २२ हजार रुपया था उसका मिस-एप्रोप्रियेशन हुआ । इसकी सूचना मैंने उस समय भेजी थी । बाद में यह जानकारी हुई कि उसका कुछ भी नहीं हुआ ।

दूसरा मिसाल की तौर पर मैं अर्ज करूं मैंने खुद ने २५१ रुपये और एक चूड़ी रक्षा कोष में भेंट की थी जिसका

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

हिसाब तक नहीं मिला। उसके सम्बन्ध में जब कहा गया तो बाद में जाकर वह हिसाब में दर्ज हुई।

इसी प्रकार मालपुरा के पास कलमन्डा के सरपंच हैं, जो अन्य बातों के लिए राज्य सरकार से बीस हजार रुपया लेकर खा गये उसका कुछ नहीं हुआ। डिफेन्स के जो ७०० रुपये जमा किये वे आज तक वसूल नहीं हो सके हैं। इसी २८ तारीख को माननीय उप गृह मन्त्रीजी उनके पास गये तब उन्होंने और तहसीलदार ने मिल कर मालपुरा की दलगत राजनीति में शामिल होकर उनके लिये ४६ दरवाजे बनाये, उनका अच्छा स्वागत किया। इस कारण उन्होंने जो गड़बड़ घोटाला किया उससे उनको एग्जोनरेट कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में राष्ट्रीय चेतना की आवश्यकता है उसके लिये हम अपने आपको स्वस्थ बनावें, राष्ट्रीय विचार रखें, मिलिट्री माइन्डेड हों और साथ ही हमारे में जोश और तेजस्विता रहे। उसके लिये अगर विधान सभा के सदस्य मिलिट्री में शामिल होते हैं तो यह उनकी निर्योग्यता नहीं मानी जानी चाहिये। अगर स्फूर्ति, राष्ट्रीय प्रेरणा हमारे में रही तो हमें अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग मिलेगा। आज मैं इसको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं यद्यपि आज के समय में काम चल रहा है फिर भी हम इस सरकार को किसी भी प्रकार से जनतन्त्री सरकार नहीं कह सकते—वह इस रूप में नहीं कह सकते कि यह जनता की भावना की द्योतक हो. ऐसा मान कर मैं नहीं चलता। इस सरकार को सच्ची जनतन्त्री कह सकते हैं। आज जनता के प्रतिनिधि जो भी भावना प्रदर्शित करते है उसको यह नकारात्मक रूप में स्वीकार करती है। इसी भावना से जो विचारों में राष्ट्रप्रेम और जन जागृति बढ़ती जानी चाहिये आज उसमें रुकावट पैदा होती है। इस विचार धारा को, इस वातावरण को सख्ती के साथ रखना चाहिये। इसी प्रकार से हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य के बहुत छोटे और बड़े काम होते हैं उनके बहुत लम्बे परिणाम होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने किये हुए कार्य के परिणाम को तुरन्त देख पाता हो। आज जो छोटी छोटी बातें राजस्थान में हो रही हैं उनका परिणाम क्या निकलता है—वह हमें आने वाला भविष्य बतलायेगा। आज जो स्थिति चल रही है उसको सुखदायी नहीं कहा जा सकता। प्रश्नों के रूप में, भाषण के रूप में जिस जिस प्रकार की भावना सदस्यों द्वारा प्रगट की जाती रही है, उससे समुचित व्यवस्था या स्थिति का निराकरण नहीं होता है। इसका परिणाम यह निकलता है डेफ ईअर्स बन करके सुनना बन्द हो जाता है। इससे हमारी जनता में राष्ट्रीय प्रेम ओतप्रोत रहना चाहिये उससे जनता महरूम दिखाई दे रही है। विधान सभा के चुनाव में डेमोक्रेसी नाम मात्र की है। आज की सरकार सेल्फ डेवलपमेंट के कारनामे कर रही है और उसको करने के लिये आतुर है। इसलिए जो कुछ और जिस रूप में अधि

Page No 110

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

नियम आया है मेरा निवेदन है कि उसे स्वीकार किया जाय ताकि इससे राष्ट्र को प्रेरणा मिले, हम अपने आपको स्वच्छ बना सकें, देश को सुशासित करके यहां की जन भावना को जागृत कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मिनिस्ट्री को शख्सी जनतन्त्र के नाम से पुकारा, यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। देवली एक टोंक तहसील में स्थान है वहां का एक मिलिट्री कर्मचारी जो फ्रंट पर था उनकी पत्नि के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ। इसके सम्बन्ध में वहां की पुलिस और शासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस वाले भी इस केस की एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कर सके। उसके उपरान्त जब बून्दी या हिण्डोली में यह घटना हुई तो वहां माणिक्यलालजी वर्मा थे, गंगासिंहजी भी थे उन्होंने लिखकर शिकायत की तब कहीं जाकर केस रजिस्टर हुआ और रजिस्टर भी किया ३७६ में। इस ३७६ में जहां अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहिए था × × ×

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको नाम लेने में क्या डर है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : इस तरह से उन्होंने उस सब-इन्सपेक्टर को प्रोटेक्ट किया जिसने कि एक डिफेन्स सर्विसेज के पर्सोनल्स की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उनका नाम तो बता दो, आपको डर क्या है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : अगर आप अक्लमन्द हैं तो वैसे ही समझ जायेंगे। शांति से काम लें, हल्ले के बजाय। आप तो इस लायक भी नहीं है कि उनका नाम लिया जाये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दो व्यक्तियों ने जिनमें से × × × × और जिम्मेदार पद पर हैं उन्होंने उस सब-इन्सपेक्टर को प्रोटेक्ट किया माननीय सदस्य उनका नाम बता दें वर्ना मैं ऐसा समझता हूं कि × × × ×

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो पद पर आसीन हैं यदि उपाध्यक्ष महोदय के आदेश हों कि मैं उनके नाम बताऊं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : तो भी नाम बता दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय उपाध्यक्ष यदि आदेश दें तो मैं बता दूंगा।...

श्री भैरोंसिंह : आदेश का सवाल नहीं है × × × ×

श्री राधाकृष्ण गोयल : × × × ×

श्री भैरोंसिंह : आपने चार्ज लगाया कि वह खुद उससे सम्बन्धित हैं।

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उनका साला या बहनोई है, वह भी उनसे सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिंह : आप नाम बता दो।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं कह चुका हूं कि ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आदेश दें तो ठीक है। वैसे समझने वालों के लिए दोनों नाम स्पष्ट हो गये होंगे।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने × × × × संबोधित करके यह कहा है कि एक रेप-केस या दुर्व्यवहार, जो भी कहा है, इसके अन्दर × × × × इसलिए उन सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यह डिफेन्स सर्विस की पत्नी के साथ इस प्रकार की बात हुई है। तो यदि उसका नाम नहीं बताया गया तो सारे सदन के ऊपर यह आक्षेप है। आक्षेप इस सेन्स में रहेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए अन्दाजा लगा सकता है कि अमुक व्यक्ति होगा और इस प्रकार से उस अमुक व्यक्ति के नाम पर, × × × × मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि × × × × और जो उन्होंने आरोप लगाया वह सही निकला तो × × × × जिसका वह नाम लेकर संबोधित करते हैं मैं उनके साथ राज्य सरकार और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। मैं समजता हूं कि डिफेन्स सर्विस और राजस्थान के मोरल की दृष्टि से नाम बतायेंगे तो राजस्थान की ज्यादा सर्विस होगी और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य को आदेश दिये जायें कि या तो वे नाम बतायें या जो इस प्रकार के वाक्य प्रयोग में लाये गये हैं उनको एक्सपन्ज किया जाये ताकि वह बात बाहर न जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपत्ति यह उठाई गई कि माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे रेफरेंस किये × × × × सर्व प्रथम तो मैं माननीय सदस्य को इंगित करना चाहता हूं और सब माननीय सदस्य इस विषय को जानते हैं कि जो भी पर्सनल आक्षेप किये जायं वे नियम २७३ के अन्तर्गत उनकी पूर्व सूचना देकर किये जायें। फिर भी यह बात कह दी गई है तो उसके अन्दर आक्षेप लगने की क्या जिम्मेदारी होती है वह माननीय सदस्य को स्वयं विदित है इसलिए जो कुछ माननीय सदस्य ने आक्षेपात्मक वाक्य × × × × कहे हैं उनको मैं एक्सपन्ज करने का आदेश देता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि यदि आप आदेश दें तो मैं बता दूं। दूसरे मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया...

श्री भैरोंसिंह : × × × मैंने बचा लिया।

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अगर उपाध्यक्ष महोदय के यही आदेश रहे कि इन वाक्यों को इससे एक्सपन्ज कर दिया जाये तो मुझे इसमें आपत्ति थोड़ी बहुत जरूर है। अगर आसन मुझे आदेश दे कि सम्बन्धित व्यक्तियों का नाम बताऊं तो मुझे कोई एतराज नहीं।....

कुछ माननीय सदस्य : बतायें ना।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अगर आसन आदेश देगा तो मैं बता दूंगा। गंगासिंहजी भी मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि इस बारे में रिफ्लेक्शन जैसी × × × × यहां पर कोई चीज नहीं कही जानी चाहिए और जो कुछ चीज कही जाती है प्रथम तो रूल २७३ का आशय लेकर कही जानी चाहिए और उसके उपरान्त जो कुछ कह दिया जाये, वह अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, तथ्यातथ्य पूरी तरह से जो हों उनको लेकर पहले आसन को सूचित करके फिर कहा जाना चाहिए, अन्यथा माननीय सदस्य स्वयं परिचित हैं कि इस सदन की परम्परा के अनुसार यों ही आक्षेप लगाने का क्या अर्थ होता है ? इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस पर जो मैंने आदेश दिये हैं वे केवल उतने ही वाक्य के लिए हैं और बाकी आप इस पर भाषण को प्रारम्भ रखिये।

श्री भैरोंसिंह : × × × आप तो मुझे कहो कि × × × ×।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपने मुझे क्या × × × × आपने तो अपने × × × ×।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया कि × × × × कि जिन्होंने किसी का रेप किया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : On a point of order, Sir, माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा था, तो शायद ध्यान उनका इधर उधर होगा या सुन नहीं रहे होंगे। शायद प्रोसीडिंग्ज आप पढ़ेंगे तो उसमें यह नहीं है कि रेप किया। और मैंने कहा था कि एक पुलिस वाले से महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी गिरफ्तारी न होने देने में किसी ने हस्तक्षेप किया।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आरोप माननीय सदस्य ने अभी लगाया कि × × × × यह गैरवाजिब है। इसलिए यह आरोप मेरे ऊपर है और ऐसी हालत में या तो ये शब्दों को वापिस लें या फिर उनको एक्सपन्ज कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज तो हो चुके है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी के लिए कह दूं कि मुख्य मंत्रीजी

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 113

(श्री भैरोंसिंह)

किसी बदमाश के × × × क्या यह आरोप नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर आरोप नहीं है। आपका नाम नहीं लिया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आरोप तो है।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज हो गया।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोटेस्ट में फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरह की पद्धति को यदि आरोप में शुमार नहीं करते...

श्री उपाध्यक्ष : आरोप में शुमार की, इसीलिए तो एक्सपन्ज कराया।

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया।

श्री उपाध्यक्ष : आरोप आप पर नहीं है। आप पर क्या है, यह बतायें ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने इनको यह कहा कि आपने नाम नहीं बताया और × × × यह मैंने इनको कहा और इस पर इन्होंने मुझे रिटोर्ट करके कहा कि मैं × × × आपने × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपको इन्होंने क्या कहा ?

श्री भैरोंसिंह : × × × उसी रेफरेन्स में आता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मुझे प्रोसीडिंग्ज देखने से मालूम पड़ सकता है कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : वह बैठे हुए कहा था। भाषण का रूप नहीं था। बैठे बैठे कोई बात नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जब तक प्रोसीडिंग्ज नहीं देखूं कैसे कह सकता हूं कि कहा या नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सदन में बात कही जाय, उस बात का सदन में ऑब्जेक्शन लें तो उपाध्यक्ष महोदय यह कहें कि प्रोसीडिंग्ज देखूंगा। अगर आप इस प्रकार की छूट देते हैं तो मेरी जुबान पर ताला लगा हुआ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो वे इन शब्दों को वापिस लें नहीं तो मेरी जुबान भी चलेगी मैं इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं कि जिस आदमी पर यह इल्जाम लगाया जाय वह × × × × ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं फैक्ट्स रख रहा हूं। एक बात कह चुका। आगे बढ़ कर फिर मैं अपने शब्द वापिस लूं ? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि मेरे शब्दों को वापस लेने की आवश्यकता हो।

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपने कहा कि × × × × के लिए कहते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा था वह ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : × × × × वह कोई आपत्ति करें तो आपत्ति नहीं होती है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : × × × × उन्होंने कही थी जिस व्यक्ति के बारे में वे शब्द वापिस प्रोसीडिंग्ज़ से हटा दें।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने क्या कहा था ?

श्री विजयसिंह झाला : उस व्यक्ति को × × × × कर रहे हैं क्योंकि वह आपका दोस्त है। इसका मतलब यह है कि उसका एलिगेशन उन पर लगाया जाय। उसको आप अब भी मानते हैं कि इस × × × × इस प्रकार की चीज को सिद्ध करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आपने इस प्रकार के वाक्य कहे कि × × × × ऐसा कर रहे हैं, इत्यादि तो वह तो वह जो कुछ भी वाक्य है वह भी एक्सपन्ज किया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय भैरोंसिहजी ने कहा कि × × × × यह कुछ बात ऐसी है कि उसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री विजयसिंह झाला : वह तो × × × × है। अब भी कहते हैं कि × × × ×।

श्री उपाध्यक्ष : इसी कॉन्टेक्स्ट के आधार पर इसको भी एक्सपन्ज किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : वह × × × ×...

श्री राधाकृष्ण गोयल : वे फिर रिपीट पर कर रहे हैं। अगर उनके वर्ड्स एक्सपन्ज नहीं किये जाते हैं तो मैं फिर अपने शब्दों को दोहराता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : उनके वर्ड्स क्या एक्सपन्ज करवाये जाते हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : उनके वर्ड्स यह हैं कि आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते ? आप × × × × मैंने कहा कि आप क्यों कहें...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मिसअन्डरस्टैंडिंग है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एस्पर्शन्स जो होते हैं वह एक प्रकार से सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाते हैं। एस्पर्शन्स उनको गिना जाता है जो चरित्र के ऊपर अथवा किसी और विशेष मैटर के ऊपर एक तरह का

× × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

थोड़ा लगता हो। सिर्फ इस प्रकार का हो— उसको एक्सपन्ज किया जाता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : × × × ये शब्द एक्सपन्ज किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा आप चाहते हैं तो × × × शब्द एक्सपन्ज करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : × × × × हम अब भी कहते हैं कि × × × नहीं तो इस प्रकार के शब्द क्यों कहते ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : दोनों चीजें एक्सपन्ज हो जायं।

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, जो गलती करता है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री विजयसिंह झाला : × × × १० बार × × × फिर कहते हैं कि × × ×।

श्री मानसिंह महार : हम भी कहते हैं कि आपके × × × × आप कहते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : × × × × के लिए ऐसा करते हैं।

एक माननीय सदस्य : किसको बनाने के लिए ?

श्री मानसिंह महार : × × × × और किसको ?

श्री विजयसिंह झाला : आप × × × और सिर्फ बातें करते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह वातावरण जो देश में बना है, उस वातावरण को कम करने का उत्तरदायित्व सरकार का था और उस उत्तरदायित्व को सरकार पूरा कर सकती थी पर अपनी निष्क्रियता के कारण या अन्य कारण से उस वातावरण को पूरा नहीं कर सके।

अब उन अधिनियमों को बनवा कर और अन्य प्रकार से अपने प्रशासन में तेजी लाकर और कुछ चेतना लाकर इस प्रकार का देश का वातावरण बनाना चाहिए जिससे राष्ट्र एक हो, राष्ट्र में स्फूर्ति आये, जनता का सरकार में और सरकार के प्रतिनिधियों में पूरा विश्वास हो। इस तरह से जो कुछ भी निर्णय करें उसका उसी रूप में पालन करा सकें। जो आजकल के काम हो रहे हैं, जो कुछ भी प्रगति कर रहे हैं वह कागजी प्रगति न रह कर वास्तव में ठोस प्रगति हो। वह तभी होगी जबकि हम ऐसा वातावरण बनाने के समर्थ हो जायेंगे, राष्ट्र को सर्वोच्च समझेंगे और अपनी पार्टी और अपने स्वार्थों को गोण समझेंगे। इन शब्दों के साथ यह जो अधिनियम है इसको पास करने के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय...

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार दिकाला गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order, Sir......

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट जवाब दे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने कहा उसका जवाब दे दिया जाय लेकिन हमें भी तो कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया और कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के २८१, २८२ नम्बर के जो नियम हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें समापन और वाद-विवाद की परिसीमा मुकर्रर करने का इस सदन को और आपको अधिकार है। जब कोई प्रस्ताव इस सदन के समक्ष हो तो इस सदन की राय से उपाध्यक्ष या अध्यक्ष जो भी चेयर पर हों, उनके द्वारा ऐसा समय मुकर्रर होना चाहिए और उसके बाद एक प्रश्न रखा जाना चाहिए। मेरा यह निवेदन है चूंकि सदन का समय समाप्त होने में सिर्फ १५ मिनिट का समय है इसलिए इस वाद-विवाद की परिसमाप्ति की जाय और इसके बाद जो भी ववेश्चन हो यानी इस विधेयक को स्वीकृत किया जाय या अस्वीकृत किया जाय, उसके सम्बन्ध में पूछना आवश्यक है। उसके पूछने की प्रक्रिया या इसकी व्यवस्था आपके द्वारा जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में जो माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है वह तो २८१, २८२ के विषय में है। २८१ में क्लोजर का मोशन देना हो तो वह परिस्थिति उत्पन्न होती है और २८२ के अन्दर प्रोटेक्टेड डिबेट के बारे में, उसके विषय में आता है। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी प्रावधान है उसके मुताबिक अनआफिशियल बिजनेस हमारे सम्मुख है और उसके अन्दर जो बिल्स आये हैं उनके ऊपर वाद-विवाद चल रहा है। जिस समय वाद-विवाद प्रारम्भ करने का समय था उस समय सदन से यह आशय जानने का प्रयत्न किया गया था कि समय हरएक बिल के लिए निर्धारित किया जाय अथवा नहीं। उस समय समय निर्धारित करने के लिए आशय नहीं मिला, इसलिए इस विषय पर मैंने कोई प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं समझा और इसी दृष्टि से यह चल रहा है। २८१ एवं २८२ रूल्स का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह झाला : इसका मतलब क्या है ? १० दिन तक चलता रहे। आखिर गवर्नमेंट जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट जवाब दे ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चेयर की आज्ञा मानने में...

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो व्यवस्था दी है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह व्यवस्था २८१ के सम्बन्ध में है, २८२ प्रक्रिया के तहत व्यवस्था नहीं दी है। आपने जो उस समय सदन की राय जानना चाहा था वह यह कि ३-४ बिल्स इस सदन के समक्ष हैं, उन बिलों के कन्सीडरेशन के लिए कोई समय अलग अलग बिठाकर निश्चित करना चाहिए कि दो घन्टे इस बिल पर बहस होगी और एक घंटा इस बिल पर बहस होगी। अब मैं समझता हूं चूंकि सदन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

का समय केवल १० मिनिट बाकी रह गया है इसलिए सारे हिन्दुस्तान में यह समाचार जाये कि इस तरह का बिल और इस तरह की चर्चा सिर्फ टाक्ड आउट हो गई। यह मैं समझता हूं कि इस सदन में जितनी पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों ने अपनी राय इस बिल के सम्बन्ध में पेश की हैं और खुली जबान से समर्थन किया है तो इसको सिर्फ टाक्ड आउट करना उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि रूल २८० के अनुसार मैं क्लोज़र मूव करता हूं। सारे वाद-विवाद को समाप्त किया जाय और इस प्रश्न को सदन के समक्ष पेश किया जाय कि इस बिल को स्वीकार करना चाहते हैं या अस्वीकार करना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने क्लोजर मोशन मूव किया है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिये। इस सदन ने सरकार पर काफी गम्भीर आरोप लगाये है डिफेन्स फंड और डिफेन्स पर्सनल्स के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में यदि सरकार चुप रही और जो कुछ भी आरोप लगाये हैं उनका यदि सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया या स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो ये चीजें समाचार-पत्रों में प्रकाशित होंगी, लोग उनको पढ़ेंगे और नतीजा निकालेंगे कि राजस्थान में डिफेन्स फण्ड में काफी गड़बड़ियां हुई हैं और डिफेन्स पर्सनल्स के साथ न्याय नहीं हुआ। घोषणाओं का पालन नहीं किया गया और इन सब का अल्टीमेट इफेक्ट इतना बुरा पड़ने वाला है उसका अन्दाज हाउस में बैठ कर नहीं लगाया जा सकता। लोगों को समाचार पत्रों से पता चलेगा कि डिफेन्स फण्ड के बारे में जो आरोप लगाये गये उनका निराकरण और स्पष्टीकरण होना चाहिये था वह नहीं हुआ तो डिफेन्स फंड में जो लोग पैसा देते हैं उनके सामने समस्या पैदा होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस राष्ट्र हित को सामने रख कर प्रश्न रखा है और उसमें जो सरकार पर आरोप लगाये हैं उसका स्पष्टीकरण करें। यदि नहीं करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। सरकार का भाषण सुनने के लिये चाहे सदन का समय बढ़ा दिया जाय, हम उसके लिये तैयार हैं। समय निश्चित रूप से बढ़ाया जाय।

श्री मानिक चन्द सुराणा : क्लोजर का फैसला होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : There is already a motion for closer.

पहले क्लोजर मोशन रख देता हूं। प्रश्न यह है कि इस वाद-विवाद को समाप्त किया जाय ? जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ?

श्री विजयसिंह झाला : हां पक्ष जीता।

(मत-विभाजन सूचक घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सदन का समय बढ़ा दिया जाय, १५-२० मिनिट के लिये।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order...

श्री उपाध्यक्ष : According to rules, there cannot be any point of order when the question is being put.

प्रश्न यह है कि इस बहस के मुतल्लिक जो क्लोजर मोशन है उसको स्वीकार किया जाय।

(मत–दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ?

कुछ माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : Ayes to the Ayes lobby Noes to the Noes lobby.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इनको जीता हुआ मान लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बार फिर पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि जो क्लाजर मोशन आया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी चाहता हूं। सरकारी पक्ष से इस बात का जवाब दिया जायगा या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : कब ?

श्री भैरोंसिंह : आप कब देना चाहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज कोई नहीं बोलने वाला होगा और समय रह जायगा तो जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपके भाषण के लिये हम काफी देर तक रात में बैठे रहेंगे आप इसकी चिन्ता न करें। जो भाषण दिये गये हैं उनका जवाब सरकार देगी या नहीं, सरकार की ओर से यह बता दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि समय बढ़ाने की बात है वह बात अलग है।....

एक माननीय सदस्य : इनके पास कोई जवाब है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा रूल्स के अंतर्गत आप स्वयं देख सकते हैं कि जो बिजनेस पेन्डिग है वह पेन्डिग ही है।

श्री विजयसिंह झाला : इसका मतलब यह है कि पहले से ही कॉन्सपीरेसी थी कि जवाब नहीं दिया जायगा। यह तय हुआ है, इस इन्टेन्शन को साबित करने के लिये गवर्नमेन्ट इसे खत्म करना चाहती है।

Page No 119

श्री रामानंद अग्रवाल : मेरा मोशन है कि इस सदन का समय जब तक पूरा एजेन्डा नहीं हो जाय तब तक बढ़ा दिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं इनका समर्थन करता हूं कि समय बढ़ा दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यह प्रथा रही है, नॉन-ऑफिशियल डे के लिये-उसके लिये जिस तरह की चर्चा यहां चल रही है आपके रूल्स के माफिक और दूसरे माफिक, उसके बीच में इस तरह सरकार पर प्रिजेम्पटिव आधार लगा कर इस तरह की बात करना गलत है। टाक आउट का मतलब ही एप्रिशियेशन होता है, उसको हम नहीं गिराना चाहते हैं। आप इस स्प्रिट के खिलाफ हमको इसे गिराने के लिये मजबूर करना चाहते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : हम मजबूर नहीं करना चाहते। यह तो आप ही की योजना थी कि जवाब नहीं दिया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : योजना यह थी कि सरकार इस पर जवाब नहीं देगी। इस योजना पर चलना चाहते हैं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आप सरकार से किस बात का जवाब चाहते हैं?

श्री रामानंद अग्रवाल : मेरा मोशन टाइम बढ़ाने के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ाया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता?

श्री रामानंद अग्रवाल : हां पक्ष जीता।

(मत-विभाजन सूचक घंटी)

श्री रामानंद अग्रवाल : यदि गवर्नमेन्ट इस तरह का एटिट्यूड नॉन-ऑफिशियल डे के दिन अपनाती है तो यह उचित नहीं है।....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री विजयसिंह झाला : आप अपने बहुमत का उपयोग इस तरह करना चाहते हैं! You use your brutal majority for this purpose!

श्री उपाध्यक्ष : Time is extended upto this division.

५ म. प.

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir.......

श्री उपाध्यक्ष : आप को जानना चाहिये, there cannot be any point of order on it.

श्री भैरोंसिंह : आप डिसीजन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि पांच बजे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने एक्सटेंड करके किया है।

श्री फूलचन्द जैन : वह एक्सटेंड कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज करूं....

श्री उपाध्यक्ष : That has been done.

श्री भैरोंसिंह : किस सीमा तक एक्सटेंड किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं।

प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ाया जाय।

(हां और ना की आवाज)

श्री विजयसिंह झाला : हां पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार : हां पक्ष जीता।

श्री फूलचन्द जैन : Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : Ayes to Ayes lobby and Noes to Noes lobby.

(५. २ म. प.)

(मत–विभाजन के पश्चात्)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक बात की व्यवस्था चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने डिसीजन दिया कि लॉबीज में माननीय सदस्य जायं। लेकिन आधे सदस्य यहां बैठे रहे और इस तरह आपकी व्यवस्था का उल्लंघन किया है।

(हिअर ! हिअर !)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Second April Fools !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका हुक्म सही माना इन्होंने और यह डेमोक्रेसी का दावा करते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आज दो तारीख है !

श्री उपाध्यक्ष : 'ना' पक्ष ३८

'हां' पक्ष १६

ना पक्ष जीता। ना पक्ष जीता।

[मत विभाजन के अनुसार "हां" पक्ष व "ना" पक्ष के सदस्यों की सूची :—

'हां' पक्ष

श्री ए. जब्बार

श्री भैरोंसिंह शेखावत

श्री चोसरसिंह बावेल

(हां पक्ष)

श्री दयाचन्द सौन
श्री डूंगाराम राजोरिया
श्री फतेहसिंह
श्री हरिप्रसाद शर्मा
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री मानिकचन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार
श्री मथुरेशबिहारी माथुर
श्री मुरलीधर व्यास
श्री नाथूलाल करोल
श्री राधाकृष्ण गोयल
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयसिंह झाला
श्री बिठ्ठल

'ना' पक्ष

श्री बालकृष्ण कौल
श्री बरकतुल्ला खां
श्री भरतलाल
श्री भीखाभाई
श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री दौलतराम सारण
श्री धर्माराम आर्य
श्री गणेशलाल
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
श्री हरिकिशन
श्री हरिराम धारू (सिवाना)
श्री हरलाल
श्री जगनसिंह
श्री जेठमल बरवड़
श्री जुगलाल
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद
श्री केसरीसिंह जीजावर
श्री लालाराम
श्री मजलिस खां
श्री मोहरसिंह राठौड़
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)
श्री नत्थीलाल
श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्री परसराम मदेरणा

(ना पक्ष)

श्री फूलचन्द जैन

श्रीमती प्रभा मिश्रा

श्री रामप्रसाद लड्ढा

श्री रविशंकर याज्ञिनिक

श्री रावतराम

श्री सांवलियाराम

श्री विरधाराम फुलवारिया]

सदन की बैठक सोमवार दिनांक ५-४-६५ को ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर १५ मिनट पर सोमवार दिनांक ५ अप्रेल, १९६५ के म. पू ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चायत समिति क्षेत्र भीण्डर में चीनी का वितरण

७११. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीण्डर पंचायत समिति क्षेत्र, जिला उदयपुर के कुलवास विकास पंचायत एवं अणीदा पंचायत सर्कल के गरीब आदिवासियों एवं किसानों की तीन चौथाई जन संख्या को शक्कर नहीं मिलती है ?

(२) क्या कुलवास क्षेत्र की शक्कर का कोटा सहकारी समिति को देने का परमिट दिया गया था उसको शक्कर नहीं देकर वल्लभनगर तहसीलदार ने अपने कृपा पात्रों को दे दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या तहसीलदार वल्लभनगर ने अपने कृपा पात्रों से रजिस्टर बिक्री में फर्जी निशानियां करवा कर शक्कर को ब्लेक में बिकवा दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

(४) क्या अब भी वहां की शक्कर सहकारी समिति को देकर वितरण व्यवस्था करवाई जावेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं, प्रति माह जितना कोटा तहसील को दिया जाता है उसी में से जनसंख्या के आधार पर कुलवास व अणीदा की जनता को भी शक्कर वितरण की जाती है।

(२) कुलवास में क्रय विक्रय सहकारी समिति है, यह समिति क्रय विक्रय का कार्य नहीं करती है; अतः पंचायत क्षेत्र के लिए चीनी के वितरण का सेन्टर भीण्डर में रखा गया। अब कुलवास के सब व्यापारियों ने मिलकर यह कार्य करना चाहा तो यह कार्य उनके सुपुर्द कर दिया गया, इसमें कृपा पात्र का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न के भाग दो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(४) स्थिति प्रश्न के भाग दो में स्पष्ट कर दी गई है।

खाद्य नियंत्रण नियम के अधीन चालान

७१२. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष सन् १९६४ में पाली व बाली सब-डिविजनों में किन २ के विरुद्ध खाद्य नियंत्रण नियमों की अवहेलना बाबत मुकदमे मातहत अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलाधीश को भेजे गये ? प्रत्येक के विरुद्ध क्या क्या चार्ज थे व किन तारीखों को वे मामले मातहत अधिकारियों ने पकड़े व कौन सी तारीख को जिला खाद्य अधिकारी को भेजे ?

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) प्रश्न के भाग (१) में बताये गये व्यापारियों के विरुद्ध कितनों का कोर्ट में चालान किया गया व जिनका चालान नहीं किया गया उसका क्या कारण है ?

(३) जिन मामलों में चालान नहीं किया गया उनमें से ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें खाद्य नियंत्रण नियमों का स्पष्टतया उल्लंघन किया गया और उन पर कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ?

(४) प्रश्न के भाग (३) में पूछे गये मामलों में से कितने मामलों में मातहत अधिकारियों ने रेकॉर्ड जब्त किया या रेकॉर्ड जब्त करने की आज्ञा चाही और किन २ के रेकॉर्ड जब्त करने की कार्यवाही जिला खाद्य अधिकारी या जिलाधीश ने की और जिन मामलों में ऐसा नहीं किया गया, उनके क्या कारण हैं ?

(५) क्या उक्त अर्से में जिला रसद अधिकारी के दौरे उन गांवों व मंडियों में जहां कि प्रश्न के भाग (१) में पूछे गये व्यक्ति व्यापार करते हैं, हुए और यदि हुए तो किस हेतु व उन मामलों में क्या कार्यवाही उक्त दौरों के वक्त की गई व क्या उक्त दौरे जिलाधीश की पूर्व स्वीकृति से किये गये ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(२) सूची में बताये गये व्यापारियों में से २ का कोर्ट में चालान किया गया, ६ के विरुद्ध कोई मामला नहीं होने से खारिज किये गये, व २३ मामले पुलिस जांच में चल रहे हैं ।

(३) ऐसा कोई मामला नहीं है कि खाद्य नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया गया हो और उनके विरुद्ध चालान नहीं किया गया हो ।

(४) सिर्फ १ मामले में रेकॉर्ड तहसील में लिया गया । इसके अतिरिक्त न तो आज्ञा चाही गई है न कोई कार्यवाही चल रही है ।

(५) सूची में वर्णित गांवों व मन्डियों में जिला रसद अधिकारी ने चेकिंग के लिए दौरे किये । ऐसे समय १४ मामले पकड़े गये और नियमानुसार कार्यवाही की गई । जिला रसद अधिकारी को दौरे के लिये जिलाधीश की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विभिन्न नहरों के निर्माण संबंधी नियम

७१३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) छोटी नहरों (माइनर्स) उप-कुल्यिकाओं (डिस्ट्रिब्यूटरीज) तथा जल धाराओं (वाटर कोर्सेज) के निर्माण करने के क्या नियम हैं तथा इसमें से प्रत्येक के निर्माण व्यय में, कोटा डिवीजन के क्रमशः

श्री जुझारसिंह)

चम्बल कमाण्ड तथा मध्यम व छोटी परियोजनाओं में, काश्तकारों तथा विभाग के बीच किस प्रकार हिस्सा (share) होता है ?

(२) क्या यह सही है कि २५० बीघा से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करने वाली प्रत्येक उप-कुलियका (डिस्ट्रीब्यूटरी) का निर्माण सिंचाई विभाग को अपने व्यय पर करना होता है तथा २५० बीघा से कम क्षेत्र सिंचित करने वाली का व्यय काश्तकार वहन करते हैं ? यदि हां, तो तहसील सांगोद के ग्राम बम्बोलिया तथा बोरीना की ५०० बीघा से अधिक क्षेत्र सिंचित करने वाली उप-कुल्यिकाओं (डिस्ट्रीब्यूटरजी) का निर्माण व्यय काश्तकारों से मांगे जाने का क्या आधार है ?

(३) क्या सरकार नियमों का गलत अर्थ लगाने तथा अन्य किन्हीं कारणों के परिणाम-स्वरूप सिंचाई विभाग द्वारा अनुचित रूप से विभिन्न स्थानों पर इकट्ठी की गई राशि वापस करेगी ?

उत्तर

(१) डिस्ट्रीब्यूटरीज व माईनर्स इस तरह बनाई जाती हैं कि सिंचाई करने वाली भूमि उन पर लगाये गये मोगों (आउटलेटों) से और काश्तकारों द्वारा बनाये गये धोरों द्वारा आसानी से पिलाई जा सके। मुख्यतया इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक आऊट लेट पर इतनी भूमि हो जिससे कि उस मोगे (आउटलेट) में धोरे में चलने वाला Discharge या ३ क्यूबिक से अधिक न हो क्योंकि इससे अधिक Discharge होने से काश्तकारों से सम्भाला नहीं जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज व माइनर्स पर हुए निर्माण व्यय को सरकार करती है। धोरों पर हुए व्यय काश्तकार देते हैं। कोटा डिवीजन में चम्बल प्रोजेक्ट में क्योंकि धोरों के लिए अलग से स्टाफ रखा है धोरों की survey व alignment पर हुए व्यय के काश्तकारों से नहीं लिया जायगा और उनके निर्माण का व्यय काश्तकारों से लिया जायेगा। दूसरे स्थानों पर अलग से कोई स्टाफ नहीं रखा जाता है और धोरों के निर्माण पर हुआ व्यय काश्तकारों से ही वसूल किया जाता है।

(२) जी नहीं, धोरे २५० से ५०० बीघा तक भूमि के लिए भी हो सकते हैं। धोरों का निर्माण व्यय किसान वहन करता है तथा माइनर व डिस्ट्रीब्यूटरीज का निर्माण सरकार ही करती है और उस पर होने वाले व्यय को भी सरकार ही वहन करती है।

यही आधार तहसील सांगोद के ग्राम बाम्बोलिया व बोरीना के क्षेत्र में अपनाया गया है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

अनुभवी कम्पाउन्डरों को गांव के अस्पताल में डॉक्टरों की जगह नियुक्ति तथा उन्हें अतिरिक्त महंगाई भत्ता

७१४. श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि सरकार देहाती क्षेत्र के अस्पतालों में कार्य करने वाले डाक्टरों को वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता, ७५) रु० विशेष अलाउन्स और मुफ्त क्वार्टर की सुविधायें देती है ?

(२) क्या यह सही है कि डाक्टरों की कमी के कारण सरकार फर्स्ट ग्रेड और अनुभवी कम्पाउन्डरों को इन ग्रामीण अस्पतालों में डाक्टरों के स्थान पर नियुक्त कर रही है ?

(३) क्या यह सही है इन कम्पाउन्डरों को जो डाक्टरों की जगह देहात में कार्य करते हैं, सरकार महंगाई भत्ता और फ्री क्वार्टर दोनों सुविधायें एक साथ नहीं देती ? यदि हां, तो कम्पाउन्डरों को इस सुविधा से वंचित रखने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, कम्पाउन्डर ग्रेड प्रथम जो कि इंचार्ज डिस्पेन्सरी के पद पर नियुक्त किये जाते हैं उन्हें उनको वेतन के अतिरिक्त ३०) रु० स्पेशल वेतन दिया जाता है।

गंगाशहर नगरपालिका सीमा में आबादी भूमि का बेचान

७१५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन (टाउन प्लानिंग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगाशहर नगरपालिका सीमा में भूतपूर्व सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी बीकानेर व अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा अब तक कुल कितनी मूल्य की आबादी भूमि बेची जा चुकी है ?

(२) क्या नगरपालिका गंगाशहर ने अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से उपरोक्त धनराशि लौटाने की मांग की है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? क्या राज्य सरकार इस मामले को एक निश्चित् अवधि में निपटाने का प्रयास करेगी ?

उत्तर

(१) सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी तथा अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कोई जमीन नहीं बेची। टाउन डेवलपमेंट कमेटी ने २४५९७७५ रुपये की भूमि बेची है।

(२) जी हां। प्रश्न अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के विचाराधीन है। जी हां।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-शुक्रवार, दिनांक २ अप्रेल, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७०८६	१२	पान	पास
७०९०	११	एन्टग्टेनमेंट	एन्टरटेंनमेन्ट
७०९४	शीर्ष	(श्री तेजाराम गहलोत)	(श्री तेजाराम गहलोत)
७०९५	३	क्वामृटिरी	क्वान्टिटी
७१०३	४	मिलता हैं।	मिलता है।
,,	१३	हुआ हैं	हुआ है
७१०५	२६	प्रस्ताप	प्रस्ताव
७१०९	७	भूतपर्व	भूतपूर्व
७११२	१	बीमार थें तो	थे तो
७११३	शीर्षक	२ अ ेल	२ अप्रेल
,,	अन्तिम से ३	श्री हरिराम घाद	श्री हरिराम घाद
७११८, ७१३०, ७१४६, ७१५४, ७१५६	शीर्षक	२ अप्रल	२ अप्रेल
७११८	शीर्ष	चुंडावत	चूंडावत
७१२२	१९	(रुपवास-पु.)	(रूपवास-सु.)
७१२६	१	श्री नाथूराम निधा	श्री नाथूराम मिर्धा
७१२७	४	इन्फोमशन	इन्फोर्मेशन
,,	६	नेवस्ट	नेक्स्ट
७१३२	२	सालोलिया	सालोमिया
,,	अन्तिम से ३	सालोतियां	सालोतिया
७१४७	१	वय	क्या
७१५४	अन्तिम से २	जल प्रदान योजना	जल प्रदाय योजना
७१५६	२३	वक्तय	वक्तव्य
७१५६	२१	विपयक	विषयक

१	२	३	४
७१६३	८	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	२०	सुजानगढ़	सुजानगढ़
७१६६	२१ से २४	राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६३ विचार-विमर्श	राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९६३ (विचार-विमर्श)
		नोट:—स्कम्भ संख्या ७१६८ से ७३३१ तक शीर्षक पर मुद्रित "विधान सभा सदस्य निर्योग्यता निवारण (संशोधन) विधेयक" अथवा अन्य कुछ के स्थान पर कृपया पढ़ें : "विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९६३."	
७१७२	१०	कर्तव्य	कर्त्तव्य
,,	२७	गज्य	राज्य
७१७३	११	प किस्तान	पाकिस्तान
,,	२६	आफ	ऑफ
७१८६	शीर्ष	(श्री फूलचन्द जन)	(श्री फूलचन्द जैन)
७१८७	अन्तिम पंक्ति	दृष्टियों	दृष्टियों
७१८९	३	आक्रमण में बाद के	आक्रमण के बाद में
७१९३	२८	वगैर	वगैर
,,	३०	ओर	और
७१९६	शीर्ष	(श्रीं ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
७१९७	४	सिवाय	सिवाय
,,	१७	शाम	शर्मा
७१९८	शीर्ष	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
७२००	शीर्ष	श्री	(श्री
७२०१ व			
७२३०	१४	रहते है	रहता है
७२०८	शीर्ष	(श्री अब्दुलजब्बार)	(श्री अब्दुलजब्बार)
७२१०	,,	(श्री गिरधारीलाल शर्मा)	(श्री गिरधारीलाल व्यास)

१	२	३	४
७२१०	२६-२७	अधिकार	अधिकार
७२१४	११	कम्युनिस्टस	कम्युनिस्ट्स
७२२०	अन्तिम पंक्ति	तौंर	तौर
,,	,,	इम्पोटेटेन्ट	इम्पोर्टेन्ट
७२२२ व			
७२३४	शीर्षक	२ अप्रेल	२ अप्रेल
७२२४	शीर्ष	(श्री जुझारसिंह)	(श्री जुझारसिंह)
७२२५	२१	सब्स्टेन्शिवल	सब्स्टेन्शियल
७२२६	१०	इन्टेशन	इन्टेन्शन
७२२७	१२	कॉंट्रिव्यूशन	कॉन्ट्रिब्यूशन
७२३२	२२	सावघान	सावधान
७२३३	२१	मोजूद	मौजूद
७२३४	७	चोर	चोर
,,	१८	कलैक्टर	कलेक्टर
७२३५	१७	वतायें	बतायें
७२३६	२	ऑर्डर	ऑर्डर
,,	४	व्यवस्वा	व्यवस्था
७२३७	२१	कांग्रेस	कांग्रेस
७२३८	३	राष्ट्रीय	राष्ट्रीय
७२३९	२६	उत्तरदयित्व	उत्तरदायित्व
७२४१	१०	आर्म्ड	आर्म्ड
७२४२	१७	पौलिसी	पॉलिसी
७२४५	२२	इकठ्ठी	इकट्ठी
७२४६	१७	(नाथद्रारा)	(नाथद्वारा)
७२४८	३	ग्रादमी	आदमी
७२४९	२७	ग्रौर	और
७२५०	४	विघायक	विधायक
,,	११	विघेयक	विधेयक
७२५१	२६	अम्ब्रेला	अम्ब्रेला
७२५२	१७	आज़	आज
७२५३	अन्तिम से ३	इघर	इधर

१	२	३	४
७२५४	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
७२५५	५ व ८	फोजियों	फौजियों
७२६२	२	मजवूत	मजबूत
७२६४	१५	ज़नता	जनता
,,	२६	हमलाँ	हमला
७२६५	१४	एरियस	एरियर्स
७२६६	२	पंसा	पैसा
,,	७	इलजाम	इल्जाम
,,	अन्तिम से ३	फोर्वर्ड	फोर्वर्ड
७२७१	१२	लॉ	ला
७२७२	१७	बह	वह
७२७४	१०	हयियार	हथियार
७२७७	अन्तिम से ३	राज़्य	राज्य
७२७६	१४	ब ?	बढ़े ?
७२८०	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह	(श्री भैरोंसिंह)
,,	६	निर्याग्यता	निर्योग्यता
७२८६	२२	ओर	और
७२६३	स्कम्भ	७१६३	७२६३
,,	अन्तिम पंक्ति	में	मैं
७२६४	३	श्री उपायध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	१०	श्री फूलचन्द्र जैन	श्री फूलचन्द जैन
७२६६	२	ट्रान्ज़ीस्टर	ट्रान्ज़िस्टर
७२६७	५	लड़ा-ईझगड़ा	लड़ाई-झगड़ा
,,	१३	लौकल	लोकल
७३१५	२२	मिसअन्डस्टेंडिग	मिसअन्डरस्टेंडिग
७३२०	शीर्ष	(श्री मानिकचन्द सराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
७३२२	१५	कुछ माननीय सदस्य ।	कुछ माननीय सदस्य :
,,	अन्तिम से ४	क्लाजर	क्लोज़र
७३२५	५	ना पक्ष जीता ?	"ना" पक्ष जीता
७३३६	१३	(डिस्ट्रीब्यूटरजी)	(डिस्ट्रीब्यूटरीज़)